(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 7

शुक्रवार,

16 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, शिक्षा, अकाल सहायता, वन, चुनाव, खाद्य, उद्योग, पशु पालन, देवस्थान, गृह एवं न्याय विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री नानालाल !

कृषि विभाग में राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति

133. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में गत वर्ष 1974 तक सभी राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति डी.पी.सी. द्वारा हो गई है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अब डी. पी. सी. की बैठक नहीं होने से पदोन्नति में हेरा-फेरी हो रही है और अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक डी. पी. सी. की बैठक होगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां । राज्य कृषि सेवा के समस्त श्रेणियों के समस्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जा चुकी है । केवल वर्ष 1975 में रिक्त हुए पदों को नियमानुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु समिति की बैठक होना शेष है । केवल संयुक्त निदेशक (प्रसार) के रिक्त पदों पर अस्थायी पदोन्नति की गई है जिसकी पुष्टि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नहीं हो सकी है । संयुक्त निदेशक कृषि की पदोन्नति समिति की बैठक इसलिए नहीं हो सकी कि कुछ उप-निदेशक (कृषि प्रसार) की आपसी वरिष्ठता का प्रश्न उच्चतम स्तर पर विचाराधीन चल रहा है । वर्ष 1974 तक के पदों पर पदोन्नति समिति की बैठकों सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । पदोन्नतियां कृषि सेवा नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती हैं । ऐसी परिस्थिति में पदोन्नति में हेरा-फेरी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री शिवचरण माथुर)

एक वर्ष तक अस्थाई पदोन्नति करने का अधिकार नियमानुसार राज्य सरकार को है। अस्थाई पदोन्नतियों को यथाशीघ्र विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदित करा लिया जाता है। वेतन मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि अस्थाई पदोन्नति भी अब कार्मिक विभाग की सहमति से ही की जा सकती है। एक वर्ष के पश्चात् अस्थाई नियुक्तियों को चालू रखने हेतु लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नानालाल : आपने जो सूची की बात कही है वह तो मेरे पास अभी तक आई नहीं है। फिर भी आपने बताया है कि इसमें विभागीय जांच हो जाता है। तो उसमें जब सहमति के बाद ही पदोन्नति की जावे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती और जो हेरा-फेरी होती है वह नहीं होती। मेरा प्रश्न खास तौर पर यही था।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि डिप्टी डायरेक्टर के लेवल के पदों के लिए सारी डी. पी. सी. हो चुकी है और जॉइन्ट डाइरेक्टर के लिए डी. पी. सी. इसलिए नहीं हो सकी कि जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनमें सीनियोरिटी के सम्बन्ध में डिस्प्यूट था जो उच्च स्तर पर विचाराधीन है। इसलिए उनकी डी.पी.सी. नहीं हो सकी है। जैसे ही यह मसला तय हो जाएगा डी. पी. सी. की बैठक हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा !

अनुसूचित जाति व जन जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली

134. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में भरे जाने वाले पदों पर भी रोस्टर प्रणाली लागू की है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत से ?

(2) भारत सरकार ने यह रोस्टर प्रणाली किन-किन श्रेणी तक के पदों पर कायम की है तथा कितने पॉइन्ट्स तक और किन-किन पॉइन्ट्स पर अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति का उल्लेख है ?

(3) राजस्थान सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नियुक्ति (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। 22½ प्रतिशत (अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत व अनुसूचित जन जाति के लिए 7½ प्रतिशत)।

(2) भारत सरकार ने रोस्टर प्रणाली प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सभी पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए, जिसमें कि सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक न हो, लागू की है। यह प्रणाली 40 बिन्दुओं की है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1, 8, 14, 22,

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
28 व 36 तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 4, 17 व 31 में बिन्दु सुरक्षित हैं।

(3) राजस्थान सरकार ने सभी वर्गों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में जिनमें कि सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक न हो, 28 प्रतिशत (16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए) पद इन जातियों के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित किए जाने का निर्णय लिया है और इसके लिए 40 बिन्दुओं की रोस्टर प्रणाली लागू की है। सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान के अन्दर जितने भी अब तक प्रमोशन किए गए हैं उनके अन्दर अभी भी कोई खाली जगह है या नियमानुसार पूरी जगह भर दी गई हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभी विभागाध्यक्षों को राज्य सरकार ने जो नीति अपनाई है, उस नीति की पालना करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। कुछ स्थानों की पूर्ति हेतु डी. पी. सी. की मीटिंग हुई उसमें इस प्रणाली को लागू किया गया है और कुछ में मीटिंग होना बाकी है जिनमें भी इस प्रणाली के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : ये आदेश कब प्रसारित किए गए कि पूरे के पूरे खाली स्थान हैं उनको भर दिया जावे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खाली स्थानों को भरने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा था कि रोस्टर प्रणाली को कब से लागू किया उसका मैंने जवाब दिया कि रोस्टर प्रणाली के सिद्धान्त को मान लिया गया है और इस सिद्धान्त के अनुसार ज्यों-ज्यों विभाग में वेकेंसीज होंगी उसके आधार पर चालीस पॉइन्ट का रोस्टर माना है और चालीस पॉइन्ट सुरक्षित रखे हैं। जैसा कि निवेदन किया गया है कि 1, 8, 14, 22, 28 और 36 यह तो अनुसूचित जाति के लिए हैं और जन जाति के लिए 4, 17 व 31वें बिन्दु पर सुरक्षित किए गए हैं। इन्हीं पॉइन्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष जितनी वेकेंसीज होती हैं उनकी भर्ती कर दी जावेगी लेकिन अगर कोई क्वालीफाइड आदमी नहीं मिलता है और वह वेकेंसी रह जाती है तो ऐसी वेकेंसी अगले साल के कोटे में ट्रांसफर हो जाती है। अगले साल भी वेकेंसी रह जाती है और क्वालीफाइड आदमी नहीं मिलता तो तीसरे वर्ष तक भी इस वेकेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि प्रमोशन की जो नीति अपनाई गई है उस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट को कौनसी तारीख और कौनसे सन् में निर्देश दे दिए गए और जितने खाली स्थान हैं सारे के सारे प्रमोशन की जो स्थिति है उसको पूर्ण कर लिया जावे यह मेरा प्रश्न है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 15 दिसम्बर, 1975 को सभी विभागाध्यक्षों का आदेश प्रसारित किए गए हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसकी पालना नहीं हो रही है । उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सी. आई. डी. के अन्दर एक भंवरलाल शिक्षा शास्त्री हैं । यह पूर्ण रूप से हरिजन जाति के हैं और पूर्ण रूप से यह सभी प्रकार से योग्यता धारण किए हुए हैं ।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : पूर्ण रूप से हरिजन कैसे हैं ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पूर्ण रूप से योग्यता धारण किए हुए हैं । पूर्ण रूप से मेरा मतलब यह है कि हर प्रकार से यह क्वालीफिकेशन फुलफिल करते हैं । अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मैं अंग्रेजी में समझा देता हूं ।

श्री ओंकारलाल चौहान : अंग्रेजी में आप जरूर समझा दो ।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : उनको समझा दें आप ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, समझ तो रहे नहीं हैं अगर इनको समझाने लगूंगा तो बहुत देर लगेगी क्योंकि इनकी समझ में आता नहीं है ।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि इस प्रकार का उदाहरण है एक भंवरलाल शास्त्री का । यह मैंने आपको नाम बताया है, मेरे पास इसका पूर्ण रिकार्ड है और इसने राज्य सरकार को यह निवेदन किया है कि मेरी इस ढंग से यहां पर पदोन्नति कर दी जाय जब कि उसके साथियों के, जो कई लोग है, यहां पर आपको नाम सुना देता हूं पांच सात नाम हैं मेरे पास ...

श्री अध्यक्ष : एक ही बहुत है ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पांच सात आदमी हैं इनकी पदोन्नति कर दी गई है और उस बेचारे के साथ हरिजन जाति का आदमी होने के बावजूद अन्याय किया जा रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्या ऐसी स्थिति में आप जांच करेंगे कि उसने आपके पास इस प्रकार की एप्लीकेशन कब पेश की और यदि एप्लीकेशन दी है तो उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है और नहीं तो क्या निर्णय लेना चाहती है और कब लेगी ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं । डी. पी. सी. में आधार क्या रखते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक इस व्यक्तिगत केस का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रतिवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है । लेकिन माननीय सदस्य ने यह कहा है कि रोस्टर प्रणाली के अनुसार, उसके आधार पर उस व्यक्ति का अधिकार बनता था और उसको उस हक से वंचित कर दिया गया है तो इसकी सूचना मिलेगी या उस व्यक्ति का आवेदन मुझे प्राप्त होगा तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । जहां तक डी. पी. सी. का सवाल है, इसकी मीटिंग प्रति वर्ष होती है । जिस प्रकार की वेकेन्सीज होती हैं उसी प्रकार का क्राइटेरिया होता है ।

श्री दीपंकर : डी. पी. सी. में निर्णय हो जाता है तो क्या वह किसी क्राइटेरिया पर ग्राधारित होता है ? जिस प्रकार के केसेज उसके सामने होते हैं तो उसके लिए आपने क्या कोई क्राइटेरिया निर्धारित किया है ? डी. पी. सी. को किस स्तर पर काम करना चाहिये और निर्णय लेने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाना चाहिए ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह अलग से प्रश्न है।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रणाली आपने लागू की है वह लागू हो रही है या नहीं, इसको मालूम करने के लिए आपके पास क्या माध्यम है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नियुक्ति विभाग में एक विशेष विभाग (Cell) कायम किया गया है जो हर विभाग में जाकर यह देखता है कि रोस्टर प्रणाली के आधार पर आरक्षण के नियम लागू किए गए हैं, उसका पालना की जा रही है या नहीं। वैसे यह आदेश भी दिए गए हैं कि जिन पदों को भरा जाए उसकी त्रैमासिक रिपोर्ट नियुक्ति विभाग को भेजी जावे।

श्री ओंकारलाल चौहान : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि एक सैल कायम किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह सैल कब कायम किया गया ? दूसरे, इस सैल ने कब-कब किस-किस डिपार्टमेंट में जाकर जाँच की है और वास्तव में इसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है ? तीसरा सवाल यह है कि प्रमोशन का कोटा बाकी रह गया तो क्या उसमें भी इसको फॉलो अप किया जा रहा है ? क्या यह सब मन्त्री महोदय की जानकारी में है ?

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए। उनमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नियुक्ति के समय कोई पद खाली रहता है तो प्रमोशन में उसको कैरी फार्वर्ड कर लिया जाए। परन्तु ऐसा न होकर उन स्थानों को भर लिया जाता है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सैल कायम किया गया है उसके अन्दर जांच करने के लिए क्या कोई अनुसूचित जाति, जन जाति के भी अधिकारी हैं या जो दूसरे अधिकारी जाते हैं वे सही रिपोर्ट करते हैं ? या ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति इस सैल में करने का आप विचार रखते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : एक प्रश्न है। आपके इन सब विभागों का रिपोर्ट अनुसूचित जन जाति की कमेटी के समक्ष आती रहती है और इस कमेटी की रिपोर्ट भी है। तो क्या आपने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है ? इस सैल के क्या-क्या अधिकार हैं, क्या इसका केवल एडवाइजिंग करेक्टर ही रहेगा, या कोई एक्शन लेने का अधिकार भी आपने इस सैल को दिया है ? इसके सम्बन्ध में अनुसूचित जन जाति समिति की रिपोर्ट है और उसमें ये सारे डेटाज आ चुके हैं। तो मेरा यह प्रश्न है आपने क्या-क्या ऑथोरिटी इस सैल को दी हैं ? यह मेरा मुख्य प्रश्न है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसका मुख्य प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने जो नीति निर्धारित की है, उसकी पालना

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
विभागाध्यक्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उन स्थानों की पूर्ति की जा रही है या नहीं—इसके लिए सैल के अधिकारी स्वयं जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं और राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग को रिपोर्ट करते हैं और अगर कोई विभागाध्यक्ष पालना नहीं कर रहा है तो उन पर एक्शन लेने के लिए राज्य सरकार कार्यवाही करती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अनुसूचित जन जाति समिति की रिपोर्ट पढ़ लीजिये, इसमें यह सब एस्टेब्लिश हो चुका है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मंत्री महोदय, सैल कायम हो चुका है परन्तु फिर भी आपके आदेशों की अनुपालना नहीं होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य, इस सदन की एक कमेटी है, जिसने इस पर रिपोर्ट दे दी है और यह एस्टेब्लिश हो चुका है। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि किसी भी विभाग ने आपकी इस रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया है। अब आपका सैल क्या करेगा? क्या इसकी वह दुबारा इन्वेस्टीगेशन करेगा? यह तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जहां कमेटी ने रिपोर्ट दे दी उस पर आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं दूसरे-प्रश्नों का उत्तर दे दूं। सैल ने काम अभी प्रारंभ ही किया है। सैल का यह काम है कि जो नीति निर्धारित की गयी है उसके अनुसार वेकेन्सीज भरी गयी हैं या नहीं।

श्री ओंकारलाल चौहान : सैल की मीटिंग कब हुई?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सैल के अधिकारियों ने 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर इस काम को देखा है और वहां पर जो कमियां पायी हैं उनको इंगित किया है। उस लाइट में काम करके उसको पूरा करने की कोशिश विभाग द्वारा की जायगी। इसके लिए एक प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को, हैड ऑफ दा डिपार्टमेंट को, वह भर कर भेजना होता है। उसमें यह साफ है कि जो आधार रिजर्वेशन का कायम किया गया है उसकी पूर्ति की जा रही है या नहीं। जैसा कि माननीय हांडा साहब ने यहां पर कहा, यह शिकायत बराबर आती रही है कि जो राज्य सरकार ने नीति निर्धारित की है उसके आधार पर रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। इस लाइट में दिसम्बर, 75 में एक आदेश जारी किया गया है। उसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर विभागाध्यक्ष को इन नियमों की पालना करनी है और इन नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। डी. पी. सी. की मीटिंग तब होती है जब पद रिक्त हों और उनकी पूर्ति करनी होती है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : जब सरकार के नियम इतने स्पष्ट हैं, उसके बावजूद विभागाध्यक्ष उनकी पालना नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती? क्या अब तक किसी भी विभागाध्यक्ष के खिलाफ मंत्री महोदय ने कार्यवाही की है अथवा आपके ये आदेश मात्र कागजी कार्यवाही हैं?

श्री अध्यक्ष : सब एक साथ प्रश्न कर लें।

श्री ओंकारलाल चौहान : आपने 15 दिसम्बर, 75 को यह आदेश प्रसारित किया कि सैल जाकर के देखे, मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: 15 दिसम्बर को यह आदेश प्रसारित किया गया है, कि रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही सारे पदों को भरा जाए। इसके विपरीत किसी प्रकार की दूसरी कार्यवाही नहीं की जाय वरना विभागाध्यक्ष के खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

आदर्श विद्या मंदिर जयपुर में गबन का केस

135. श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरा बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर के जो अध्यापक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सम्बन्ध रखते थे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि 2 अध्यापक, जिनको स्कूल में लगा दिया गया था, सरकार के विरुद्ध जनसंघ के तत्वावधान में चलाये गये आन्दोलन के सिलसिले में हैण्ड-बिल बांटते पकड़े गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि आदर्श विद्या मंदिर में जो गबन का केस हुआ था उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एक एन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की गई थी ? क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी ? यदि दे दी तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि इस वक्त तक जिन्होंने उक्त संस्था के रुपयों का दुरुपयोग किया उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) ऐसी कोई सूचना शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उस पर कार्यवाही की जा रही है।

(4) इस मामले में 22-8-75 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नाम बताऊंगा मंत्री महोदय को क्योंकि उन्होंने बहुत सहूलियत के साथ में 'जी नहीं' कह दिया। अगर लाइल्मी का यह आलम है तो हमारी स्टेट की सिक्योरिटी खत्म हो गई, और आपके जैसा जिम्मेदार आदमी यह कहे तो और भी अफसोस की बात है। एक सहजानन्द मिश्र हैं जो कि 20-12-75 को अरेस्ट हुए और आर. एस. एस., जनता कालोनी के सेक्रेट्री हैं। आपने उनको टीचर का पद दिया वह सस्पेन्ड रहे तब भी, दूसरे नानकराम हैं जो सेक्रेट्री, शिवाजी पार्क आर. एस. एस. जो

Page No 8

(8)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि 14-12-75 को गिरफ्तार हुए, और 15-20 दिन के बाद उच्च पुलिस अधिकारियों के इन्टरवेन्शन से रिलीज किये गये। यह भी आपके टीचर थे जिनको आपने नियुक्त किया। एक गिरिप्रसादी हैं, यह रामगज शाखा के इन्चार्ज थे, इनको आपने टीचर लगाया है। एक श्री कश्मीरी सिंह हैं जो आर. एस. एस. के इन्चार्ज थे आदर्श नगर विद्या मंदिर ब्रान्च को मोर्निग एक्सरसाइजेज के, इनको आपने टीचर नियुक्त किया है। एक शिवचरण हैं जो तहसील इन्चार्ज थे आर. एस. एस. बस्सी के सेक्रेट्री, उनको आपने नियुक्त किया है। उसके बाद एक निरंजनलाल शर्मा है जो प्रचारक थे सवाई माधोपुर जिले के और जो होलटाइमर थे और आदर्श विद्या मंदिर की जो नगर ब्रान्च है उसके वह संचालक थे। उनको आपने टीचर मुकर्रर किया है ?

क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों के नामों की आपको जानकारी थी ? और अगर नहीं थी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा 'जी नहीं' जिसका मतलब यह था कि हमने कार्यवाही की है। आदर्श विद्या मंदिर संस्था में कुल 61 अध्यापक कार्य कर रहे थे। उन 61 का स्क्रीनिंग किया गया और उनमें से सिर्फ 19 को कान्ट्रेक्ट बेसिस पर इस सत्र के अन्त तक लगाया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह जो आपने 19 का नाम दिया है तो आप यह फरमायें कि इनको कैसे रखा है जब कि यह टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले थे।

श्री खेतसिंह : मैंने अर्ज किया कि स्क्रीनिंग किया गया है और स्क्रीनिंग के लिए कमेटी बनी हुई है। होम डिपार्टमेंट से इनकी रिपोर्ट मांगी गई थी। जिनको बिल्कुल अयोग्य समझा गया, अनुपयुक्त समझा गया उनको हटा दिया गया। 61 में से जैसा कि मैंने अर्ज किया, 19 को इस सत्र के अन्त तक कान्ट्रेक्ट बेसिस पर लगा रखा है, और उनकी कार्यवाही देखी जा रही है, उसके बाद में जैसा होगा देखेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : योग्यता का क्या मतलब ? वह आर. एस. एस. द्वारा संचालित स्कूल था। उस स्कूल के बारे में इसी सदन में कई बार चर्चा हुई है, और यही कह कर स्कूल पर कब्जा किया है सरकार ने तो क्या इस प्रकार से पुलिस विभाग या सी. आई. डी. से जांच हुई थी उस स्कूल के बारे में ? उस जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या है ? और जिन-जिन अध्यापकों को रखा गया है उन अध्यापकों की जांच किस आधार पर हुई है ? आर. एस. एस. इस देश का खात्मा करने वाला जमात है, उस जमात से सबंधित लोगों को वापिस नियुक्त करने का आधार क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। आपकी स्क्रीनिंग का आधार क्या कम्युनल फीलिंग था या योग्यता ?

श्री खेतसिंह : स्क्रीनिंग जो किया गया था तो होम डिपार्टमेंट को साथ में लिया

Page No 9

(श्री खेतसिंह)
गया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कि आया वह किसी ऐसी संस्था- से जुड़े हुए हैं इसको मुख्य मुद्दा समझा गया था। उस वक्त यह खयाल नहीं किया गया था कि अध्यापक अध्ययन के हिसाब से कितना योग्य है, बल्कि यही ध्यान दिया गया था कि यह किस से जुड़ा हुआ है। खास तौर से ऐसे अध्यापक जो अराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए थे उनकी छंटनी की गई थी। जिन 19 के बारे में वह रिपोर्ट थी कि इनका उससे सम्बन्ध नहीं है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है।

श्री दीपंकर : क्या उनकी गिरफ्तारी गलत थी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आदर्श विद्या मंदिर का आर. एस. एस. से कोई कनेक्शन नहीं था, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : होम डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके पास शिक्षा विभाग है और यह विद्या मंदिर उसके अन्दर आता है तो आपके शिक्षा विभाग का लेकर ही हमारी यह मांग है कि जिस होम डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर जांच कराकर, स्क्रीनिंग कराकर नियुक्त किया गया तो जैसा कि पूनमचन्द जी साहब ने पूछा कि उस योग्यता का आधार क्या है ? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई की योग्यता को देखा गया है या साम्प्रदायिक संगठनों के साथ उनका सहयोग सम्बन्ध है उसको देखा गया है ? मेरे पास निश्चित रूप से इस बात के प्रमाण हैं कि होम डिपार्टमेंट और सी. आई. डी. ने इन सब की यह रिपोर्ट की है कि आदर्श विद्या मंदिर के अध्यापक आर. एस. एस. के संगठन में नहीं जाते हैं।

श्री करणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जिन अध्यापकों को होम डिपार्टमेंट ने पहले अरेस्ट किया उनको फिर स्क्रीनिंग में कैसे छांट लिया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 19 अध्यापकों को स्क्रीनिंग के बाद लिया गया है। उन्हीं अध्यापकों में से 3 अध्यापक ने आर. एस. एस. और जे. पी. मूवमेंट के अन्दर बाकायदा सत्याग्रह करते हुए पकड़े गये थे, और आपने यह कहा है कि आपको जानकारी नहीं है। आपके आदर्श विद्या मंदिर या मोडल स्कूल या दूसरी जगहों पर वे लगे हुए हैं तो आपके डिपार्टमेंट में उनकी गैरहाजरी हुई होगी। उसकी रिपोर्ट आपके पास या डिपार्टमेंट के पास आई होगी। तो आपके डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए। यह क्या वजह है कि........

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सहजानंद और नानकराम उन्हीं 19 आदमियों में से हैं जिनके बारे में जनाब ने यह रिपोर्ट की है कि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था। वह कचहरी में गिरफ्तार हुए हैं। आपको इस कदर लाइल्मी है इसका मुझे मालूम नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको मालूम नहीं कि कोई अध्यापक गिरफ्तार हुआ है तो अपने डिपार्टमेंट से पूछ लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो अध्यापक आर. एस. एस. की तरफ से धरना देते हुए गिरफ्तार किये गये थे उनको किस आधार पर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
मुक्त किया गया था ? यदि ऐसे केसेज माननीय मंत्री महोदय और विभाग के सामने लाये जायं तो क्या आप कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं ?

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : वह एक्शन नहीं लेने वाले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मन्त्रीजी के पास यह शिकायत आई है स्क्रीनिंग के बारे में कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने आदर्श विद्या मन्दिर के खिलाफ शिकायत की थी कि इसके अन्दर आर. एस. एस. की एक्टीविटीज चलती हैं उनको तो स्क्रीनिंग कमेटी ने अयोग्य घोषित करके नहीं लिया और जो आर. एस. एस. से सम्बन्धित थे उनको लिया गया जो कि साबित हो गये और पकड़े गये। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी ने योग्यता से काम नहीं किया। यह साबित हो गया तो क्या सरकार इन तमाम मामलों पर, 19 मामलों पर विचार करेगी, और जिन लोगों ने इनकी आर. एस. एस. एक्टीविटीज के खिलाफ शिकायत की थी और जिनको विक्टीमाइज किया गया था उनको गवर्नमेंट सर्विस में लिया जायगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि इस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कौन थे, वह अधिकारी कौन थे ? उनके नाम माननीय मन्त्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री ऐलसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो 19 अध्यापक रखे गये हैं और जिनमें से 6 नाम आपने दिये हैं इनके अलावा उन 19 अध्यापकों, जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर इस सत्र के अन्त तक के लिए रखे गये हैं, की वापिस स्क्रीनिंग करवा ली जायगी उसी कमेटी से जिसने पहले उनका स्क्रीनिंग किया था।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी के अन्दर तो खुद आर. एस. एस. के आदमी मौजूद हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (श्री शिक्षा मन्त्री के ऑफिसर्स गैलरी के पास जाने पर) यह कौनसा नियम है, अध्यक्ष महोदय ? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस तरह से जो अधिकारियों से पूछ रहे हैं वह कौन से नियम में है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय मन्त्रीजी को इस बात की शिकायत की गई है कि इस कमेटी के अन्दर आर. एस. एस. के लोग मौजूद हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से मन्त्रीजी उठकर वहां जायं और अधिकारियों से पूछें।

श्री मीठालाल मीणा : यह परम्परा बन रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह वहां जाकर पूछ रहे हैं अधिकारियों से खड़े होकर, अध्यक्ष महोदय। यहां से पूछ सकते हैं या कोई पर्ची आ जाय तो मान लें लेकिन आप इस तरह की परम्परा तो न डालें।

श्री अध्यक्ष : आप रूलिंग लेना चाहते हैं इस पर ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने सुन लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत स्पष्ट है। आपकी स्क्रीनिंग कमेटी ने 19 आदमियों को लिया है। उनमें से 3 आदमी आर. एस. एस. का सत्याग्रह करते हुए पकड़े गये। बाकी 16 करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप की स्क्रीनिंग कमेटी में आर. एस. एस. के लोग हैं। उस स्क्रीनिंग कमेटी की स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। जब यह वाकई साबित हो गया है और यह प्रश्न सदन के सामने है, तो प्रश्न यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को ही मीसा में क्यों नहीं अरेस्ट किया जाये ?

श्री मोहनराज (वाली): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि इस वक्त भी आर. एस. एस. द्वारा जो प्रदर्शन किये जा रहे हैं, उनमें स्थानीय विद्यालयों के अध्यापकों का बहुत बड़ा हाथ है ? जब कभी ऐसा ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो चाहे वह कलेक्टर हों, चाहे जिला निरीक्षक, वह यही कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। बहुत हुआ तो उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में लगा देते हैं। वहां भी उनकी गतिविधि जारी रहती है। उनको रोकने के लिए मन्त्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं ? इसके लिए उन्होंने क्या घोषणा की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के नाम आ जायें।

श्री अध्यक्ष : नाम बता दें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, 19 को रखा गया है। जो अध्यापक रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ नहीं किया है। काफी अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। अब एक नई स्क्रीनिंग कमेटी को बनायेंगे डिपार्टमेंट की ओर एक ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी बनायेंगे जिसमें ऐसे व्यक्तियों को रखेंगे जिनका निश्चित तौर से 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास हो। जो गफ्फार साहब ने 3 नाम दिये हैं, उनका मैं आज ही पता लगाऊंगा। उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आयेगा, उस पर कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्क्रीनिंग कमेटी....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, एक कमेटी मुकर्रर हुई थी ? चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट श्री गर्ग के द्वारा 12,495 रु. का गबन इस संस्था के अन्दर पाया गया है उसका नतीजा क्या निकला ? उसका उत्तरदायित्व किन लोगों पर रखा गया ? दूसरा एक 2,500 रु. की रकम का गबन हुआ था जिसमें खूंटेटा साहब की जिम्मेदारी हुई थी। उन्होंने प्रोविडेन्ट फण्ड से दरख्वास्त की तो मि. जावा, जो आर. एस. एस. वाले मि. जावा के भाई हैं, ने यह लिखा था कि यह दे दिया जाये। इन दोनों में क्या कार्यवाही हुई है ? उत्तरदायित्व किस पर रखा गया है ? माननीय मन्त्री महोदय की सहायता के लिए मेरे पास फोटो स्टेट कॉपी है।

(12)

श्री अध्यक्ष : आप कह दीजिये ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है । प्रश्न के जवाब में दे दिया है । आदर्श विद्या मन्दिर में अनियमितता, गबन, घोटाले पाये गये हैं । और इसीलिए उसकी जांच श्रीमती ओ. जोशी, निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थाएं, उदयपुर के द्वारा कराई गई । उसी आधार पर पुलिस में रिपोर्ट का गई । पुलिस ने तफतीश करने के बाद चालान कर दिया ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मि. खूंटेटा के बारे में क्या कार्यवाही हुई है ? मैं वह फोटो स्टेट कॉपी हाउस की टेबिल पर पेश कर रहा हूं ।

(फोटो स्टेट कॉपी सदन की मेज पर प्रस्तुत की)

श्री अध्यक्ष : यह आप किस बात के लिए पेश कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह साबित करने के लिए कि दो हजार रुपये का गबन पाया गया है । उसकी आखिर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का खेद है कि जो कमेटी बनाई गई उससे यह साबित होता है, जो कमेटी गठित की गई है, उनके बारे में भ्रम रह गया है । उस कमेटी के सदस्यों के नाम बता दीजिए । उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री मीठालाल : और जिन्होंने उस कमेटी को बनाया है, उनकी भर्त्सना की जाये ।

श्री खेतसिंह : 42 को उन्होंने निकाल दिया है । बाकी यह शिवचरण खूंटेटा हैं । यह 2,500 का गबन हुआ है । बाकी जो दो नाम हैं, एक रामगोपाल गोयल है और दूसरा विजय रामपुरिया है । ये दो आदमी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में केस पेश कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बाड़मेर जिले में लूनी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव

136. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में लूनी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ के आने पर निम्न गांव एवं कस्बे प्रभावित होते हैं:—

1. बालातरा कस्बा 2. ग्राम सिलोट 3. जेठे तटी 4. पारलू 5. कानाना 6. जानियाना 7. होटलू 8. मजीन 9. मूंगड़ा 10. तिकनाद 11. भालणा 12. आसोतरा 13. बीठूजा 14. कूपाबाल 15. समदड़ी 16. रानी देसीपुरा 17. अजीत 18. मजल 19. बामसाण 20. जसाल 21. तिलवाड़ा 22. सिल्ली 23. मूका 24 सिणधरी? यदि हाँ तो इनके अलावा और अन्य ग्राम भी उक्त नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कितनोद में बाढ़ से बचाने के लिए आठ ठोकरें

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
बन चुकी हैं और दूसरे ग्रामों को उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

(3) क्या भू-संरक्षण विभाग ने उन सभी प्रभावित गांवों और बालोतरा कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो कब तक योजना बना कर क्रियान्वित की जायेगी ?.

राज्य मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई विभागों से सम्बन्धित है। पूरी जानकारी नहीं आई है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है। श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

ग्राम वासना (जमुवारामगढ़) में भूमि का आवंटन

137. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव वासना, तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर में खसरा नं. 475,476 व 480 की भूमि का दिनांक 18-6-71 को आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त भूमि का आज तक कब्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि जिन व्यक्तियों को आवंटित की गई थी उनमें अधिकतर भूमिहीन हरिजन, आदिवासी व कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं ?

(4) उपरोक्त भूमि का कब्जा अब उक्त व्यक्तियों को कब तक दिलाया जावेगा? और जिन व्यक्तियों ने आज तक कब्जा देने में टालमटोल किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आवंटन के विरुद्ध अपील हो जाने के कारण एवं ग्राम वासियों में आपसी झगड़े के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका है।

(3) जी हां।

(4) ग्राम वासियों को समझा कर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही में टालमटोल नहीं की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)।

श्री अर्जुनसिंह (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, यह 1971 का अलॉटमेण्ट है। आज तक लोगों को कब्जा नहीं मिल पाया है। इसमें राजस्व मन्त्री ज्यादा दिलचस्पी से भाग लें। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो फौजी हैं। कुल संख्या 36 है। अलॉटमेण्ट होने के बाद 5 साल हो गये कब्जा नहीं मिल पाया है। अधिकारी लोग तो कुछ नहीं बताते हैं। इसलिए राजस्व मन्त्री महोदय, से

(श्री अमीतसिंह)
निवेदन है कि वह इसमें दिलचस्पी लें। 3-3 बीघे का अलॉटमेण्ट होता है। जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले भी माननीय करणसिंहजी ने यह प्रश्न उठाया था। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी अलॉटमेण्ट के कब्जे दिलाने की व्यवस्था की जाये।

(व्यवधान)

श्री करणसिंह (डीग) : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव····

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय····

श्री करणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं। 25-3-75 का एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। माननीय मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कहा कि अपील चल रही है। कुछ व्यक्तियों ने जिलाधीश को अपील की थी। जिलाधीश खारिज कर चुके हैं। राजस्व के अधिकारी भी खारिज कर चुके हैं। जिलाधीश ने शीघ्र कदम उठाने के आदेश दे दिये हैं। यह 25-3-75 की बात है। करीब-करीब एक साल पूरा हो चुका है और यह शीघ्र कदम एक साल में नहीं उठा पाये हैं। तो अब कब तक उठा पायेंगे यह माननीय मन्त्री जी कृपया बताने का कष्ट करें?

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी जटिल समस्या से शक पैदा होता है कि सरकार हरिजन और भूमिहीन लोग ज्यादातर कमजोर लोग हैं, सरकार केवल अपना कोटा पूरा करने के लिये ही और अखबारों में पब्लिसिटी करने के लिये और सदन में घोषणाएं करने के लिए ही हरिजनों और आदिवासियों को इस प्रकार की जमीन अलॉट करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की जमीन उन्हीं व्यक्तियों को अलॉट की जाती है जिनका कि उनको व्यावहारिक तरीके से कब्जा नहीं मिल सके। इसलिए उस जमीन पर उनको प्रेक्टिकली कब्जा मिलना मुमकिन नहीं है और इसका कारण यह है कि सरकार उनको कब्जा नहीं दिला सकेगी और परिणाम यह होगा कि गांवों में टेन्शन होगा और झगड़े होंगे।

श्री शंकरसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में नहीं है तो उसको स्थगित किया जाय और समस्या को सुलझाने के लिये कार्यवाही की जाय।

श्री मीठालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने अपील की थी कि हमारे पास जमीन चरागाह के लिये नहीं है यदि इस भूखण्ड को अलॉट कर दिया गया तो गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो जायगी और कैन्सिल नहीं की तो बाद में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जायगी तो क्या अब आप आगे जाकर कैंसिल करेंगे?

श्री करणसिंह : माननीय अध्यक्ष महादय, प्रश्न यह नहीं है। जिन व्यक्तियों को 1971 में जमीन अलॉट की गई वे सब लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और भूमिहीन हैं, वे बेचारे केस लड़ने से बरबाद हो गये और माननीय

(श्री करणसिंह)
सदस्य यह कह रहे हैं कि उस जमीन को चरागाह घोषित किया जाय।

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि 1971 में ही उनको नोटिस जारी हुआ लेकिन 30-7-74 तक मामले अदालतों में विचाराधीन रहे। उसके बाद, जैसा कि माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कह रहे हैं, कलेक्टर ने तहसीलदार को आदेश दिये थे और कलेक्टर ने यह सूचना दी है कि स्थिति तनावपूर्ण है और ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं और यह कह रहे हैं कि यह भूमि तलाई के कैचमेन्ट एरिया में है और वह यह भी कह रहे हैं कि दूसरे गांवों के और आस-पास की जगह के मवेशी भी यहां चरने के लिए आते हैं। हालांकि यह बात सही है कि ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं, लेकिन उनमें आठ गूजर भी हैं। इसलिए यह आदेश दिये गये हैं कलेक्टर को कल ही कि इस मामले को नीचे के अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जावे और तीन बातों का वह फैसला करें—एक तो यह कि वह जमीन तलाई के कैचमेन्ट एरिया में आती है और आवंटन के पहले भी इसमें आती थी, तीन दफा अलॉटमेन्ट की मीटिंग हुई थी और ऐसी जमीन को अलॉट करके चीप पब्लिसिटी की जा रही हो, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेन्ट कल ही उनको कब्जा दिला सकती है लेकिन गांवों में स्थिति तनावपूर्ण है इसलिए कलेक्टर को मौके पर जाने के आदेश दिये गये हैं यह देखने के लिए कि वह तलाई का एरिया है क्या। यदि है तो कितने गांवों के लोगों का एरिया है। दूसरी बात यह है कि क्या वहां पर खेती किये जाने से तलाई का पानी रुक जायगा। तीसरी बात वहां पर कोई और आल्टरनेटिव चरागाह है क्या? और आल्टरनेट चरागाह की भूमि जो दी जा सकती है उसकी बात। इन चार पोइन्ट्स पर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी! प्रश्न संख्या 138।

राज्य में स्वायत्तशासी महाविद्यालय की स्थापना

138. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कुछ माह पूर्व मद्रास में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि राजस्थान में स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की स्थापना 1976-77 सत्र से हो जावेगी? अगर हां, तो अगले सत्र से राज्य में कितने स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की स्थापना हो जावेगी?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की योजना के आधार पर ही ऐसी सूचना दी गई थी किन्तु अभी तक इस बारे में विश्वविद्यालय आयोग ने नियम नहीं बनाये थे। अब उक्त आयोग ने ऐसे महाविद्यालय स्थापित करने के मापदण्ड तैयार कर लिये हैं तथा राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी नियम बना लिये हैं। अत: अब इनके आधार पर स्वायत्तशासी विद्यालय स्थापित करने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है।

Page No 16

(16)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हमने आपके मद्रास में दिये गये गये भाषण को पढ़ा है उसके लिये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आयोग ने तो अभी तक कोई नियम नहीं बनाये हैं और शिक्षा मंत्री जी ने मद्रास में भाषण दे दिया कि राजस्थान में स्वायत्तशासी कॉलेज स्थापित करेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : दूरदर्शी व्यक्तियों को ऐसा ही होता है।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उसको मन्जूर करूंगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि यू. जी. सी. ने भी गाइडलाइन दे दी हैं और उन्होंने खास तौर से चार मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है:—The U. G. C. has suggested the following guidelines for identifying such colleges and also the procedure for conferring autonomy on selected colleges:—

1. A long record of excellent performance.

2. Adequate facilities of libraries, laboratories and staff.

3. Academically viable and administratively feasible student population.

4. Good teacher-pupil ratio."

ये चार क्राइटेरिया हैं जिन पर राज्य सरकार विचार कर तय करेगी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या आप सदन को यह आश्वासन ... .

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, आपने मद्रास में क्या कहा था यह तो आप सदन को बता दीजिए।

श्री खेतसिंह : यह आपने अखबारों में पढ़ा होगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आप यह आश्वासन सदन में देने की कृपा करें कि राजस्थान में स्वायत्तशासी कॉलेज खोले जायेंगे और इसको आपकी "Ten plus two" की नीति की तरह से भी दफना नहीं दिया जायगा। क्या आप यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री दलपतसिंह (सिरोही) : मद्रास में आपके भाषण और यू. जी. सी. के नियमों को मद्दे नजर रखते हुए क्या आप 1976-77 में ऐसे महाविद्यालय खोल सकेंगे ?

श्री खेतसिंह : मैंने आपसे जैसा कि निवेदन किया, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल !

वन मण्डल बारां में जलाने की लकड़ी की सुविधा

139. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि वर्तमान वन मण्डल अधिकारी, बारां के समय में किसानों को रिश्वत दिए बिना जलाने की लकड़ी

(श्री रामगोपाल)
उपलब्ध नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार अब इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा): जी नहीं।

श्री रामगोपाल : आपने उत्तर तो बहुत सीधा दिया है लेकिन जब मैं सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन करूंगा तो मुश्किल होगी और माननीय वन मन्त्री जी को जवाब देना पड़ेगा। 9 जनवरी, 1975 को माननीय राज्य वन मन्त्री जी का दौरा हुआ था....

एक माननीय सदस्य : आप ही ले गए थे।

श्री रामगोपाल : उस समय जो लोग वहां पर पड़े हुए थे, आठ वर्षों से किसान वहां जो पड़े हुए थे, उनके पास चारा नहीं था, आटा भी नहीं था फिर भी उन लोगों को लकड़ी लाने के लिए वन मण्डल अधिकारी जी ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद में फिर लगातार मैंने हाउस में भी, जब फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की डिमाण्ड चल रही थी, कहा था कि वन मन्डल अधिकारी ने वनों के राष्ट्रीयकरण की नीति को फेल किया है और राज्य सरकार का निर्धारित कोटा था उसको पूरा नहीं किया है। उसके बाद में लगातार जो जो शिकायतें लोगों ने की थीं मैं बराबर राज्य सरकार को और मन्त्री महोदय को देता रहा हूं। मैंने बड़े से बड़े आरोप लगाए हैं, इसने बड़े-बड़े ठेकेदारों से रिश्वत ली है और राष्ट्रीयकरण के काम को फेल किया है। इस अधिकारी ने लगातार रिश्वत ली है और इसके कारण किसानों को जलाऊ लकड़ी लाने में बड़ी परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष : कोई स्पेसिफिक मामला हो तो बता दीजिए।

श्री रामगोपाल : मैं कहता रहा हूं लगातार। मैं पूछना चाह रहा हूं मन्त्री महोदय से कि लगातार इस अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं रिश्वत के और लिखित में भी दिए हैं, उनके ऊपर मन्त्री महोदय ने क्या जांच की ? और अब मैं आरोप लगा रहा हूं, उसकी माननीय मन्त्री क्या जांच करायेंगे ?

श्री मीठालाल : बस, मालूम पड़ गया।

श्री शंकरसिंह रावत : क्या जो जो बातें बताई गई हैं वह सही हैं ? आप यह बता दें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं। क्या राज्य सरकार ने शिकायतें होते हुए भी कर्मचारी महोदय का वहां से तबादला नहीं किया है ? अगर किया है तो क्या रोका गया है ? इसका उत्तर सदन के सामने देने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द मीणा : जैसा माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैं शाहबाद क्षेत्र में जब दौरे पर था आपने यह शिकायतें काश्तकारों के द्वारा मेरे सामने रखीं—यह सही है, शिकायतें मेरे सामने आने के बाद मैंने मुख्य वन संरक्षक को हिदायत दी। उन्होंने इस मामले की जांच की। वहां से टिप्पणी प्राप्त हुई, उससे साबित

Page No 18

(18)

(श्री मूलचन्द मीणा)
होता है कि उन्होंने इसे निर्दोष ठहराया है।

दूसरे जो वन मण्डल अधिकारी ने स्वयं जांच की, उनको भंवरगढ नाके पर कुछ काश्तकारों ने शिकायत की कि यह हमसे दुगना रुपया लेता है, जब कि तीन रुपये प्रति गाड़ी रॉयल्टी होती है। उन्होंने फौरन नाकेदार को सस्पेण्ड किया और जांच की, लेकिन यह मामला साबित नहीं हो सका।

पंचायत समिति अटरू के प्रधान ने शिकायत की कि हमसे दुगुनी रकम ली जाती है प्रति गाड़ी। उसकी जांच की। वह भी साबित नहीं हो सकी।

श्री मोठालाल : बस-बस। बहुत है।

श्री मूलचन्द मीणा : इसके बावजूद बार-बार शिकायतें आने लगी तो उपयुक्त यह समझा गया कि शिकायतें एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को सौंप दी जायं और वह जांच करके वास्तविक स्थिति को सामने रखे। जैसा कि माननीय सदस्य की आपत्ति थी कि गाड़ियां नहीं दी जाती हैं तो मैं उसके प्रति निवेदन करना चाहता हूं 1974-75 के अन्दर 5981 गाड़ी जलाऊ लकड़ी काश्तकारों को दी गई। 1975-76 में लगभग 6050 गाड़ी जलाऊ लकड़ी देने का अनुमान है। इसलिए मैं यह अनुमान लगाता हूं कि उन्हें विशेष कष्ट नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहूंगा, सारी पब्लिक की तरफ से शिकायतें आती हैं और आपका जांच अधिकारी बार-बार कहता है निर्दोष है। ऐसा प्रशासन आप कब तक चलायेंगे? अन्त में सारा जनता झूठी है और जांच अधिकारी है वह सही है। यह एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है? वह जांच अधिकारी कौन था और उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? यह सही है कि चोरी होती है और नाके पर पैसा देते हैं वह ऊपर तक जा रहा है। आखिर किस बात से उसे निर्दोष पाया गया? उसके खिलाफ एक आदमी की शिकायत नहीं है, चारों तरफ से शिकायतें हैं। मैं जानना चाहूंगा कि किस ढंग से प्रशासन आप करना चाहते हैं?

श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी ऐसा होता है। वन विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी भी विभाग में नहीं है। सरकारी फीस रुपया, सवा रुपया है लेकिन नाकेदार दस रुपये तक लेता है। सैंकड़ों काश्तकार नाके पर आते हैं, उनका खाने का आटा खत्म हो जाता है, बैल की घास खत्म हो जाती है। इस तरह जलील करता है काश्तकारों को। काश्तकार देखते हैं, सैंकड़ों ट्रक कोयले के, लकड़ी के जा रहे हैं और किसानों को जलाऊ लकड़ी लाने में तकलीफ हो रही है। मैं निवेदन करूंगा, इस वन विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उतना किसी में नहीं है, 90 प्रतिशत इसमें भ्रष्ट हैं, इन्हें कम्पलसरी रिटायर करना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : काफी को किया है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जांच अधिकारी सच्चे हैं और

(श्री पी. के. चौधरी)
सारी जनता झूठी है इस बात की जांच होनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री को एक बार मैं बूंदी भी ले गया । हमारे वहां के वन अधिकारी के और वहां के सारे जंगल विभाग के गार्ड के विरुद्ध एक के बाद एक शिकायत होती है लेकिन आज तक किसी प्रकार की रोक नहीं हुई है । यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एम. एल. एज. ने इस प्रकार की शिकायत की । क्या ब्यूरोक्रेसी के आधार पर ही सरकार चलना चाहती है, इसलिए ही वह निर्दोष कह देती है ? Government has failed to find out the reasons; मैं निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री जी ने अपने आधार पर जाच क्यों नहीं की ? एम. एल. एज. पर डाइरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मन्त्री जी के प्रति है । जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, इनको ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता । इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो । आप सदन में कहते हैं कि वह निर्दोष है । इसका बहुत अफसोस है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहूंगा मन्त्री महोदय से, जब उस इलाके के माननीय सदस्य पंचायत समिति के प्रधान, वहां के दूसरे अन्य व्यक्ति, जो जिम्मेदार हैं, ने इसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की और राज्य सरकार जांच करके निर्दोष पाती है तो क्या यह उपयुक्त नहीं है कि उसकी दुबारा निष्पक्ष इन्क्वायरी कराई जाय और इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आगे के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं । माननीय सदस्य भाषण करने लग जाते हैं, प्रश्न पूछते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आभारी हूं, आपने यह बात कही ।

श्री करणसिंह : वन अधिकारी के खिलाफ जितनी शिकायत आती हैं वह टीप होकर आती हैं या वैसे ही आ जाती हैं ?

वन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध जलाऊ लकड़ी के सम्बन्ध में, रिश्वत के सम्बन्ध में था । नाकेदार के विरुद्ध कुछ शिकायतें डी. एफ. ओ. के पास आईं, उनको जांच करने पर निराधार पाया ।

एक माननीय सदस्य : वह खुद भ्रष्ट हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक डी. एफ. ओ. का प्रश्न है, उसके विरुद्ध शिकायतें, जिसमें जलाऊ लकड़ी का सवाल था, मुझे भी दी हैं, मुख्य मन्त्री जी को एप्लीकेशन दी है और प्राईम मिनिस्टर को भी एप्लीकेशन दी है । वह एप्लीकेशन, जिसमें और भी एलीगेशन्स हैं, एन्टीकरप्शन को दे दी गई । उसमें तेंदू पत्ते का भी मामला है । तेंदू पत्ते की दूसरी शिकायतें सी. एफ., ए. सी. एफ. के खिलाफ और अग्रवाल, डी. एफ. ओ. के विरुद्ध हैं, वह एन्टी करप्शन में ऑलरेडी दे चुके हैं । यह इन्क्वायरी डी. सी. सी. एफ. कर रहा

(श्री परसराम मदेरणा)
था, सी. सी. एफ. ने कुछ मुद्दों पर इन्क्वायरी की है, जिसमें खासतौर से जलाऊ लकड़ी की शिकायत का पार्ट था, उसमें कहा है, उसके खिलाफ एलीगेशन प्रूव नहीं हुए हैं। यह एन्टी करप्शन को दे दिये गये हैं और एन्टी करप्शन के एस.पी. को स्पेशल तौर पर जांच अधिकारी लगाया गया है। मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में मेरी दो दफा बात हुई है। उन्होंने एन्टी करप्शन के एस. पी. का बुला कर कहा है। जहां तक जन प्रतिनिधियों को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में छोड़ने का प्रश्न है, इस क्षेत्र के रहने वाले जन प्रतिनिधि कहते हैं, यह अच्छा डी. एफ. ओ. है। राज्य सरकार ने, जो भी कम्प्लेन्ट आई, तेंदू पत्ते के बारे में थी, आठ-दस में इन्क्वायरी चल रही थी, वह सब एन्टी करप्शन को दे दी है और उनके ऑफिसर जांच कर रहे हैं। जांच में जिसे भी दोषी पायेंगे उसको छोड़ा नहीं जायगा। आपने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन ऊपर तक है। आप स्पेसिफिक बता दीजिये कि कहां तक जा रहा है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मिनिस्टर तक नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विभाग का ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा हूं कि करप्शन नहीं है। काफी आदमियों को कम्पलसरी रिटायर किया गया है। मैं ऑफिस से बराबर एम्फेसिस देता रहा हूं कि करप्शन टोटली खत्म होना चाहिए इस डिपार्टमेंट से और अगर स्पेसीफिक कोई शिकायतें हों तो निश्चित तौर पर किसी के खिलाफ रियायत नहीं बरती जाएगी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि 10 रुपये लकड़ी की बात है। 10 रुपये लकड़ी देने वालों को क्या इन्ट्रेस्ट है, 10 रुपये देने वालों का कन्सेशन दिया हुआ है लेकिन बात यह है कि जलाऊ लकड़ी के नाम से बहुत शिकायतें आई हैं, जिसके अन्दर गार्ड्स को मार दिया गया है जब भी उन्होंने रोकने की कोशिश की है। They have been killed. लोग अन्दर आकर जलाऊ लकड़ी के नाम से दूसरी लकड़ी लेना चाहते हैं। जलाऊ लकड़ी जैसे डूंगरपुर से कोई 10 मील दूर है, आदिवासियों को कन्सेशन दिया गया है वे काटते गए। काटते-काटते 5-7 मील के एरिया में कोई लकड़ी नहीं है। जब अन्दर जाते हैं तो जलाऊ लकड़ी के लिए कहते हैं फिर सूखी बताते हैं। वन विभाग कहता है कि हमारा अकेला आदमी होता है, उसे किसी को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। करप्शन जहां कहीं भी है और किसी भी कारण से है जैसे आप कर रहे हैं 10 रुपये वाली बात, मैं खुद उसकी जांच कराऊंगा और अगर इस प्रकार की शिकायतें हैं तो राज्य सरकार का दायित्व है कि इस करप्शन को स्टॉप ही नहीं करे बल्कि एबोलिश करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मेरा निवेदन है कि कुछ लोगों की आवाज दबा दी जाती है विशेष कर महिला वर्ग की, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती, विशेष रूप से महिलाओं के प्रश्नों के लिए ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महिलाओं के विशेषाधिकार होंगे लेकिन मेरे सामने सबको समान

(श्री अध्यक्ष)
अधिकार हैं और 12 बजे ठीक, चाहे महिला का प्रश्न हो, चाहे पुरुष का हो, मैं बंद कर देता हूं। इसलिए आपके अधिकार का हनन नहीं किया गया है।

श्री गोपाल जोशी : सामने वाली घड़ी आगे है।

श्री अध्यक्ष : इसी घड़ी (सरकारी पक्ष) से हम आए हैं और इसी से काम शुरू किया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन के विकास पर व्यय

49. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी वन भूमि है ?

(2) सन् 1975 में वनों के विकास के लिये कितने रुपये खर्च किये गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार वनों के विकास के बारे में क्या विचार रखती है और इस वर्ष कितनी रकम खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 35891 वर्ग किलो मीटर वन भूमि है।

(2) वर्ष 1975-76 में नवम्बर, 1975 तक 103-09 लाख रुपये व्यय किये गये। जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) वन विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी संलग्न है। वर्ष 1975-76 में वनों के विकास के लिए 276.22 लाख रुपये व्यय का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

लालसोट तहसील में देवस्थानों के मंदिरों की भूमि का पुजारियों द्वारा बेचान

50. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कोई सर्वे कराया है कि लालसोट (जयपुर) तहसील में कितने देवस्थानों के विभिन्न मन्दिर आदि की भूमि को उनके पुजारियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान अथवा गिरवी रख दिया है ? यदि हां, तो गांव वाइज पूर्ण सूची मन्दिरवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने इस प्रकार की भूमि के बेचान पर निश्चित पाबन्दी लगा दी है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ? क्या सरकार पहले बेची अथवा गिरवी रखा भूमि को पुनः देवस्थानों को दिलवाने के बारे में कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसा सर्वे नहीं कराया है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) इस प्रकार की भूमि के बेचान पर पाबन्दी लगाने हेतु टेनेन्सी एक्ट में प्रावधान करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिन मूर्तियों का नामान्तरकरण बजाय मूर्तियों के उनके शिवालयों या पुजारियों के नाम कर दिया गया है उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत कार्यवाही करने हेतु जिलाधीशगण को दिनांक 15-11-69 को आदेश दे दिये गये हैं।

भारत-पाक युद्ध के कारण श्री गंगानगर जिले में खरीफ की फसल को नुकसान

51. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भारत-पाक युद्ध, 1971 के कारण गंगानगर जिले में खरीफ की खड़ी फसल को कितना नुकसान हुआ और राज्य सरकार ने केन्द्र से मुआवजे के रूप में कितनी राशि की मांग की थी? केन्द्र ने कितनी राशि दी और आज तक राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की कितनी राशि का वितरण किया गया?

उत्तर

भारत-पाक युद्ध, 1971 के कारण गंगानगर जिले में खरीफ की फसल को 1,47,00,560 की राशि का नुकसान हुआ है जिसका मुआवजा वितरण हेतु केन्द्रीय सरकार से इस राशि की मांग की गई है। केन्द्रीय सरकार ने 136 लाख रुपये की राशि दी है। जिलाधीश, गंगानगर द्वारा अब तक 53,04,220 रुपये का वितरण किया जा चुका है।

जालोर जिले में सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का आवंटन

52. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में सीलिंग कानून (नया एवं पुराना दोनों के अन्तर्गत) के अन्तर्गत काफी जमीन निकली है? अगर हां, तो दोनों कानूनों के अन्तर्गत कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि भूमिधारियों की निकाली गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत निकाली गई भूमि का आवंटन भूमिहीन काश्तकारों में पूरा अभी तक नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? आवंटन का पूरा कार्य कब तक करवा दिया जावेगा?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत निकाली गई आवंटित जमीन का वास्तविक कब्जा भूमिहीन काश्तकारों को कई स्थानों पर अभी तक नहीं दिया गया है? अगर हां, तो कहां-कहां पर एवं क्यों? अब उनका कब्जा कब तक करा दिया जावेगा? ऐसी आवंटित भूमि का अनुसूचित जाति एवं जन जाति, कृषि श्रमिकों एवं अन्य छोटे काश्तकारों को किस अनुपात से आवंटन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह सत्य है कि सीलिंग कानून के तहत एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत जिला जालोर में हजारों मामले पेंडिंग हैं ? अगर हां, तो किस-किस तहसील के कितने-कितने किस किस के मामले कब से पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें। उनका निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में विशेष रूप से नेपड क्षेत्र में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा सैकड़ों मामलों में अभी तक नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनका कब्जा कब तक दिलवा दिया जावेगा ?

(6) क्या यह सत्य है कि नेपड क्षेत्र का तरमीमी कार्य ज्यादा होने से ठीक तरह से लैंड रिकार्ड तैयार नहीं हो पाया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब तरमीम के लिये विशेष सेटलमेंट की पार्टी भिजवा कर तरमीमी कार्य शीघ्र करवा कर लैंड रेकार्ड शीघ्र ठीक करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(7) क्या यह भी सत्य है कि नामान्तरकरण के हजारों मामले जिला जालोर की तहसीलों में काफी अर्से से पेंडिंग पड़े हैं ? अगर हां, तो कहां-कहां पर कितने कितने मामले निपटाने शेष हैं ? उनका निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

अलवर जिले में भूमिहीनों को काश्त की भूमि का अलॉटमेन्ट

53. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीनों को काश्त की जमीन अलॉट करने के विशेष अभियान में किस किस चुनाव क्षेत्र या तहसील से कितनी कितनी जमीन अलॉट की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस अलॉट की हुई जमीन में से किस-किस तहसील से किस-किस को अलॉट की हुई जमीन किस कारण से कैंन्सिल कर दी गई ? कृपया सूची मय आज्ञा की प्रति के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त अलॉट की हुई जमीन में से किस-किस अलॉटी को कैंन्सिल करने के नोटिस किस-किस बिना पर दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

कोटा में काश्तकारों को जंगल से सूखी जलाऊ लकड़ी

54. **श्री शिवनारायण (बारां)**: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में जंगल से सूखी जलाऊ लकड़ी अन्ता, बारां, मांगरोल, अटरू तथा सांगोद आदि तहसीलों के काश्तकारों को मिलती आ रही थी ?

(श्री शिवनारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष सूखी जलाऊ लकड़ी उपरोक्त तहसीलों के काश्तकारों को नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इस समस्या को राज्य सरकार किस प्रकार सुलझाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। काश्तकारों को जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा वनों में सूखी लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर दी जा रही है।

चाकसू एवं फागी तहसीलों में पास बुकों का वितरण

55. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितनी पास बुकें वितरित की गई ?

(2) तहसील चाकसू एवं फागी में किस किस गांव में कितनी पास बुकें वितरित की गई तथा कितनी बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बाकी पास बुकों का वितरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 1,81,388 पास बुकें वितरण की जा चुकी हैं।

(2) ग्रामवाइज सूची संलग्न है।

(3) शेष पास बुकों का वितरण मार्च, 76 के अन्त तक कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में 21 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु गठित समिति

56. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये राज्य स्तर पर जो समिति गठित की गई उसके कौन-कौन पदाधिकारी और सदस्य हैं ?

(2) उक्त समिति की कितनी बैठकें कब-कब हुई और उक्त बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

(3) उक्त निर्णयों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 5-11-75, 15-11-75 एवं 18-12-75 को सम्पन्न हुई। विवरण संलग्न है।

(3) सम्बन्धित विभागों के द्वारा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटपूतली में लेक हाउस के मकानात व कृषि की जमीन

57. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली में लेक हाउस के मकानात सरकार ने कितने रुपये किराये

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
पर लिये हैं तथा उक्त किराये में कौन-कौन से मकान व जमीन शामिल हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मकानात के साथ की काश्त की जमीन किराये में शामिल नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त लेक हाउस की काश्त की जमीन नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो किस कानून के तहत तथा किस के आदेश से ? आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त काश्त की जमीन व मकानात लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस उपयोग के लिये ?

उत्तर

(1) यह लेक हाउस जागीर पुनर्ग्रहण के समय से सरकार के कब्जे में है और 50/- मासिक इसका किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कूता गया है । किराये में लेक हाउस की मेन बिल्डिंग, दो आउटर सर्वेन्ट्स क्वार्टर व चारदीवारी के भीतर की जमीन शामिल है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । भवन के आस पास की भूमि को खाली पड़े रखना उचित न समझ कर उसे काश्त हेतु नालाम कर दी जाती है । आवास की भूमि की चारदीवारी के अन्दर की गई काश्त की जमीन की नीलामी के कोई नियम नहीं हैं । परन्तु राज्य की आय बढ़ाने की दृष्टि से उप-जिलाधीश नीलामी की कार्यवाही करते हैं ।

(4) मामला विचाराधीन है । निर्णय होने पर आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है ।

राजस्थान में लघु उद्योग

58. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने लघु उद्योग धन्धे खुले हुये हैं ? और उनमें कुल कितने आदमी बेरोजगार हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार का तरफ से इन उद्योगों को कितना-कितना कर्जा इस हेतु जिलेवाइज दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में राजगढ़ कस्बे के किस-किस ग्राम में क्या-क्या लघु उद्योग किस-किस व्यक्ति ने कितने-कितने वर्षों से खोले हुये हैं और सरकार का उन पर कितना-कितना कर्जा कब से दिया हुआ है ? सूची खुलासा रूप से सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 30-9-75 तक 18,626 लघु उद्योग स्थाई रूप से पंजीकृत थे तथा 1,20,366 व्यक्ति बेरोजगार थे जिनकी सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) दिये गये ऋण की जिलेवार सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 26

(२६)

शिक्षित बेरोजगारों को सहायता

59. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्य सरकार को कितनी राशि वर्ष 1972-73, 1973-74 व 1974-75 में आवन्टित की ?

(2) उक्त आवन्टित राशि के सम्बन्ध में किस विभाग अथवा निगम द्वारा क्या क्या योजनायें बनाई गई ?

(3) उक्त बनाई गई योजनाओं से कितने बेरोजगार शिक्षित एवं तकनीकियों को लाभ मिला ? कृपया जिलेवार एवं वर्षवार विगत बताने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि कई बेरोजगार इन्जीनियरों को उद्योग चलाने हेतु उक्त राशि में से कुछ राशि का आवन्टन किया गया ? यदि हां, तो किस जिले में कितनों को ? कृपया यह भी बतायें कि क्या उनके उद्योग वर्तमान में चल रहे हैं अथवा बन्द पड़े हैं ?

उत्तर

(1) शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 72-73 में 70.00 लाख रुपये, 73-74 में 51.00 लाख रुपये तथा हाफ-ए-मिलीयन जॉब प्रोग्राम 1973-74 के अन्तर्गत 73.46 लाख रुपये व रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम (एम्प्लायमेन्ट प्रमोशन प्रोग्राम) 74-75 के अन्तर्गत 30.15 लाख रुपये आवन्टित किये गये।

(2) सूची "क" सदन की मेज पर रख दा गई है।

(3) सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

मार्जिन मनी ऋण का आवंटन वर्ष 1974-75 से ही बेरोजगार इन्जीनियरों को किया गया था अतः उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टौंक शहर में लघु उद्योग संस्थान

60. श्री अजीतसिंह (टौंक): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक शहर में बन रहे लघु उद्योग संस्थान में कितने प्लॉट काटे गये हैं ?

(2) प्लॉट किस-किस को अलॉट किये गये हैं ? कृपया ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) टौंक शहर में बन रहे औद्योगिक क्षेत्र में 45 प्लॉट्स काटे गये हैं।

(2) ब्यौरेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

Page No 27

(27)

जालोर जिले में पशु एवं भेड़ बकरियों में बीमारियां

61. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जिला जालोर में सैकड़ों पशु एवं भेड़-बकरियां बीमारियों से मर गई हैं ? अगर हां, तो किस-किस तहसील में कितने-कितने पशु एवं भेड़ बकरियां बीमारियों के कारण किस-किस ग्राम में मरी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। ऐसे पशुओं एवं भेड़-बकरियों के मरने की शुमारी करने के संबंध में विभाग की क्या व्यवस्था है ? अब तक अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार अब इस प्रकार की व्यवस्था करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त बीमारियों की रोक-थाम के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है एवं भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही की जा रहा है ?

(3) क्या यह सत्य है कि पशुपालन विभाग के चिकित्सालयों में मौजूदा समय में बीमारियां बढ़ने पर भी ज्यादा दवाइयां सप्लाई नहीं की जाती हैं एवं पुराने बजट के अनुसार ही दवाइयां सप्लाई की जाती हैं ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार मांग के अनुसार शफाखानों में दवाइयां सप्लाई करने का इन्तजाम करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जिला जालोर में ऊंटों में भयंकर बीमारी फैल गई थी ? अगर हां, तो कब ? इस बीमारी का रोक-थाम के लिये विभाग द्वारा इस ओर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? ऊंटों के इंजेक्शन में ब्लैक रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ? ऐसे इंजेक्शन्स की सब जगह ज्यादा उपलब्धि करवाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ? सरकारी अस्पतालों में ऐसे इंजेक्शन्स सप्लाई करने के बारे में सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

(5) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र में सांचोर में चीतलवाना एवं डींगपुरा या सूराचंद में पशु चिकित्सालय खोलने की बहुत आवश्यकता है ? अगर हां, तो ऐसे पशु चिकित्सालय उक्त स्थानों पर कब तक खोल दिये जावेंगे ? सांचोर के मोबाइल यूनिट द्वारा पशु चिकित्सा का पिछले एक साल में क्या-क्या कार्य किया गया एवं पशु बीमारी रोक-थाम का क्या-क्या कार्य किया ? क्या उक्त यूनिट में इलाज के लिये पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध करवाई गई ? सांचोर चैक पोस्ट दवा पशु चिकित्सा के लिये पिछले एक साल में क्या-क्या कार्य किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

केवल पंचायत समिति, सांचोर के गांव बावरलाव छजारा से कुछ पशु (कैटल) मरने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच करने पर मृत्यु का कारण विटामिन्स आदि की कमी पाई गयी। इन गांवों में

(पशुपालन मंत्री)
कुल 61 पशु मरे। जिले में भेड़ें कमजोरी व शीत लहर से मरी जिनकी संख्या 1,447 है। पशुओं के मरने की शुमारी विभाग द्वारा नहीं की जाती है। गांव वालों से तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से ऐसी पूछताछ की जाती है।

(2) उक्त गांवों में बीमारी की रोक-थाम के लिए जिला पशु पालन अधिकारी, जालोर व भेड़ व ऊन विभाग के भण्डार से दवाइयां उपलब्ध करायी गयीं। करीब 17000/- की दवाइयों आदि की इस कार्य के लिए खरीद की गयी। मोबाइल यूनिट, सांचोर, पशु चिकित्सालय, सांचोर, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी आदि ने इसकी रोक-थाम की कार्यवाही की।

(3) पशु चिकित्सालयों को प्रावधान के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी रोगी पशुओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना संभव नहीं है। प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिलों को दवाई की राशि उपलब्ध कराई जाता है। मांग के अनुसार शफाखानों में दवाइयां उपलब्ध करना धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

(4) ऊंटों में त्रिवरसा की बीमारी एक लम्बे अर्से की बीमारी है जो एक विशेष प्रकार की मक्खियों के काटने से रोगी ऊंट से स्वस्थ ऊंट में फैलती है। इस बीमारी के इलाज के लिए एन्ट्रीसाइड व इन्ट्रीपोल औषधि उपयोग में आती है जो कि अपने देश में नहीं बनाई जाती है। यह दवाई आयात की जाती है। जालोर से इसकी सूचना प्राप्त होते ही कुल 150 ऊंटों के लिए यह दवा जिला पशुपालन अधिकारी, जालोर को उपलब्ध कराई गई। यह दवा रोगी पशुओं के लिए ही उपलब्ध कराई जाती है। भविष्य में इस दवाई को उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से आयात हेतु पत्राचार चल रहा है। इस दवाई का ब्लैक रोकने के लिए शिकायत आने पर संबंधित जिलाधीश को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए लिखा जाता है। जालोर से इस प्रकार की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इस दवाई की राजकीय औषधालयों में उपलब्धि आयात पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

(5) धनाभाव के कारण इन स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलना संभव नहीं है। मोबाइल यूनिट, सांचोर द्वारा गत वर्ष में 8,949 पशुओं के टीके लगाये गये। 582 पशु बधिया किये गये, 187 पशु पालकों को दवा वितरण की गयी, 209 पशुओं की चिकित्सा की गई है। उक्त यूनिट को उपलब्ध प्रावधान के अनुसार दवा का वितरण किया जाता रहा है। गत वर्ष सांचोर चैक पोस्ट द्वारा 23,023 पशुओं के माता के टीके लगाये गये।

राजस्थान में सघन पशु विकास योजना

62. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन-किन जिलों में सघन पशु विकास योजना चल रही है? योजना की क्या प्रगति है? प्रत्येक जिले का अलग से विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) बाड़मेर जिले में सघन पशु विकास योजना को चालू करने में राज्य सरकार की ओर से विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? उक्त योजना बाड़मेर जिले में कब तक चालू की जायेगी ?

उत्तर

(1) सघन पशु विकास योजना इस समय केवल बीकानेर जिले में चल रही है। योजना की प्रगति संबंधी तालिका सदन का मेज पर रख दी गई है।

(2) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये).

डिग्गी का कृषि फार्म

63. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक के ग्राम डिग्गी के कृषि फार्म का सालाना बजट क्या है ?

(2) उक्त फार्म पर शुष्क खेती विज्ञान में क्या कोई अनुसंधान चल रहा है ? यदि हां, तो किस-किस खेती के क्या रिजल्ट्स रहे ? ब्यौरेवार बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि साधन व बजट के अभाव में नियुक्त अधिकारियों के पास कोई अनुसंधान कार्य नहीं है और यह फार्म जानवरों को चराने का चरागाह बना हुआ है ? यदि हां, तो क्यों जब कि इस फार्म के चलाने के लिये 1975 के बजट में प्रावधान है ?

उत्तर

(1) राजकीय कृषि फार्म, डिग्गी जिला टोंक सन् 1974 से शुष्क खेती प्रयोग केन्द्र में परिवर्तित हो गया है तथा गत वर्ष सन् 1974-75 में इसका सालना बजट प्रावधान 40,000/- रु. तथा इस वर्ष 1975-76 में 55,750/- रु. का प्रावधान है।

(2) जी हां। इस केन्द्र पर बाजरा, मक्का, ज्वार, दलहनीय फसलें जैसे मूंग, उड़द, चौला तथा तिल, गेहूं, चना, मटर, अलसी, तारा मीरा, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, धनियां आदि फसलों पर असिंचित दशा में विभिन्न जातियों पर उचित उर्वरक, उचित फसल चक्र तथा अन्य शस्य क्रियाएं व जीवाणु खाद के प्रयोग किये गये। इनके नतीजे टोंक, जयपुर और अजमेर जिलों के असिंचित दशा के लिये लाभकारी होंगे। यह केन्द्र चूंकि सन् 1974 से ही प्रारम्भ हुआ है, अभी निश्चित सिफारिश करने के योग्य नतीजे आना शेष है।

(3) जी नहीं। शुष्क खेती केन्द्र में अनुसंधान कार्य करने के लिये साधन व बजट उपलब्ध है। फार्म की दशा 1974 से काफी सुधर गई है। केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मालपुरा के सहयोग द्वारा मिश्रित खेती पर भी अनुसंधान कार्य लिया जा रहा है। जिसके लिए कि जानवरों को चराने के चरागाह की आवश्यकता है।

दौसा-सवाई माधोपुर सड़क का कार्य

64. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा-सवाई माधोपुर सड़क को चौड़ा व ठीक

(श्री मीठालाल मीणा)
करने के लिये राज्य सरकार की ओर से कुछ राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या आवंटित धनराशि का उपयोग हो गया है ? यदि हां, तो किस किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ? उक्त कार्य को पूर्ण नहीं कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लालसोट के पास घाटे में अधूरा कार्य छोड़ने के कारण सड़क और भी खराब हो गई है ? यदि हां, तो उक्त घाटे का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दौसा-सवाई माधोपुर सड़क को चौड़ा व ठीक कराने के लिये राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपयों की राशि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आवंटित की गई थी जिसमें 4 लाख रुपये जयपुर जिला खण्ड के अन्तर्गत आने वाली उक्त सड़क हेतु था ।

(2) पूरी धनराशि का उपयोग नहीं हुआ । केवल 2,30,536) रु. की धनराशि खर्च की गई है । अकाल राहत कार्यों को दिनांक 31-7-75 तक ही चालू रखने के राज्य सरकार के आदेश थे । निश्चित अवधि के बाद अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये । ऐसी सूरत में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । दौसा-सवाई माधोपुर सड़क के सुधार एवं चौड़ा करने की कार्यवाही मेन्टीनेन्स ग्रान्ट के अन्तर्गत चल रही है ।

संस्कृत कॉलेजों के शिक्षक

65. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आचार्य (पोस्ट ग्रेजुएट) स्तर पर हिन्दी विषय न होने से सरकारी कोष पर अनावश्यक भार मानते हुये प्रोफेसर हिन्दी का पद संस्कृत कॉलेज, जयपुर से समाप्त करने के निर्णय को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया और उस पद की डी. पी. सी. कराई गई ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ की डी. पी. सी. की कार्यवाही को निरस्त करने का क्या सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) संस्कृत कॉलेजों में ऐसे कितने शिक्षक हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं के नहीं रखने पर भी उन पदों पर बने हुये हैं ? क्या सरकार संस्कृत शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिये इसके शुद्धिकरण का विचार रखती है ? यदि, हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि महिला वर्ष के दौरान ग्राम दिवराला, जिला सीकर में कन्या संस्कृत विद्यालय खोलने हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि, हां, तो वहां विद्यालय की स्थापना कब तक करने का सरकार विचार रखती है ?

(श्री हनुमानसहाय व्यास)

(4) प्रवेशिका व उपाध्याय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन मान सैकेण्डरी/हायर सैकेण्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के समानान्तर करने हेतु क्या देवपुरा समिति ने सिफारिश की थी? यदि हां, तो उस पर अमल करने के बारे में क्या योजना है?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से संस्कृत कॉलेजों का सम्बन्ध हुये 5 वर्ष से भी अधिक अर्सा हो गया है और अब तक सरकार ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिबन्धों को पूरा नहीं किया है और उसके अभाव में विश्वविद्यालय संस्कृत कॉलेजों का सम्बन्ध समाप्त करने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो अब तक कितने संस्कृत कॉलेजों में विश्वविद्यालयों की शर्तों की पूर्ति की गई है तथा शेष की कब तक कर दी जायेगी? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(6) क्या यह सही है कि प्रवेशिका विद्यालयों के प्रधान आहरण वितरण अधिकारी नहीं हैं और समूचे राजस्थान का चुकारा केन्द्र निदेशालय में है?

(7) क्या यह भी सही है कि संस्कृत विभाग के उप-निरीक्षकों के कार्यालय राज्य में विभिन्न 3 स्थानों पर, कर देने हेतु सरकार ने स्वीकृति दी थी? यदि नहीं, तो उप-निरीक्षकों के कार्यालय राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कायम करके चुकारे की व्यवस्था को सुविधाप्रद बनाने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है और वह शिक्षकों के कल्याण के लिये इसे कब तक दूर करना चाहेगी?

(8) क्या यह सही है कि संस्कृत विभाग के द्वितीय वेतन शृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का अब तक भी अन्तिमीकरण नहीं हुआ है जब कि 300 से अधिक इस ग्रेड के पूरे विभाग के शिक्षक भी नहीं हैं? यदि हां, तो इतने कम व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची का भी अन्तिमीकरण न कर पाने के लिए सरकार किन-किन अधिकारियों को उत्तरदायी मानती है? और कब तक इस सूची का अन्तिमीकरण करा देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर में स्वीकृत प्रोफेसर (हिन्दी) का पद रिक्त है। इस पद के विपरीत व्याख्याता हिन्दी का व्यक्ति कार्य कर रहा है। अन्य कक्षाओं के हिन्दी के व्याख्याता का पद स्वीकृत न होने के कारण उसके विपरीत व्याख्याता को लगा रखा है। इस पद की डी. पी. सी. हो चुकी है। इसे निरस्त किया जाय या नहीं इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी इस विभाग को अभी तक नहीं भिजवाई है। जिन व्यक्तियों की योग्यता में कमी बतलाई गयी थी उनका शिथिलीकरण विश्वविद्यालय द्वारा दिया जा चुका है।

(3) जी हां। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(4) देवपुरा समिति की सिफारिशें अभी शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं हुई हैं

Page No 32

32

(शिक्षा मन्त्री)
अतः इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।

(5) यह सही है कि अधिकांश कॉलेजों में विश्वविद्यालय की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। इन्हें पूरा करने का यथाशीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर उप-निरीक्षकों के कार्यालय स्थापित करना अनार्थिक होगा क्योंकि जिला स्तर पर विद्यालयों की संख्या इतनी अधिक नहीं है।

(8) यह सही नहीं है कि द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची इस कार्यालय के पत्रांक नि. सं. शि./संस्था/ग्रुप 3/74-75/पं. 225/5585-627, दिनांक 1-3-75 द्वारा प्रकाशित की गई थी। उक्त वरिष्ठता सूची को राज्य सरकार अपने आदेश संख्या एफ. 19 (11) शिक्षा/ग्रुप-3/73, दिनांक 29-8-75 द्वारा निरस्त करने के आदेश दिये गये थे जिसके अनुसार उक्त सूची रद्द करके पुनः दिनांक 1-10-75 को अवस्थित अस्थाई वरिष्ठता सूची तथा नि. सं. शि./संस्था./ग्रुप-3/पं.7/75-76/32617-61, दिनांक 1-11-75 को प्रकाशित कर दी गयी है। और इस सम्बन्ध में आपत्तियां भी मांगी गई थीं जिनके प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है और सूची का अन्तिमीकरण शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर के सहायक निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

66. **श्री मोठालाल मीणा** (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर के सहायक निदेशक श्री कृष्णवल्लभ गोस्वामी को एक सहायक अध्यापक प्रत्याशी से 500.00 रु. लेने के आरोप में निलम्बित कर दिया है? यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

(2) क्या यह सही है कि इस विभाग में इस प्रकार के भ्रष्टाचार की आये दिन शिकायतें होने के पश्चात् भी सरकार कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है?

(3) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग को राजस्थान शिक्षा विभाग में शामिल करने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सुजला कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था

67. **श्री दीपंकर** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जसवन्तगढ़ रेल्वे स्टेशन पर सुजला नाम से तीनों संकाय

(श्री दीपंकर)
के भवन बनाये जाकर कॉलेजों की स्थापना की गई है? अगर हां, तो क्या तीनों संकायों के भवन बन कर तैयार हो गये हैं? अगर नहीं हो सके हैं तो दानदाताओं तथा राज्य सरकार के बीच हुये करार के अनुसार कौन दोषी है और उसके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) क्या यह सही है कि बेगाणी विज्ञान कॉलेज भवन का पूर्णरूपेण निर्माण भी नहीं हो सका और उससे पूर्व ही भवन का कुछ संभाग भूमिगत होने लगा है? यदि हां, तो इसके लिये किस विभाग का कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है? तथा बने हुये भवन की मौजूदा स्थिति को बचाने हेतु सरकार ने क्या उपाय सोचा है?

(3) क्या यह भी सही है कि इन तीनों संकायों में पढ़ने वाले ग्रामीण अंचलों के छात्रों के निवास हेतु तापड़िया परिवार तथा तापड़िया परिवार जसवन्तगढ़ तथा श्री नथमल सेठी लाडनूं निवासी ने दो छात्रावास भवनों का निर्माण करवाने की घोषणायें भी की थीं और दोनों छात्रावासों के भवनों की आधारशिलायें भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया द्वारा रखी गई थीं, वे भवन अब तक नहीं बन पाये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) इस क्षेत्र के छात्रों को जो निवास की असुविधा है उसे दूर करने हेतु सरकार क्या उक्त दोनों दानदाताओं से सम्पर्क कर शीघ्र ही छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था कराने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

(5) उक्त तीनों संकायों के पास ही श्री पूनमचन्दजी भूतोड़िया लाडनूं द्वारा एक पुस्तकालय भवन बनाने की घोषणा की गई थी और उसकी भी आधारशिला भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया द्वारा रखी गई थी? यदि हां, तो क्या कारण है?

(6) उक्त तीनों संकायों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये राजस्थान के दानवीर सेठ श्री सोहनलाल दुग्गड़ फतेहपुर निवासी द्वारा किताबों की खरीद हेतु 25,000) रु. का चैक राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था परन्तु वह चैक सरकार ने स्वीकार नहीं किया और वह धनराशि इसी उद्देश्य हेतु दुग्गड़ ट्रस्ट कलकत्ता के पास मौजूद है? यदि हां, तो यह चैक वापिस करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) यह सही है कि इन भवनों का निर्माण करीब-करीब पूरा हो चुका है। स्थिति निम्न प्रकार है—

(अ) 'मोतीलाल बेंगानी कॉलिज, लाडनूं'

श्री मोतीलाल बेंगानी चैरिटेबिल ट्रस्ट व राज्य सरकार के मध्य हुए इकरारनामे में एक विज्ञान महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिये 4,00,000/-ट्रस्ट द्वारा देने का इकरार दिनांक 26-6-67 को हुआ था। इसके साथ ही ट्रस्ट ने 2,00 000/-का चैक भवन निर्माण के लिये दिया था।

राज्य सरकार द्वारा इस भवन को बनाने की स्वीकृति अपने पत्र संख्या एफ. 16 (2) शिक्षा/ग्रुप-1/63, दिनांक 28-9-68

Page No 34

(34)

(शिक्षा मन्त्री)

के द्वारा दी थी तथा साथ में खर्चा भी 2, 00,000/- तक सीमित करने को लिखा था।

ट्रस्ट ने निम्नलिखित राशि चैक द्वारा राज्य सरकार को दी :—

दिनांक 4-3-70 को	1,00,000/-
दिनांक 9-3-71 को	50,000/-
दिनांक 30-3-72 को	25,000-/
	1,75,000/-

इस प्रकार कुल दानदाता द्वारा 3,75,0(0/- की राशि इस भवन को बनाने हेतु आवंटन की जा चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन निर्माण पर 7, 78, 195) खर्च किये गये। इस प्रकार राज्य सरकार अब तक अपने मद से 4,03,195/-खर्च कर चुकी है। इस महाविद्यालय के बाकी कार्य को पूरा करने के लिए 36,000/-की ओर मांग की गई है। लड़कों की संख्या 74-75 में 79 थी। व 75-76 मे 76 है। लड़कों की कम संख्या को देखते हुए उपरोक्त भवन पर्याप्त है।

(ब) ज्ञानीराम हरकचन्द्र सरावगी महाविद्यालय, सुजानगढ़:—

इस कॉलेज को बनाने हेतु राज्य सरकार व दानदाता के मध्य में इकरारनामा दिनांक 4-2-67 को हुआ जिसके तहत दानदाता को 4,00,000/- (चार लाख) इस भवन निर्माण के लिये देने थे। जिसके तहत उन्होंने निम्न प्रकार से राशि दी:—

21-4-67	1,00,000/-
31-3-69	1,00,000/-
26-9-72	1,00,000/-
10-2-73	50,000/-
	3,50,000/-

इस प्रकार दानदाता द्वारा अब तक 3, 50,000/-दिये जा चुके हैं। किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4,00,850/- खर्च किये गये हैं। राज्य सरकार ने इस सत्र में, 1,60,000/- की स्वीकृति दिनांक 6-5-75 को जारी की है जिसमें से 40,00/-रुपये इसी सत्र में खर्च किये जावेंगे बाकी 1,20,000/-अगले सत्र में खर्च में किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार और दानदाता द्वारा हुए समझौते के अन्तर्गत दानदाता में जो 50,000/- आखिरी किश्त बची हुई है वह बची तथा बॉयज फण्ड से 50,000/-मिलाकर दानदाता द्वारा 1,00,000/-खर्च किये जावेंगे।

(2) ऐसी कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) हां। यह सही है कि जसवन्त रेल्वे स्टेशन पर जहां कि विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के कॉलेज चल रहे हैं यहां बाहर के छात्रों को रहने हेतु भी तापड़िया परिवार, जसवन्तगढ़ तथा श्री नत्थामल सेठी, लाडनूं दोनों में दो छात्रावास बनाने की आधार शिला रखते समय घोषणा की थी जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा

(शिक्षा मन्त्री)

दोनों दानदाताओं को पत्र लिखा गया था, जिसमें उनसे प्रार्थना की गई थी कि 102 छात्रों के रहने के छात्रावास बनवायें। इस पर करीबन 5,00,000/- का एक छात्रावास बनाने का एस्टीमेट था, एस्टीमेट की प्रति उन्हें भेज दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा उन्हें यह भी लिखा गया था कि एक-एक लाख रुपया दानदाताओं द्वारा जो दिया जा रहा था उसके लिये दानदाताओं को लिखा गया कि वह रकम बहुत कम है। राज्य सरकार उस समय ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उक्त छात्रावासों हेतु आठ लाख की रकम खर्च कर सके, अतः उन्हें लिख दिया था कि वे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत प्लान के माफिक स्वयं के खर्चे पर छात्रावासों को बना कर देवें। इस संबन्ध में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं किन्तु अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।

(4) इस मामले में दानदाताओं से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

(5) ऐसी कोई लिखित सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(6) इस मामले में पूरे तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध शिकायतें

68. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि पदमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पर झूठा वेतन उठाने की पदमपुर क्षेत्र की जनता की ओर से बार-बार शिकायतें पेश हुई, जो सत्य सिद्ध हुई और इस पर उनका तबादला नोहर किया गया ?

(2) क्या यह भी सच है कि उनको पुनः एक माह के अन्दर-अन्दर वापिस पदमपुर स्थानान्तरित कर दिया गया ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले में दो साल से पूर्व स्थानान्तरण करने के कारण की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पदमपुर में छात्राओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है वरन् माध्यमिक विद्यालय ही है। यहां की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध झूठा वेतन उठाने की पदमपुर क्षेत्र की जनता की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई जो जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) बीकानेर को भेजी गई। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई परन्तु उसमें प्रक्रिया संबंधी कमियां पाई गई। इसलिए मामला पुनः जांच हेतु भेजा गया है। एक माह में रिपोर्ट मांगी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) इनका तबादला राज्य सरकार के आदेश से किया गया था।

जोधपुर नगर में स्कूलों की संख्या

69. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर में राजकीय सैकेंडरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलें कौन-कौन सी कब कब से कार्य कर रही हैं ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(2) जोधपुर नगर में राजकीय अनुदान प्राप्त सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलें कौन-कौन सी कब-कब से कार्य कर रही हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार आगामी शिक्षा सत्र से 10+2+3 वर्ष वाली छात्रों की शिक्षा प्रणाली लागू करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण समापन विधेयक, 1976)

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण समापन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मंत्री) : मैं राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : **पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।** मेरा निवेदन है कि जिस अध्यादेश को आप रिपील करना चाहते हैं वह अध्यादेश माननीय सदस्यों को सप्लाई किया जाए, इस तरह का आश्वासन....

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापन के स्टेज पर डिफीकल्टी नहीं आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिस्कशन से पहले मिल जाए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

श्री गिरधारीलाल भार्गव ! (अनुपस्थित)।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण-अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को एक सप्ताह/एक माह/एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 के बारे में मेरा प्रस्ताव है कि इसे जनता की जानकारी हेतु प्रसारित किया जाए और इसकी वजह यह है कि इसमें शक नहीं कि इस रूप में जैसा यह विधेयक लाया गया है उससे काफी लाभ ऋणी को मिलेगा और ऋण देने वालों को नुकसान होगा। परन्तु केवल आप अवधि बढ़ा दें कि अमुक आदमी पैसा वापस मांगता है तो उसे एक साल के लिए लेने नहीं देंगे। दूसरी तरफ आप दूसरे कानून के जरिए, जो पैसा उधार देता है, जितना देता है उतना ब्याज के रूप में ले लेता है, इतनी छूट देते हैं तो 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए यह जो संशोधन है, यह अधूरा प्रयत्न है। आप मानकर चलें कि गांवों के अंदर 20-25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल खराब है, उन पर ऋण का भार है, उनके पास मकान नहीं हैं, तन पर कपड़ा नहीं हैं, जो बैल या ऊंट हैं वह भी दूसरे की सम्पत्ति हैं, उसके पास गाड़ी भी दूसरे की सम्पति है। तो आप अगर उसे मुक्त कराना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी तरीके से चाहे बैंक से, अपनी 14 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं आप उनसे कहलाइए, पंचायत समिति स्तर पर कहलाइए। अगर नहीं देते हैं तो दिलवाइए। अगर आप उनको पैसा देकर एक बार हिसाब चुकता कर देते हैं और बिना ब्याज जिस तरह से मकान बनाने के लिए हरिजनों को पैसा मिलता है इस तरह से आप उनको रकम देते और किश्तें बांधते तो सही दिशा में कदम होता। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह कर देते कि आपको एक साल तक हम नहीं लेने देंगे और कुछ ऐसी रकमें हैं जिनके लिए अदालत में जाता है, सो जाएगा नहीं। यह रोक लगा दी, इससे काम नहीं चलेगा, यह सीमित मात्रा में निर्णय है। हालांकि यह निर्णय प्रगतिशील है, इससे लाभ और राहत गरीबों को मिली है। वे अपने परिवार और जीवन के बारे में सोच सकेंगे और बंदिश से मुक्त होने पर उनको आगे सरकने का मौका मिलेगा। परन्तु इसमें शक नहीं है कि केवल ऋण वसूली रोकने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा, ऋण मुक्त करने की दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। वह तभी हो सकता है जब सरकार किसी एजेन्सी के जरिए, चाहे भूमि विकास के नाम पर, क्योंकि काश्तकार की परिभाषा आपने मानी है कि जो काश्त करता है, इसलिए विशेष कर छोटे काश्तकार के लिए, भारत सरकार की योजनाएं हैं उनमें से किसी के जरिए दिलाइए, उनको पैसा दिलाइए, ताकि उसका बंदिश और चढ़ने वाले ब्याज और रकम से पिंड छूटे।

वैसे सिर्फ एक साल के लिए रोकने से आपका जो उद्देश्य है कि एक व्यक्ति भारमुक्त हो जाएगा, यह अपनी कल्पना है, उसको साकार रूप देने के लिए कदम उठायें

(श्री दीपंकर)

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस बिल के पास हो जाने से काश्तकार को दीवानी अदालतों की कसरत से कुछ मामलों में राहत तो अवश्य मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने इस बिल से किसान को एक ऐसे तरीके से बोहरे से बचाने की कोशिश की है जिसमें कि बोहरे ने उससे कुछ लिखित में अपने पास नहीं रखा। वह कर्जा हमेशा के लिये माफ हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, गांव में ऐसे कई बोहरे होते हैं जिनके पास किन्हीं कारणों से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं जिसे वह काश्तकारों में कर्ज के रूप में दे देते हैं और उसके लिये किसी में तो कुछ रखा लेते हैं और किसी में कुछ रखते नहीं हैं। तो ऐसे कर्ज अब समाप्त हो गये। इससे काश्तकार को और गरीब वर्ग के लोग हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। पर हमारी तो सबसे बड़ी मांग यह है कि आपका यह सम्पूर्ण निर्णय होना चाहिये कि आज से किसान के अन्दर जो भी पैसा बाकी है वह अब देनदारी समाप्त हो गयी। इसके अलावा आपको चाहिये कि जो आपने एक साल तक के लिये वसूलियां स्थगित की हैं उससे तो काम चलने वाला है नहीं, यह बिल एक अपूर्ण बिल है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि किसान को बिना ब्याज पैसा मिले जिससे कि उसको राहत मिले। अगर आप इस प्रकार की सहूलियतें उसे देने को तैयार नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि उधर तो आपने पूर्ण व्यवस्था उसे उधार पैसे देने की नहीं की है, इधर इस प्रकार के कानून आ जाने से बोहरा उसको अब पैसा देने को तैयार नहीं होता। तो मैं यह चाहता हूं कि आप इसके लिये एक सम्पूर्ण बिल सदन में लाते। चूंकि यह अपूर्ण बिल है अतः इसमें जो कमियां हैं वह दूर हो सकें, इसके लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो काश्तकार को यह मालूम होगा कि सरकार हमारे लिये इस प्रकार की सुविधायें कर रही है, दूसरे उसको और भी राहत मिल सके ऐसे प्रोविजन्स इस बिल में जोड़ सकें जिसके लिये आपको उचित सुझाव भी जनता से प्राप्त होंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस बिल के तहत तो सिर्फ उसी ऋण से काश्तकार को माफी दिलायी है जो कि लिखित में नहीं है। उनको इसके साथ लिखित कर्ज से माफी मिले ऐसी व्यवस्था भी इसमें करनी चाहिये ताकि काश्तकारों को पूर्ण राहत मिले। चूंकि अब हम समाजवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम को भी अमली जामा पहना रहे हैं जिससे कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोग ऊपर उठ सकें, अगर ऐसा नहीं किया तो जिस प्रकार आप एक व्यक्ति पर डेढ़ मन बोझ लाद देते हैं और फिर उसको यह कहते हैं अब तुम 25 सीढियां इस बोझ को उठाकर चढ़ो। तो वह बेचारा व्यक्ति किस प्रकार उस बोझ के साथ ऊपर चढ़ सकेगा? अगर आप उसको सम्पूर्ण मुक्त करा देते हैं तो वह बेचारा आहिस्ता आहिस्ता उन 25 सीढ़ियों को चढ़ सकेगा। अध्यक्ष महोदय, नहीं तो अब गांवों में बोहरों को पता लग गया है कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि उनको उनके पैसे वापिस नहीं मिलेंगे इसलिये वह उनको अब पैसा देते नहीं और इधर आपने उनको बिना ब्याज की रकम दिलाने की आज तक कोई

(श्री दीपंकर)

व्यवस्था नहीं की है जिससे काश्तकार उल्टा परेशानी में फंस गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उसके लिये सरकार की तरफ से बिना ब्याज रकम दिलाने की व्यवस्था करें । नहीं तो वहां पर एक टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है । यह टकराव तभी समाप्त होगा जब कि आप उसे बिना ब्याज ऋण दिलाने की कोई व्यवस्था करेंगे । नहीं तो यह एक समस्या बन गयी है और आपके इस बिल से कोई समस्या का हल निकलने वाला नहीं । हालांकि इससे उनको राहत जरूर मिली है, इसके लिये तो मैं सरकार की सराहना करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं । पर इसके लिये कुछ अधिक चिन्तन हो सके और कुछ अमूल्य सुझाव काश्तकार के हित के लिये और आ सकें इसके लिये आप कुछ व्यवस्था करें । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ताकि कुछ अमूल्य सुझाव आ सकें ताकि सरकार जो कुछ इन तुच्छ लोगों के लिये करना चाहता है वह कर सके ।

श्री मूलचन्द सारिया: अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों को तुच्छ कहना उचित नहीं है, इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री दीपंकर : मेरा मतलब तुच्छ से गरीब लोगों से है । अध्यक्ष महोदय, जो साधनहीन है, उससे है । बस अन्त में इतना ही मुझे निवेदन करना है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ताकि काश्कारों को पूर्ण लाभ हो सके और फिर जो अमूल्य सुझाव प्राप्त हों वह भी इसमें जोड़े जा सकें और फिर एक नया और पूर्ण बिल सदन में लाया जावे जिससे कि काश्तकारों को पूर्ण लाभ मिले ।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो यह बिल लाया जा रहा है इसका सही उद्देश्य क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता है क्योंकि राज्य सरकार ने सिर्फ एक साल के लिये ही वसूलियां स्थगित की हैं । मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो यह ऑर्डिनेन्स जारी किया था उसका मूल उद्देश्य सिर्फ जनता में वाहवाही लूटना ही था । इससे मैं समझता हूं कि काश्तकार को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है । आपने तो ऋण सिर्फ एक साल के लिये स्थगित किया है, उसको ऋण से हमेशा के लिये मुक्ति थोड़ी ही दिलादी है ? आज इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में काश्तकारों की हालत उल्टी दूभर हो गयी है, वहां पर अस्थिरता पैदा हो गई है । आज जो गांवों में छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको बोहरा तो इस ऑर्डिनेन्स के आने के बाद पैसा देने को तैयार नहीं है उसे तो डर है कि उसका पैसा देने को से डूब जायेगा, इधर आपने कोई व्यवस्था ऋण के लिये काश्तकार के लिये की नहीं है । पहले तो, अध्यक्ष महोदय, गांवों में यह गरीब लोग अपना काम निकालने के लिये पैसा ले देकर काम चला लेते थे, लेकिन अब बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । आपने कोई एजेन्सी पैदा की नहीं जो कि काश्तकार को पैसा उधार दे दे और जो एजेन्सी थी उससे आपने पैसा दिलाना बन्द करा दिया है । तो उन लोगों को वहां पर बड़ी कठिनाई हो रही है । उनका काम धन्धा चल नहीं

(श्री अजीतसिंह)

पा रहा है और बेचारे बड़ी दुविधा में पड़ गये हैं। तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये थी, एक तो जो कर्जा उनका था वह पूर्ण माफ करा देते, और दूसरी आप कोई एजेन्सी और क्रियेट करते जो कि उन्हें कर्जा, बीज वगैरह खरीदने के लिये देती ताकि उनको राहत मिलती। नहीं तो आपकी यह क्या व्यवस्था है ? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह बिल अधूरा है और इसमें कमियां हैं, इसलिए इस बिल को पूर्ण करने के लिये, जो कि अधूरा है, जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे और बाद में जो सुझाव जनता से प्राप्त हों उनके अनुसार एक पूर्ण बिल पेश किया जावे ताकि गरीब काश्तकारों को राहत मिले।

(12.15 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो यह बिल लाया जा रहा है, मैं उसको इस प्रकार समझता हूं कि जिस प्रकार कोई मरीज हो और उसका मर्ज कुछ हल्का कर दिया हो। लेकिन आपने उस मरीज की ऐसी स्थिति कर दी है कि न तो वह मर सकता है और न ही वह आराम से जिन्दा रह सकता है। आपने ऐसा कर दिया कि जैसे न तो मरने दूं और न जीने ही दूं। आपने सिर्फ एक साल के लिए ऋण वसूली स्थगित कर दी इससे क्या हुआ कि गांव का बोहरा तो गरीब काश्तकार को पैसा देवे नहीं जिससे वह अपनी काश्त कर नहीं सकता और आपने उसके लिये कोई व्यवस्था की नहीं। यह तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरीब काश्तकार को पैसे न मिलें। अगर काश्तकार लेना चाहे तो भी उसे लेने मत दो। और आपकी व्यवस्था है नहीं। वैसे जैसा कि हमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने हमारे प्रान्त में दो ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण देने के लिये खोले हैं मगर मैं समझता हूं कि सिर्फ इन दो बैंक्स से कोई पूर्ण व्यवस्था हो जायेगी ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ राहत मिले लेकिन जहां सरकार की तरफ से ऋण देने की व्यवस्था नहीं है वहां काश्तकार क्या करेगा। उसे बोहरे के पास जाना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सरकार ने काश्तकार को कह दिया कि ऋण वापिस मत करो लेकिन मैं आपसे आज भी काश्तकार लोगों में ऐसे हैं जो बोहरों को आपके मना करने पर भी पैसे देंगे। क्योंकि उनका व्यवहार इमानदारी का है देंगे नहीं तो उनका काम नहीं चलने वाला। आप तो दे नहीं रहे हैं इधर फसल के भाव एक रुपये के सिर्फ चार आने रह गये हैं जिस किसान ने एक बोरी ग्वार ली थी उस एक बोरी की कीमत चार बोरी ग्वार के बराबर हो गयी है इस प्रकार फसल के भाव गिर गये हैं काश्तकार की हालत तो अत्यन्त खराब हो गयी है। मेरा निवेदन है कि इसके लिये आपको यह करना चाहिए था कि उसका सम्पूर्ण ऋण माफ करा देते और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को पैसा मिल सके ऐसी एजेन्सीज कायम करते। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की ग्रामीण

(श्री मीठालाल मीणा)
जनता 80 से 85 प्रतिशत है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उनको ऋण देने की व्यवस्था आप पहले कीजिये।

आपने सिर्फ एक साल के लिए ऋण समाप्त किया है इसको समाप्त नहीं करने से तलवार तो किसान के ऊपर यों की यों लटक रही है। एक साल बाद देना होगा और आप अगर वास्तव में काश्तकार को राहत देना चाहते हैं तो सिर्फ एक साल तक ऋण स्थगित करने से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे काश्तकार जो इमानदार है पैसा लेकर देने वाले हैं वह तो आपका कानून आज बन जायेगा तो भी देंगे और नहीं होगा तो भी पैसा आपके मना करने पर भी देंगे। जिनकी नियत साफ है उसकी बात करता हूं और जिनकी नियत साफ नहीं है जो ईमानदार नहीं हैं, जो देवाड़ नहीं हैं। जो लोग गुण्डे और बदमाश हैं वह तो देंगे नहीं। जो पहले भी कोर्ट कचहरी होने पर भी नहीं देते थे तो मैं समझता हूं यह आपका कानून सिर्फ गुण्डे और बदमाश लोगों के लिये ही बनाया गया है। वह तो वैसे ही ब्लफ देकर पैसा लेते थे और वापिस करते नहीं थे। मैं समझता हूं आपने एक सर्टिफिकेट उन गुण्डे लोगों को दे दिया कि अब तुमने जिनसे पैसा लिया है उन्हें पैसा वापिस मत दो। इससे तो आपने साहूकार की मौत करदी जो इमानदार काश्तकार है उसको आपने परेशानी में डाल दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो यह कह दिया है कि बोहरों के पैसे मत दो। वह तो ठीक है और आप जबकि काश्तकार को राहत देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा त्याग क्यों नहीं कर देते कि काश्तकार की सभी प्रकार की वसूलियां समाप्त कर दी गई हैं तो थोड़ासा त्याग आप भी करो। आप जनता की आंखों में अच्छा बनना चाहते हैं तो किसान की आज जो भी वसूलियां हैं चाहे सरकारी हैं या और किसी प्रकार की हैं वह सभी वसूलियां समाप्त करा दें तो उन्हें राहत मिलेगी। ऐसा करेंगे तब तो कोई व्यावहारिक बात होगी अन्यथा यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ताकि इस बिल पर जनता भी अपनी राय दे सके और फिर बाद में कोई पूर्ण बिल सदन में लाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य मीठालाल जी ने बातें कहा हैं उनका तो मैं समर्थन करता हूं। उसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो गरीब काश्तकार के कर्जे की वसूलियों को एक साल तक के लिये स्थगित किया है, और ऋण में भी उसकी तीन चार साल की मियाद और बढ़ा दी गई है, इससे मैं तो समझता हूं कि राज्य सरकार ने बोहरों को और पूंजीपति लोगों को बचाया है। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो गरीब लोग हैं जिनकी दो रुपयों से ऊपर इन्कम नहीं है वह बेचारे अपने परिवार का पेट किस प्रकार से पालें ? आज हमारे देश में और प्रान्त में कहीं भी आप जायें, गरीब लोगों की हालत इतनी खराब है कि अगर आप इस प्रकार की वसूलियां स्थगित नहीं करें तो मैं समझता हूं कि इसके बिना

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पूंजीपतियों के पैसे की वसूली होने के कोई चान्सेज अभी इन हालात में नहीं हैं। इस तरह से सरकार ने उन पैसे वालों को जागृत किया है और सचेत किया है। सरकार ने कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की है। और उस कारण स्थिति यह पैदा हो गई है उस किसान के सामने और उस गरीब आदमी के सामने, उपाध्यक्ष महोदय, कि अब किसके पास जाय। क्योंकि यदि भोजन करने के लिये उसके पास अनाज नहीं है तो गरीब आदमी को, जो मनी लैंडर था, उसके द्वारा मिल जाता था, जो किश्तों पर या बाढ़ी पर उसको अनाज देता था, उसको एक तरह से सरकार ने बन्द कर दिया है और दूसरी व्यवस्था नहीं करने के कारण आज किसान और गरीब आदमी के बच्चे बड़ी परेशानी में हैं। यदि उसको कपड़ों की जरूरत होती थी तो बोहरा उसको कपड़ा दे देता था, अनाज देता था, और जरूरत पड़ने पर उसको रुपया भी देता था। सरकार ने उसको बन्द करके किसान के लिये एक जबरदस्त परेशानी पैदा कर दी है। यदि सरकार इसको इस रूप में लागू करना चाहती थी तो पहले उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये थी और कम से कम सरकार को बोहरा के कम्पिटीशन में आकर कुछ राहत देनी चाहिये थी। सरकार को कम्पीटीटर की हैसियत से आना चाहिये था। यदि बोहरा दस पर्सेन्ट, पन्द्रह पर्सेन्ट ब्याज लेता था तो उसकी जगह सरकार को 6 पर्सेन्ट पर कर्जा देना चाहिये था। इन्डिविजुअल बोहरे को हटाया जा सकता था। न तो सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है और न ही सरकार कुछ रुपया पैसा उनको दे रही है। प्रचार इसका इतना किया गया है कि गांव-गांव में इसका बवन्डर मचा दिया गया है। इस बिल में आपने चाहे कैसी ही परिभाषा रखी हो आज देहात में रहने वाले गरीब आदमी को कोई भी ऋण देने के लिये तैयार नहीं होता है। आपने मनी लेण्डर्स को इस प्रचार और बवण्डर के कारण आतंकित कर दिया है ऋण देने से। गरीबों को इस कारण से अब ऋण नहीं मिलता है। सरकार सही रूप से गरीबों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकती है। देश में और हर प्रान्त के गांवों में आज जो व्यवस्था है वह यह है कि बोहरा बच्चा होने से लेकर बूढ़ा होकर मरने तक उस गरीब किसान और गरीब आदमी को ऋण के रूप में बीज देता है, खाद देता है, मजदूरी के लिए व्यवस्था करता है और इस प्रकार से अपने तरीके से एक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था फैली हुई है। उस व्यवस्था को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किये खत्म करके गरीब किसान और गरीब आदमी पर एक जबरदस्त कुठाराघात किया है।

सरकार ने गरीब किसान पर ऐसे समय पर आघात किया है जब की आयातित जिन्सों के भाव बढ़ रहे हैं और उसके द्वारा पैदा की हुई जिन्सों के दाम गिर रहे हैं। सरकार ने मिट्टी के तेल के पैसे बढ़ा दिये। क्रूड के पैसे बढ़ा दिये। किसान की जो लागत लगती है इनके कारण उस लागत के मुकाबले में उसकी चीजों को सस्ते दामों पर खरीदा जाता है। इस कारण किसान की हालत तो और भी गिर जाती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने इस प्रकार से ऐसे समय पर उन गरीबों पर आघात किया है उसका कारण क्या है। जो

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कुछ भी करना था तो आपको पहले ही उसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये थी। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये इस प्रकार भी व्यवस्था करना और इस प्रकार से कानून बनाना गरीबों के साथ बड़ा भारी अन्याय है। क्या राजस्थान सरकार यह मानती है कि ऋण चुकाने के लिये बाध्य नहीं रहेगा और उसके लिये सरकार व्यवस्था करेगी ?

प्रोविजो आपने बहुत लगाये हैं, लम्बी चौड़ी लिस्ट लगा दी है। किसी बैंक ने कर्जा दे दिया, रजिस्टर्ड कम्पनी ने दे दिया पैसा, निगम ने पैसा दे दिया, किसी भी तरह से सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से उसको कर्जा मिल गया, आपने उसको सोने की जंजीर से जकड़ दिया है। तो क्या वह सोने की जंजीर होने के कारण ही उस गरीब के लिए कोई दुखदाई नहीं है ? क्या उस गरीब को उस सोने की जंजीर से कोई पीड़ा नहीं होगी ? सहकारी बैंक द्वारा किसान के ट्रैक्टर को और उसकी हर चीज का अटेच करके गांव के अन्दर उसको लेकर के नीलाम किया जायगा, उसको इस प्रकार जो दण्ड दिया जाता है और पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, क्या वह कर्जा उसको पीड़ादायक नहीं होता है ? अगर आप वास्तव में किसान को राहत ही देना चाहते हैं ता आपको तमाम असुविधा-जनक चीजों को पहले हटाना होगा और तब ही जाकर आप उसको कोई राहत दे सकते हैं। सरकार की ओर से पूर्ति करनी चाहिये गरीब की आवश्यकताओं की। सरकार उस किसान को, जिसके लिये चिल्लाया जा रहा है, कोई राहत तो देना नहीं चाहती और उल्टा इस प्रकार की, बिना किसी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था किये, व्यवस्था कर रही है जो किसान और गरीब के लिये बड़ी ही दुखदाई है।

आपने परिभाषा की है। आपको चाहिये था कि किसी भी संस्था का ऋण हो उसको भी शामिल करना चाहिये था। यह किसान की मदद नहीं है, उस गरीब की मदद नहीं है बल्कि उसके ऊपर कुठाराघात है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये यह व्यवस्था लागू करने के परिणाम स्वरूप जो दुर्दशा हो रही है किसानों की, और आगे होगी, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। गरीब के पास पचास रुपये की कोई चीज है। उसको रख कर भी वह स्थानीय लोगों से दस रुपया कर्जा ले आता था। सरकार के पास क्या साधन होंगे कि वह पचास रुपये की चीज को गिरवी रख कर अपना काम चला सके? इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण को सामने रख कर कानून बनाते तो उचित होता। मैं यह कभी सिफारिश नहीं करूंगा कि किसान को नुकते के लिये यदि रुपयों की जरूरत है तो उसको दिया जाय, मैं यह भी कभी सिफा-रिश नहीं करूंगा कि बाल विवाह आदि में खर्च करने के लिये कर्जा दिया जाय किन्तु मैं यह सिफारिश जरूर करूंगा कि उस किसान के मां बाप आदि की मृत्यु के समय उनको जलाने की व्यवस्था के लिये कर्जा मिले ? यह कौनसा बैंक देगा उसको ? कौन देगा उसको उस समय ? कौनसा सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक देगा उसको यह कर्जा ? भूख से पीड़ित है और वह मरता है और उसके बाल बच्चे मरते हैं तो उसको कौन कर्जा देगा ? कौनसा बैंक

(श्री मूलचन्द सामरिया)

खोल रखा है आपने उसके लिये ? जब आपकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है उसके लिये और उस अघनंगे किसान को उस भूखे किसान को, बोहरे द्वारा भी कर्जा न दिया जाय उसके लिये आपने यह कानून लाकर बोहरे को सावधान किया है। मैं यहा कहूंगा कि आपने तो उल्टी महाजन की मदद की है यह कानून लाकर न कि गरीब किसान की।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला-कुमारी !

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई और श्रीमती निर्मलाकुमारी दोनों के खड़े होने पर) दोनों एक साथ बोलेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : मुझे जल्दी जाना है अतः बहिनजी मुझे इजाजत दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप महिलाओं का ख्याल नहीं रखते, महिलायें आपका ख्याल रखती हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बड़प्पन है।

हमारे सामने कानून पेश हुआ है कि एक साल के लिये कर्जे की वसूली को रोक दिया जाय। इसको यों कहना चाहिये कि एक अल्पकालीन व्यवस्था है। हमारे देश में जो बुराई है उसकी ओर असली तौर से हमारा ध्यान नहीं गया है। एक बुराई तो यह है कि लोग बाग कर्जा देकर अनाप-शनाप ब्याज वसूल करते हैं। पुराना यह सिद्धान्त है कि जितनी पूंजी दे उससे दुगनी वापिस आ जाय। परम्पराओं का भी ध्यान नहीं रखते। आम तौर पर शादी, ब्याह, मृत्यु, इन अवसरों पर आसानी से पैसा मिल जाता है लेकिन उत्पादन के लिये पैसा नहीं मिलता है। हमारे देश में गरीबों की बहुत भारी संख्या है जिनको उत्पादन के लिये पैसा नहीं मिलता है और वे अपनी जमीन, गहना वगैरह गिरवी रखते है और उस गिरवी रखने की एक मियाद होती है और उस मियाद में पैसा वापिस नहीं हो पाता है तो वह कितने ही कीमत की चीज हो खत्म हो जाती है। तो इन सब बुराइयों से बचने के लिये कमजार तबके के लिये कानून बनाना है। राजस्थान में पुराना कानून था उस पर पूरा अमल नहीं हुआ और उसके बाद यह नया कानून आगया। तो मेरे कहने का उद्देश्य है गरीब तबके के लिये कर्ज देने के लिये और उसकी वसूली के लिये एक पूरा पक्का मुकम्मिल कानून बनाना चाहिये। आज समस्या क्या है—कर्जे के लिये बैंकिंग की व्यवस्था है नहीं, गांव-गांव में, और उनका किसी बैंक से सम्बन्ध नहीं है। विदेशों में शायद इस तरह का कर्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं देते हैं। बैंकों के माध्यम से यह होता है, और यह भा नहीं कि उनका पैसा बैंक में ही हो, लेकिन हर एक की सीमा बान्ध देते हैं और उनको उस सीमा का टोकन दे देते हैं, चाहे वह हजार मील पर ही रहता हो, उस टोकन से वह कोई भी चीज खरीद सकता है। यह चीज हमारे लिये तो एक कल्पना की बात है, क्योंकि समाज के किसी वर्ग का बिना कर्ज के काम नहीं चलता है, गवर्नमेंट को भी उधार लेना पड़ता है, राज्य सरकारों को उधार लेना पड़ता है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी उधार लेना पड़ता है, बड़े-बड़े सेठों को उधार

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लेना पड़ता है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उधार लेना पड़ता है। तो इसमें गरीब लोगों को सरलता से ऋण मिल सके, इसके लिये हमने सोचा नहीं है। मैं सोचता हूं यह अल्प कालीन कानून, ठीक है आप लाये हैं, पास किया जाय, लेकिन इस तरह का कानून बनाया जाय तो समाज के जो पीड़ित लोग हैं, समाज के जो शोषित लोग हैं, चाहे उत्पादन कार्यों के लिये लें और चाहे किसी और कार्य के लिये लें, उनको सरलता से मिल जाना चाहिये।

राष्ट्रीयकृत बैंक उधार देता है, को-ऑपरेटिव बैंक्स उधार देते हैं, भूमि विकास बैंक उधार देता है, मतलब हरएक संस्था उधार देती है और लेती है। इसी तरह गांव में अलग-अलग इकाइयां हैं, किसी को-ऑपरेटिव सोसायटी का एक व्यक्ति सदस्य है। मार्केटिंग की भी अलग-अलग सोसाइटियां हैं। तो अब समय आ गया है जब हमको इस पर गहराई से विचार करना चाहिये। इस देश के हर नागरिक के लिये कर्ज की व्यवस्था करें और साथ ही उसकी वसूली की भी व्यवस्था करें तो क्यों नहीं एक बड़ा कानून बनाकर चाहे कोई व्यक्ति छोटा मोटा धन्धा करने वाला हो, चाहे मजदूरी करता हो, चाहे छोटी मोटी दुकान चलाता हो, चाहे हाथ की कारीगरी का काम करता हो, चाहे खेती करता हो और चाहे खेतीहर मजदूर हो सबको सदस्य बनाया जाय, आज यह सोचे बिना पैसा वसूल किया तो चाहे अमानतों के रूप में ही हो, लोगों का इन्ट्रेस्ट नहीं बनेगा। बैंकों के पास भी इतनी पूंजी नहीं है जो सबको उधार दे दें। चाहे को-ऑपरेटिव सोसायटी हो, चाहे बैंक्स हों, और चाहे भूमि विकास बैंक हो, और चाहे सरकार उधार देती हो सबकी एक एजेन्सी होनी चाहिये। और बैंकिंग की शाखाओं के रूप में हो, फिर चाहे भारत सरकार से पैसा मिलता हो, चाहे राज्य सरकार से पैसा मिलता हो, और चाहे बैंक से मिलता हो, और चाहे और किसी संस्था से मिलता हो, उसको ठीक ब्याज पर पैसा मिल जाय और ठीक तरह से उसकी वसूली हो जाय। सबका एक हिस्सा जमा हो जाय। चाहे वह छोटा मोटा कारीगर हो, चाहे लोहे के तालों का निर्माण करता हो, चाहे रंगाई छपाई का काम करता हो उनका सबका एक सामान इकट्ठा हो जाता है और बैंक उस सामान पर ऋण देता नहीं. और होता क्या है, सब उनकी कारीगरी का सामान बेकार हो जाता है। तो मेरा मतलब इस तरह का कानून बनाया जाय कि उनके सामाने के बदले कर्ज मिल जाय। बैंकों से, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, राज्य सरकार से, बैंक शाखाओं के जरिये। उनको कोई कठिनाई नहीं आयेगी, क्योंकि गांवों में जो को-ऑपरेटिव की शाखायें हैं उसमें उनको प्रशिक्षित किया जाय। उसके बाद गांव वालों को जब जरूरत हुई हरएक की सीमा बान्ध दीजिये और वसूली का समय फिक्स कर दीजिये ताकि ग्रामीण लोग भी समझ जायेंगे, वे आसानी से कर्जा उठा सकेंगे और समय पर उसका चुकारा भी कर देंगे। इस प्रकार का कोई कानून बनता है तब तो जनता को राहत पहुंचा सकेंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा उनका काम काज रुक जायगा।

आज यह बात सही है कि गरीबों को कर्जा देने में लोग हिचकिचा रहे हैं। ईमानदार हैं वे तो बिना सूचित किये ही वापिस

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कर देंगे लेकिन जो नहीं देंगे हम उनकी तरफ से पैरवी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज इस समस्या पर पूरा विचार करके किसी तरह का कानून बना कर उनको राहत पहुंचायें ताकि हमारे समाज का जो नया अर्थ-तन्त्र है जिस पर पाश्चात्य देशों ने उन्नति का है—सरलता से कर्जा मिलना, सरलता से वापिस होना और इसमें एक एजेन्सी नहीं करेंगे तब तक पिछड़ा हुआ वर्ग तरक्की के रास्ते पर नहीं आ सकेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी !

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 जो सदन में प्रस्तुत किया गया है इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का मेरा अभिप्राय मात्र तुलनात्मक है कि 20 सूत्री ऐतिहासिक कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिये राज्य सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ व्यक्तियों को अनुसूची में रख दिया गया है जैसे जो सीमान्त कृषक हैं, लघु कृषक, भूमिहीन काश्तकार हैं या गांव में कृषि से जुड़ा हुआ धन्धा करने वाला व्यक्ति है उनके कुछ ऋण एक साल के लिये स्थगित कर दिये जायेंगे। मान्यवर, इस प्रकार का जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं, क्योंकि इसमें एक और पहलू को भी छुआ गया है और वह यह है कि यह बिल अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण व्यक्ति, जो अनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण लेता है, पर रोक लगायेगा। अनुत्पादक ऋण जैसे दहेज देने के लिये, मृत्युभोज करने के लिये उस पर अवश्य अंकुश लगेगा परन्तु एक साल के लिये जो ऋण की वसूली स्थगित की गई है मान्यवर, एक साल में मनुष्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली नहीं है और वह एक साल में कुछ नहीं कर पायेगा इसलिये मेरा सुझाव है इसको तीन वर्ष बढ़ा दिया जाना चाहिये। इससे वह व्यक्ति, जो ऋणी है, भावी-योजना सोच सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकता है। इस बिल के माध्यम से यह बात बताई गई है कि ग्रामीण शिल्पी का अभिप्राय कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय करना है किन्तु गाव में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कृषि से सम्बन्धित नहीं है बल्कि छोटे मोटे कुछ कुटीर उद्योग धन्धे करते हैं जैसे बुनकर हैं कुम्हार हैं ये भी ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटे हैं और उनको भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ऋण हर व्यक्ति के लिये आवश्यक होता है, व्यक्ति ही नहीं संस्था के लिये और यहां तक गवर्नमेन्ट के लिये भी ऋण की आवश्यकता पड़ता है। उन व्यक्तियों के लिये बिल में आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है जा कृषि से सम्बन्धित धन्धा करते हैं। तो इसमें ये शब्द भी अवश्य ही जुड़ने चाहिये। इसके साथ ही इस बिल की धारा 3 में बताया है कि कुछ ऋणों की देयता के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा जैसे सरकारी ऋण हैं। इसी प्रकार से सहकारी समितियों के माध्यम से लिए गए ऋण हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो मैं यह चाहती थी और, मान्यवर, यह सुझाव देना चाहती थी कि ऋण जिन गरीबों ने लिये हैं उनकी आर्थिक स्थिति हर दृष्टि से चाहे वह ऋण साहूकार से लिया हो, चाहे सरकार से लिया हो और

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

चाहे सहकारी समितियों के माध्यम से लिया हो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय ही है। इसलिए अच्छा यही होता कि सभी-प्रकार के ऋण स्थगित कर दिये जाते जिससे कि एक व्यक्ति अपने दिमाग में अपने भविष्य के लिऐ प्लान बना सकता, भविष्य के लिये योजना बना सकता कि निकट भविष्य में कम से कम एक साल तो ऋण की चिन्ता से वह मुक्त हो गया होता और आगे उसे क्या प्लान बनाना है वह इसके बारे में सोच सकता था लेकिन इस प्रकार के ऋणों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।

इसके साथ ही राजस्थान मे जिस प्रकार से सहकारी समितियां चल रही हैं यह तो आप सभी जानते हैं। इसके बारे में बहुत लम्बी बात इस समय मैं नहीं कहना चाहती हूं। केवल यही कहना चाहती हूं कि निरक्षर जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनका इन सहकारी समितियों के माध्यम से कई व्यक्तियों ने नाजायज फायदा उठाया है। इनमें ऐसे व्यक्ति पहुंच गये है जिनको आप वास्तव में साहूकार कह सकते हैं। उन साहूकारों ने अपना जो ऋण है उसकी वसूली करने के सम्बन्ध में इन सहकारी समितियों के माध्यम से काम किया है। वह साहूकार जो कि बिना लाइसेन्स धंधा करते थे उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबों को मय ब्याज के अपना ऋण लेने के लिए ऋण दिलाया और अपना ऋण दिया उसको मय ब्याज के वसूल कर लिया। इस प्रकार की स्थिति बहुत ही भयावह है। यह केवल कल्पना की बात नहीं है। वास्तविकता है। सारे गरीब आदमियों के पास ऐसे ऋणों की वसूली पहुंच गयी है जिसका उपयोग उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं किया। कई बार उस व्यक्ति को झूठे आश्वासन देकर उस निरक्षर व्यक्ति का अंगूठा इस आश्वासन पर लगाया गया कि तुम्हें निकट भविष्य में ऋण मिलने वाला है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक विजय पुर नाम का स्थान है जहां गरीब आदमियों के पास इस प्रकार की वसूलियां पहुंची हैं और वह व्यक्ति बारबार चिल्लाते रहे कि हमने ऋण कभी नहीं लिया है, हमने ऋण कभी नहीं लिया। परन्तु उनकी वसूलियां निरन्तर जारी हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यदि आप एक साल के लिए सहकारी समितियों का ऋण भी स्थगित कर देते तो इससे हो सकता था कि इस प्रकार के जो पूर्व में किये गये कार्य हैं इस प्रकार पूर्व ऋणों के अंगूठे लगाये गये हैं उनकी सही जांच हो सकती।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहूंगी कि केवल एक साल के लिए ऋण स्थगित कर देंगे इससे वास्तविक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यदि हमें इन लोगों को वास्तव में राहत पहुंचानी है तो इसके पेरेलल दूसरी एजेन्सी कायम करनी पड़ेगी। केवल अल्पकालीन समय के लिए कुछ व्यवस्था कर दें और दूसरी पेरेलल एजेन्सी के बारे में नहीं सोचें तो वह हमारी भ्रांति होगी। इसके लिए हमें इसी सत्र में इस बिल को लाना होगा जिससे कि ग्रामीण बैंकों की शाखा हर गांव में खुल सके और यह व्यवस्था हो सके जिससे कि वास्तव में इस प्रकार के ऋणों से व्यक्ति छुटकारा पा सके। तो इस बिल के बारे में मुझे इतनी ही बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति का वर्ग समाज का एक स्वाभिमानी अंग है....

श्री उपाध्यक्ष : अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। अनुसूचित ऋणी के बारे में है।

श्री लूणाराम : हां कमजोर वर्ग के लिए है। वह अपनी मेहनत के ऊपर जीना चाहते हैं। इस कानून के लागू होने से आज स्थिति यह है कि आज कोई भी साहूकार उसको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है हालांकि सरकार ने अभी कोई कर्जा माफ नहीं किया है। उसके बावजूद भी आज बोहरे कहते हैं कि हम तुम्हें ऋण नहीं देंगे क्योंकि सरकार उसे माफ कर सकती है। यह स्थिति होने के कारण इस वर्ग के ऊपर विपरीत असर पड़ा है और विपरीत असर ही नहीं पड़ा है आज इसका फायदा कौन उठा रहा है ? इसका फायदा आज वह उठा रहा है चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों नहीं हो जो समाज के अन्दर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक किसी प्रकार से भी योग्य नहीं है, जो समाज में आज सुशोभित नहीं होते ऐसे आदमी अवश्य फायदा उठा रहे हैं और इसका परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों के अन्दर ऐसे ऋणी लोगों से बातचीत होती है तो वह हर कीमत पर यह कहते हैं कि सरकार कोई भी कानून लाये चाहे माफी के रूप में लाये, चाहे और रूप में लाये हम वह कर्ज खुशी से वापिस लौटायेंगे और दूसरा जो शोषक वर्ग है, बोहरा वर्ग है उनकी तरफ से गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और वह गलत भ्रांतियां यह फैलाई जा रही हैं कि सरकार, जो दूसरों के कर्ज माफ करना चाहती है, ऐसा करके वह एक दूसरे से टकराना चाहती है। अगर ऐसी ही बात है तो सरकार अपना कर्जा क्यों नहीं माफ कर देती है। ऐसी भ्रांतियां भले लोगों के अन्दर फैलाई जाती हैं जिसका हमने जा-जा कर समाधान किया है और हमारी तरफ से कहा गया है कि चाहे वह कुछ भी कहें इस मामले में आपको उन लोगों से छुटकारा मिलना है और इस रूप में मिलना है कि आज जो पैसा लेते हैं तो दूर दृष्टि से देखना है कि इसका नतीजा यह है कि आसानी से पैसा मोसर और शादी और छूछक के नाम से मिल जाता है और नतीजा यह होता है कि कमजोर वर्ग सदा कर्ज में फंस जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वह ऋणी होकर दब जाता है। अच्छा हो उसे कर्ज ही नहीं मिले और जब कर्ज नहीं मिलेगा तो इन कुरीतियों से उसको छुटकारा मिल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एक चीज अवश्य है कि आज इस प्रकार की भ्रांतियां लोगों में पैदा हो गयी हैं और, इसको बहुत व्यापक रूप से प्रचार करके इन भ्रांतियों को एक-एक आदमी को समझाने की आवश्यकता है जिससे यह साबित हो सके कि हम वास्तव में किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं। इस चीज के लिए हमें तैयारी के रूप में आगे आना पड़ेगा और आज सीमान्त कृषक को भी इस कानून में शामिल किया गया है उसके अन्दर भी एक शंका है और वह यह है कि वास्तव में सीमान्त कृषक को एक फायदा मिलने की बात है वह ठीक है लेकिन इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छोटी जमीन दूसरों को दे देते

(श्री लूणाराम)
हैं और वह भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं तो यह चाहता हूं कि सर्वे करा कर ऐसे लोग, जो कर्ज से दबे हुए हैं, के कर्ज की माफी होनी चाहिये, यही व्यवस्था होनी चाहिए। यही मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना था।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की अनुमति से प्रवर समिति को भेजने वाले जो प्रस्ताव हैं वह भी इसी के साथ ले लेता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

"राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/तीन दिन/एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो कृषि श्रमिकों के लिए, सीमान्त कृषकों और स्माल एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनके लिए तथा शिल्पकारों के लिए जो ऋण के स्थगन का विधेयक प्रस्तुत किया है उसके बारे में भी इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रखा है और इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 जो अभी प्रस्तुत हुआ है और 22 तारीख को जो राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण समापन) विधेयक, 1976 आ रहा है मैं तो चाहता था कि दोनों ही साथ में प्रस्तुत होते तो अच्छा होता। क्योंकि यह एक भ्रम भी फैल जाता है कि एक ऋण का स्थगन कर रहे हैं, वह एक साल के लिए कर रहे हैं और दूसरा कानून ला रहे हैं समापन के लिए उनकी ऋण की मुक्ति के लिए। तब यह प्रश्न उठता है कि यह स्थगन वाला कानून क्या असर करेगा, इसका क्या असर होगा, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, यह भी देखने की आवश्यकता हो जाती है। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर जो डेजर्ट एरिया के लिए 3.67 हैक्टर जमीन प्राप्त करता है वह मार्जिनल फार्मर्स के लिए या स्माल फार्मर्स के लिये दुगुना कर दें तो 7.34 हैक्टर हो जाता है और इस प्रकार 3.67 हैक्टर और 7.34 हैक्टर भी हो जाता है तो अगर स्माल फार्मर्स को 46.64 बीघा डेजर्ट एरिया है, 46.64 बीघा स्माल फार्मर्स के लिये यह हो जाता है। अब 46.64 बीघा की जमीन जो आती है वह 46.64 बीघा जमीन अगर कोई किसान रखता है तो कोई भी उसको लाभ नहीं हो सकता है। वह किसान कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वह अनइकोनोमिक होल्डिंग है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पास भी इससे ज्यादा जमीन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

होगी। हमारे यहां जमीन अलॉटमेंट करते हैं तो वह भी 75 बीघा किया जाता है तो इस कानून से डेजर्ट एरिया में गरीब वर्ग के जो लोग हैं न तो उनको लाभ होगा, न अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ होगा, न जन जाति के लोगों को लाभ होगा और न स्माल फार्मर्स को लाभ होगा न मार्जिनल फार्मर्स को लाभ होगा। इसलिये इसकी सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है डेजर्ट एरिया के लिये। मैं यह चाहता हूं कि यह सीमा जो है इसको दुगुना कर दिया जावे, तभी जा करके वह डेजर्ट एरिया के लोगों के लिये फायदे की हो सकती है। इसलिये यह जो प्रावधान किया गया है, ऑर्डिनेंस जारी किया गया है तो ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद में कितने लोगों को, बाड़मेर के कितने लोगों को फायदा पहुंचा यह मैं जानना चाहता हूं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के कितने काश्तकारों का इससे लाभ मिला है। मेरे पास में जो सूचना है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके अनुसार दो या तीन काश्तकारों के अलावा किसी को भी ऋण मुक्ति से लाभ नहीं मिला है। दो तीन किसानों को छोड़ कर किसी को भी रिलीफ नहीं पहुंचा है। तो इस प्रकार का जो कदम उठाया जा रहा है बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, श्रीमती इन्दिरा गांधी जो हमारी प्रधान मंत्री हैं वे चाहती हैं कि गरीब आदमी इससे मुक्त हों और उनके ऋण स्थगन के बारे में एक साल के लिये यह कदम उठाया गया है जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट को लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में हमारे डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह भी लाभ उठा सकें इस दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत करना चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह कानून जो बनायेंगे और ऋण मुक्ति का कानून बनायेंगे क्योंकि उसके बिना कोई किसानों को लाभ नहीं हो सकता और इसके बिना मुक्ति नहीं। अब प्रश्न यह है कि ऋण मुक्ति का कानून आप बनायेंगे तो यह कार्य जो है बहुत ही कठिन कार्य है। इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को और मन्त्री मण्डल को पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। यह कोई आसान कार्य नहीं है। आज पोजीशन यह है कि ऋण मुक्ति कानून भी आप बनायें, अगर किसी भी काश्तकार को जो कि स्माल फार्मर है उनका अगर कर्जा दिया है और कर्जा दे करके कर्जे की कतई भी वसूली नहीं हुई है तो क्या उसको भी कर्जे से मुक्त कर देंगे? किसी ने कर्जा दिया है, ईमानदारी से दिया है, इंट्रेस्ट भी ज्यादा नहीं लगाया है और इंट्रेस्ट ज्यादा नहीं लगा कर उससे वसूली बिल्कुल नहीं हुई है या फिफ्टी पर्सेंट वसूली हुई है तो उन लोगों को कर्जे से मुक्त कर देंगे, यह भी सोचने का प्रश्न है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुगुने से ज्यादा लिया है उनसे जरूरी मुक्ति दिलानी चाहिए और यह जो मनीलैंडर्स एक्ट में भी प्रोविजन है, ऐसे लोगों से तो मुक्ति मिलनी चाहिये, किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए लेकिन जो इस प्रकार के हैं उनको आप किस प्रकार से कर्जे से मुक्त करेंगे, किस प्रकार से उन लोगों को लाभ देंगे। इस एक मोरेटोरियम के रखने से, एक साल के लिए करने से तो कोई विशेष रिलीफ मिलने वाला नहीं है। यह कर्जे से मुक्त होंगे वह किस प्रकार से होंगे, एक बार कर्ज से मुक्त होने के बाद वह फिर कर्जे से ग्रसित नहीं हो जावें....

श्री उपाध्यक्ष : यह सुझाव तो आप जब ऋण समापन अधिनियम, जो आज इंट्रोड्यूज हुआ है, विचारार्थ आए तब दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज जो सुझाव देंगे तो उसका अच्छी तरह से अध्ययन करके उसको वे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये सुझाव तो उस दिन दें आप। Please confine yourself to the subject matter.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं उस दिन भी दे दूंगा। प्रश्न यह है कि ऋण का जो सम्बन्ध है वह उन दोनों के साथ सम्बन्ध है, दोनों का को-ऑर्डीनेशन है इसलिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जब बिल प्रस्तुत करेंगे तो जो मैं सजेशन दे रहा हूं उनको उस बिल में प्रस्तुत करने के लिये उनके दिमाग में और स्पष्टीकरण होगा।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): बिल जो मैंने आज इण्ट्रोड्यूज किया है और जो कल रात को ही आपको सर्क्युलेट कर दिया गया है उस बिल को आपने पढ़ लिया होगा। इसलिए मारेटोरियम, लिक्वीडीशन, ऑफ मनीलैंडर्स और आल्टरनेटिव चैनल ऑफ क्रेडिट इन सब के बारे में आप कह रहे हैं। अभी एक बिल चल रहा है सदन के सामने। यह सही है कि सभी प्रश्न इससे जुड़े हुए है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अभी मोरेटोरियम वाला बिल चल रहा है। अभी स्थगन वाला चल रहा है, ऋण मुक्ति का नहीं है। उस पर जब विचार होगा तब सुझाव दीजिए आप। आपके जो भी वैल्यूएबल सुझाव हैं वे उस सम्बन्ध में हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मैं सुझाव दे रहा हूं वे इससे सम्बन्धित हैं और सम्बन्धित सुझाव ही दे रहा था। मैंने डेजर्ट एरिया के बारे में सुझाव दिया है। इसके बारे में हमको यह भी देखना होगा कि इन ऋणों के बारे में जो स्थगित कर रहे हैं और इसका समाधान भी करेंगे, वह क्या होगा, यह भी एक सोचने की आवश्यकता है। को-ऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया जाय और को-ऑपरेटिव मूवमेंट....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : This is not relevant.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्वेश्चन यह है कि यह सभी इससे सम्बन्धित हैं। अगर स्थगन ही करना है तो फिर क्या कहने को रह जाता है ...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो ऋण समापन से सम्बन्धित सुझाव हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो भी आप कह रहे है उसके अनुसार तो ऋण के बारे में कुछ भी नहीं है व्यूज रखने को। मैंने डेजर्ट एरिया का व्यू रख दिया कि इसको दुगुना कर दिया जाय। लेकिन को-ऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक जो है इन ऋणों को स्थगन करने से कोई विशेष लाभ होने का नहीं है। को-ऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिये अभी पहले 1974-75 में तीस करोड़ रखा था और 1975-76 में पचास करोड़ देने जा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रहे हैं। जो कर्जा है किसानों पर, मैं समझता हूं कि नाइन्टी पर्सेंट जो है महाजनों का कर्जा है। गवर्नमेंट का और दूसरा कर्जा जो है वह टेन पर्सेंट से ज्यादा नहीं है। अब उस नाइन्टी पर्सेंट जो लोगों का कर्जा है उसको सिर्फ स्थगन किया है, जिनके सूट चल रहे हैं उनका किया है, दूसरा कोई स्थगन नहीं किया है। जो दूसरे कर्जे हैं और जिनके सूट चल रहे हैं उन्हीं को स्थगित किया है और वह स्थगन केसेज चल रहे हैं। बहुत ही कम लोगों को लाभ मिला है। तो यह भी देखने की आवश्यकता है कि इन 90 प्रतिशत लोगों को महाजनों के कर्जे से मुक्ति पाना है। उसके लिए आल्टरनेटिव एजेंसी की क्या व्यवस्था है, और इसके लिए पूरी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अगर पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे, ऋण उपलब्ध नहीं करायेंगे, को-ऑपरेटिव एजेंसीज के जरिये से और बैंकिंग एजेन्सीज के जरिये से और रूरल बैंक्स के जरिये से, जब तक यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो कहीं यह स्थिति नहीं हो जाय कि हमारा यह ऋण स्थगन किया हुआ, हमारा ऋण मुक्त किया हुआ यह हमारा प्रयास असफल हो जाय। इसलिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को रेफर करने का मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मेरे स्थान पर पहले रतीराम जी बोलेंगे, उनके बाद में मैं समय ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पहले रतीराम जी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रतीराम !

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राजस्थान अनुसूचित जाति ऋणी (ऋण स्थगन) विधेयक माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। राजस्थान में बीस सूत्री प्रोग्राम को इम्पली-मेन्ट करने के लिए गांवों के ऐसे लोग जो खेती पर कृषि श्रमिक के रूप में गुजारा करते हैं अथवा जो लोग कृषक है या गांवों के अन्दर रहने वाले ऐसे श्रमिक, जैसे शिल्पी हैं, जो कृषि से सम्बन्धित चीजें तैयार करके अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे पिछड़े हुए गरीब तबकों को ऋण से राहत देने के लिए यह इस बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर एक सूत्र रखा है। इस सूत्र की पूर्ति के लिए यहां पर यह बिल प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण कदम स्वागत् योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्तर्गत जो राहत मिलेगी वह ऐसे वर्गों, ऐसे व्यक्तियों को मिलेगी। उसमें मुख्य रूप से तीन-चार बातें रखी गयी हैं। एक तो एक वर्ष के लिए ऐसे सभी ऋणों को स्थगित

(श्री रतीराम यादव)

किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन ऋणों अथवा ऐसे ऋण जिनके ऊपर हैं, जो बिल में बताए हैं उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। दूसरी बात जो इसके अन्दर रखी है, वह यह है कि कोई भी मुकदमा अगर किसी न्यायालय में चले, या उसके विचाराधीन है तो वह भी स्थगित हो जाएगा। तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण जो इसमें है वह यह है कि अगर कोई डिग्री इस तरह की दे दी गयी है तो वह भी वसूल नहीं की जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, चौथी बात यह है कि इस तरह की डिग्रियां आने के बाद और-किश्त अगर बंध गयी है, और किश्त भी मान लो इस अवधि में देय है, तो वह भी रोक दी गयी है और जब यह अवधि पूर्ण हो जाएगी तो जो उसकी अन्धी है वह वसूल की जा सकेगी। इस प्रकार की कुछ बातें अनुसूचित ऋणियों को राहत पहुंचाने के लिए इस बिल के अन्दर रखी गयी है। तो यह एक बहुत अच्छा कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां यह कदम राज्य सरकार ने लिया है, मैं समझता हूं कि किसी सीमा तक हिम्मत का काम किया है। अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो इस बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर, समाज के पिछड़े हुए तबके को राहत देना चाहते हैं जो आज तक शोषित होता रहा, जिनका समाज के अन्दर आज तक कोई स्थान नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को अगर हम राहत देना चाहते हैं, तो इसके लिए जो यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसको मैं एक छोटा सा कदम मानता हूं, क्योंकि इसके अन्दर काफी कमजोरियां छोड़ दी गयीं हैं और इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ बातें सदन के समक्ष रखकर उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। और इसीलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैंने यहां पर रखा है ताकि माननीय मन्त्री महोदय को समय मिल सके और सारे सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करने का मौका मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि इससे यह भ्रम पैदा होता है कि इसमें जो "ग्रामीण शिल्पी" शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे भ्रम लगता है कि जो बिल रखा है, यह राजस्थान के अन्दर, पूरे राजस्थान पर प्रभावशील होगा। दूसरी तरफ केवल ग्रामीण शिल्पी को ही इससे राहत मिलेगी। इसका मतलब यह है कि शहर के अन्दर जो छोटे-छोटे कस्बों के अन्दर, शिल्पी लोग रहते हैं उनको ही इससे राहत मिलेगी। इसलिए यह स्पष्टतः इसके अन्दर होना चाहिये कि यह सारे राजस्थान के ऐसे लोगों पर प्रभावशील होगा या गांव के लोगों के ऊपर होगा, ऐसा अमेन्डमेन्ट इसमें होना चाहिये। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर हमने जो लोग कृषक हैं अथवा सीमान्त कृषक हैं या कृषि श्रमिक हैं, अथवा उनको ग्रामीण शिल्पी कहा है इसमें, वे हैं, इसके अलावा समाज के अन्दर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर हैं जिनको राहत की अत्यन्त आवश्यकता है, जो कि कमजोर वर्ग के हैं। ऐसे लोगों का इसमें जिक्र नहीं है। तो इस बिल का यह मतलब समझें कि ऐसे लोगों का हमारे

(श्री रतीराम यादव)
बीस सूत्री कार्य-क्रम के अन्दर कोई प्रोग्राम नहीं है जिसको कि हम इम्पलीमेन्ट करना चाहते हैं। अगर मैं यह मतलब समझूं कि यह अन्डरस्टुड है तो माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जहां यह ग्रामीण शिल्पी की डेफीनेशन दी गयी है, वहां ऐसे भी जो कमजोर तबके के लोग बच गये हैं, जो गांव के अन्दर अभी रहते हैं अथवा और जो दूसरे लोग हैं मनिहार, चमार, ये जितने भी ऐसे लोग हैं, उनका भी इसके अन्दर स्पष्ट तौर से जिक्र होना चाहिये, समावेश होना चाहिए। तब जाकर के इसकी मंशा पूरी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह है, ग्रामीण शिल्पी इसमें दिया है, इसके अन्दर बड़ा कन्फ्युजन होगा। फिर जाकर न्यायालय में कोई बात आयेगी तो इसके ऊपर निर्भर होगा कि विद्वान न्यायाधीश इसको मानें या न मानें। तो इसलिए इसके अन्दर इनका बाकायदा शिड्यूल बनना चाहिये, वह सूची बननी चाहिये और इसके अन्दर एड होना चाहिये। आगे जैसे जैसे दिक्कत आएगी तो इसको आप अमेन्ड कर लेंगे। परन्तु पूरी तौर पर ऐसी जातियां, वर्ग हमारे सामने अब भी हैं जिनको कि इसके अन्दर शामिल किया जाना चाहिये, वह भी इसमें समाविष्ट होने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर जहां सीमान्त कृषक की परिभाषा की गयी है उसमें ऐसा है कि कौन सीमान्त कृषक होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस परिभाषा के अन्दर जहां उर्वरा, अथवा अर्द्ध उर्वरा जोन, रेगिस्तानी, पहाड़ी इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं, इनका स्पष्ट निर्धारण हो, कौन-कौन से जिले अथवा कौन-कौन से इलाके इसके अन्तर्गत आते हैं, तो वहां के सीमान्त कृषक हैं वह तो स्पष्ट सामने आ जायेंगे लेकिन इसमें सिचाई के क्षेत्रों का स्पष्ट जिक्र नहीं है। कौन-कौन से क्षेत्र इस परिभाषा में आएंगे, इतनी जमीन रखने वाले सिचाई क्षेत्रों के अन्दर हैं तो वे सीमान्त कृषक कहलाएंगे, यह बात भी तय करना न्यायाधीश पर निर्भर होगा। इसलिए इस बात को तय करेंगे कि दो फसली, एक फसली वाला सीमान्त कृषक है अथवा नहरी क्षेत्र का किसान किस तरह सीमान्त कृषक होगा, यह इसके अन्दर कन्फ्यूजन है। तो इसके अन्दर इन क्षेत्रों का भी बाकायदा एक शिड्यूल बनाना चाहिये जिससे यह बात भी स्पष्ट हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो इसमें यह कही गयी है कि किन-किन के ऊपर यह लागू नहीं होगा, कौन से दायित्वों पर, कौन से ऋणों पर इस विधेयक का प्रभाव नहीं होगा। इसमें जहां यह कहा है अन्य बैंकों या पंचायतों वगैरह के दायित्व या ऋण हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारी मन्शा यह है और हम उस तरफ बढ़ भी रहे है, यह बात भी नहीं है केवल ऊपरी दिखावे की बात करते हों, हमारा कदम उस तरफ जा रहा है जिसका संकेत यह बिल है। किस तरह से हम उन शोषक वर्गों से इन शोषितों को बचा पायें और राहत दे पायें। अधिकतर क्या होता है कि जो साहूकार लोग हैं अथवा धनी लोग हैं उन्हीं का ऋण होता है गरीब लोगों के ऊपर। अब यह भी आप जानते हैं कि कई मामलों में यह फर्जी और झूठे होते

(श्री रतीराम यादव)

हैं क्योंकि यह लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है, इनसे कुछ भी लिखा ला और बाद में सामने ले आओ और लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि ऐसे जो मामले आयें उनमें आप यह ऐसा संशोधन कर दें कि अगर धनी वर्ग और गरीब वर्ग के मध्य इस प्रकार का विवाद है ऋण का तो उस पर वह लागू होगा, लेकिन अगर उस तरह के वर्ग के ही बीच में हो तो उस पर यह लागू नहीं होगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) धनी वर्ग और गरीब के बीच में है तब तो उसको लागू होना चाहिये, लेकिन उसी तरह के गरीब लोगों के मध्य हो तो फिर यह लागू नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, किस पर लागू नहीं होगा यह इसी के अन्दर रखा गया है कि कोई मान लीजिए कि ऐसे वर्गों की सेवा करता है और उसके बदले में कोई पारिश्रमिक अथवा वेतन देय होता है तो इस पर भी लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मेरा वही निवेदन है, हमारा दृष्टिकोण वही होना चाहिए। इसलिए इसमें यह संशोधन होना चाहिए कि अगर इस तरह के लोगों, अनुसूचित जाति के, पिछड़े, कमजोर तबके के लोगों के मध्य में इस प्रकार का विवाद हो, इस सम्बन्ध में दायित्व हो, कोई ऋणी है तो उनके ऊपर यह लागू होना चाहिये न कि सब तरह के लोगों के ऊपर। इसलिए जो भी धनिकों और गरीबों के बीच में हो उस पर यह लागू नहीं होना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी खत्म करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, तो इस रूप में यह अच्छा होता। यह तो ठीक है कि आपने इतना किया, लेकिन इसके साथ-साथ कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट भी करते। एक तरफ हम स्थगित कर दें तो समस्या हमारे सामने आयेगी और गरीबों को कौन मदद देगा, कौन कर्ज देगा तो आपको फौरी तौर पर इस तरह का दूसरा इन्तजाम भी करने की जरूरत है ताकि इनका चोर दरवाजे से किसी दूसरे रूप में वही साहूकार, वही धनिक लोग, वही शोषक लोग अधिक सता न सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, कि यह चींटी की चाल का कदम है। यह कदम महत्वपूर्ण जरूर है लेकिन सुस्ती का है। इसलिए अच्छा होता कि स्थगन के बजाय पूरी तरह से ऋण समापन का बिल इसके स्थान पर लाया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसा बिल भी माननीय मंत्री जी ने पुरःस्थापित किया है सदन के अन्दर। इसलिए मेरी यह गुजारिश है, मैं यह कहना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस बिल को प्रवर समिति को दे दें। यह अलग बात है कि आप प्रवर समिति का गठन न करें लेकिन उसको निर्देश किया जाय ताकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम सब को, सदन को, आपको और राज्य सरकार को यह अवसर मिलेगा क्योंकि आगे आप ऋण-समापन का बिल ला रहे हैं, उसमें क्या चीज है, क्या मन्शा है? जैसाकि मैंने देखा है यह बिल और वह बिल बहुत कुछ मिलता जुलता है। कुछ मुद्दे अलग हैं। इसलिए जब दोनों एक से ही हैं

(श्री रतीराम यादव)

तो अच्छा यह होगा कि आप इसको प्रवर समिति में दे दें ताकि उस पर और इस पर मिलाकर विचार करने का मौका मिल सके और उसके बाद इसका अच्छा सुन्दर प्रस्ताव निकाल सकें। तो मैं माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करूंगा कि मेरा जो प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय उसको आप स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज से डूबी हुई जनता को कर्ज से मुक्त करने के लिए इस सदन में एक बिल आज प्रस्तुत है राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक। यह मोरेटोरियम है एक वर्ष के लिये विभिन्न शर्तों के अनुसार और 22 तारीख को ऋण समापन बिल प्रस्तुत हो रहा है। अब सारी की सारी क्लाजेज केवल कुछ क्लाजेज को छोड़कर और सारी की सारी डेफिनिशन्स इसकी और उसकी एक ही प्रकार की है, तो उत्तम तो यह होता, और सदन का समय भी बच जाता, कि हम दोनों बिलों के ऊपर एक ही रोज विचार करते। माननीय मंत्री महोदय से मेरे दल के नेता ने इस सम्बन्ध में बातचीत भी की थी कि एक ही रोज इन दोनों बिलों को लिया जाय, और इस कारण मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 22 से पहले-पहले दे दे। वह तीन दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे दे। उसको यह बिल सुपुर्द किया जाय। और वह दोनों बिलों का एकीकरण करके एक ही बिल सारे राजस्थान में कर्ज से डूबी हुई ग्रामीण जनता के लिए प्रस्तुत करदें।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक संदेह दूर करने का प्रश्न है पुअर पीजेन्ट्स, मार्जीनल पीजेन्ट्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और विलेज आर्टीजन्स को कर्ज के भार से मुक्त करने के लिए, उनका समापन करने के लिये या उनका मोरेटोरियम एस्टेब्लिश करने के लिए, एक वर्ष के लिए, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने उस बात को स्वीकार नहीं किया है कि 22 तारीख को ही इस पर विचार रखेंगे, तो इस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक हो गया है कि जो स्थिति इस बिल के अन्दर मार्जीनल फार्मर के लिए रखी गई है वह स्थिति अपने आपके अन्दर काफी डिफेक्टिव है। वैसे तो जो सीलिंग की केटेगरीज हैं, जिसमें उपजाऊ, अर्द्ध उपजाऊ, पहाड़ी, रेगिस्तानी, अर्द्ध-रेगिस्तानी इन सब की परिभाषा अपने आपके अन्दर डिफेक्टिव है, उसके बावजूद भी कुछ जिलों के अन्दर एरियाज घोषित कर दिये गये हैं इन केटेगरीज के तहत। वैसे तो यह होता कि बजाय इसके दूसरी उपजाऊ की केटेगरी में उन्होंने रखा 0.33 हैक्टेयर, इतने पर होगा, और पुअर फार्मर वह होगा जो इससे डबल से एक्सीड नहीं करेगा ...

श्री शंकरलाल : स्माल फार्मर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्माल फार्मर की वह केटेगरी बताते हैं तो गंगानगर में क्या स्थिति होगी, कोटा में क्या स्थिति होगी और जैसलमेर में इनकी क्या स्थिति होगी ? मैं अधिक समय नहीं लेते हुए कहूंगा, अन्य इस प्रकार की केटेगरीज हैं जैसे विलेज आर्टिजन का प्रश्न है। वह खेती से सबन्धित इम्पलीमेन्टस बनाते हैं या अन्य साधन उपलब्ध कराते हैं। आप सारे राजस्थान का विचार करें। कॉलोनाइजेशन एरिया, नॉन कॉलोनाइ-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जेशन एरिया में जो विलेज ग्रार्टिजन हैं, पठान, जुलाहा, भांभी, कोतवाल, वगैरह लोग हैं, ऐसे लोग जो मृत पशु उठाने का काम करते हैं। यह शिड्यूल सारे राजस्थान का दे दिया जाये तो इस शिड्यूल को प्रस्तुत करने के बाद समय समय पर इस शिड्यूल में कुछ और नाम जोड़ने चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि ऋणी दबे हुए हैं। और उन दबे हुए लोगों को राहत दी जाएगी। कम से कम गंगानगर जिले में जहां सारे मजदूरों की भयंकर दशा है। पहले भी उन बातों को कहा गया है। उनकी औरतों के साथ में किस प्रकार से होता है। उनके साथ बलात्कार किये गये हैं। मैंने पहले भी उसके बारे में बोला है। यह सूरी एक रुपया लेता हैं तो तीन रुपया लिखा जाता है। एक हजार लेता है तो तीन हजार लिखा जाता है। उसमें थानेदार का भी हिस्सा होता है। मुकदमे में जो खर्च होता है, वह भी उसमें होता है। वह उसमें दर्ज किया जाता है। और फिर वह हमेशा के लिए चलता जाता है। सन् 1928 में गंग कैनाल कॉलोनी कायम हुई। 1958 में राजस्थान कैनाल कॉलोनी कायम हुई। आज वहां हजारों ऐसे आदमी मौजूद हैं। 3 लाख की आबादी गंगानगर की है तो 1/5 आबादी उनकी बसी हुई है। सूरी आज भी हैं, उनकी रकम बढ़ती जा रही है और वह मुक्त कभी होते नही हैं। आपका जो क्लाज 3 है। सैलरी के बारे में है, न. 'सी' है।

"any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered to a scheduled debtor."

इस सेक्शन के अन्दर सारे के सारे लोगों को मुक्ति का कोई मार्ग नहीं निकला है। 1957 में आपका कोई एक्ट निकला था। वह इतना कम्प्लीकेटेड था, इसने आज तक मुक्त किया किसी को, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता हूं। कहीं जाकर एप्लीकेशन दो फिर सिफारिश की बात है। 1957 के बाद दूसरा एक्ट आ गया। तो फिर और रूप रूल्स का सामने आ गया। अन्त में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में निवेदन करूंगा। उनके द्वारा सैकड़ों जाली दस्तखत और अंगूठा कराके लोगों के जिम्मे, ऐसे लोग जिनके जिम्मे जमीन नहीं है, बारानी जमीन है, रेगिस्तानी जमीन है, खाद की बोरियां, बीज की बोरियां, उन्होंने रखी हैं। पैसा जमा करते हैं तो पैसा रिकार्ड में जमा नहीं किया जाता है। जमा करता है, उस पर फिर पैसा निकाल दिया जाता है। कई घरों से पुरानी रसीदें निकल रही हैं। रायसिंह पंचायत समिति में कोई रिकार्ड बुक ही नहीं है। अकाउन्टेंट ने कलेक्टर को लिखा है कि यह ऑडिट ही नहीं कराते हैं। वह लाखों रुपयों का कर्जा निकालते जा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों केस हैं। किसी भी क्षेत्र को ले लें। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) जितना भी कर्जा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर लोगों ने स्वयं सदस्य बनकर वह कर्जा प्राप्त किया है। जो कर्जा हरिजनों के हक में जमा है, वह निकालते चले आ रहे हैं। तो सभापति महोदय, पंचायतों को मुक्त कर दिया है तो कम से कम गरीबों का जितना कब्जा है, उसकी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जांच होनी चाहिए। मैं एक और सजेशन देता हूं। शहरों में अधिकतम आमदनी की सीमा रख दी है तो इसमें भी मैंने एक अमेण्डमेन्ट दिया है। उस समय मैं डिस्कस करूंगा। ढाई हजार की सीमा बांध सकते हैं। उससे नीचे के लोगों को मुक्त कर सकते हैं। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि आॅर्डिनेन्स को जारी हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा? समापन के बाद क्या होगा? क्या केटेगरीज होंगी? भीलवाड़ा जहां से आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, पधारे हैं 21 सूत्री सेल बना है, उसके उपाध्यक्ष हैं, प्रगतिशील मन्त्री शिव चरण जी जहां से आते हैं..............

श्री फूलचन्द जैन: आप राजस्व मन्त्री जी को भूल गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इतने लोगों के होते हुए भ...........

श्री रामगोपाल: राजस्व मन्त्री जी भी वहां के हैं, यह आप भूल गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ओ हो! क्षमा कीजिएगा, महामना जी, आप भी वहीं से पधारे हैं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा की क्या स्थिति होने वाली है? और फिर अन्य जिलों में आप ले लीजिये, डूंगरपुर ले लीजिये, बांसवाड़ा ले लीजिए। सबके सब मनीलैंण्डर हैं। 95% मनीलैण्डर हैं। क्या हुआ, कुछ लोगों को निकाल दिया? वहां के प्रधान, उप-प्रधान बहुत बड़े मनीलैण्डर हैं। वह सागड़ी रखे हुये हैं। उन सागड़ियों की मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मेरे जो विचार हैं, वह मैं अमेण्डमेण्ट के समय में बोलूंगा। लेकिन यह निश्चित रूप से कहूंगा कि दोनों बिलों को मिलाकर विचार किया जाये। उनका प्रवर समिति को सौंपा जाये और प्रवर समिति में उन पर विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल। आप अमेन्डमेन्ट पर बोलेंगे या इस पर?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अमेन्डमेन्ट पर नहीं, मैं इस पर बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सारी बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे दूसरे साथियों ने कह दी हैं। इसमें एक तो मैं यह सजेशन देना चाहता हूं कि दरअसल में मोरेटोरियम एक्ट, या डेट को बिल्कुल खत्म करना या उनका स्केलिंग डाउन करना, यह तीनों कार्य हमारे इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने चाहिए। किन-किन लोगों पर कर्जे का भार है या उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको कर्जा चुकाना चाहिए, या जो बिल्कुल नहीं दे सकते उनको बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कर्जा देने की स्थिति में हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कितना कर्जा दे चुके हैं और कितना उनका अब देना है, उनका स्केलिंग डाउन करें, और कुछ को उनकी स्थिति देखकर तय किया जाय, इस तरह की स्कीम हमारे सामने होनी चाहिए। यह तीनों बातें एक ही कानून में आ सकती थीं और एक ही बिल बनाया जाना चाहिए था जनता की सुविधा की दृष्टि से भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वह उचित होता। अभी भी हम लोग जो विचार कर रहे हैं, यह केवल मोरेटोरियम का है। हम सभी लोगों के डेट को स्थगित

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

करना चाहते हैं और इसीलिये यह बिल सदन में लाये हैं। लेकिन आप उस बिल का भी एक हिस्सा ले आये हैं जो आप 22 तारीख को रखने जा रहे हैं और जिनको आप बिल्कुल माफ करना चाहते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि इस बिल को अलग से रखना ठीक नहीं होगा। इसी में आप वह धारायें भी जोड़ सकते हैं, हां इस धारा की कमेन्समेन्ट की तारीख आप दूसरी रख सकते हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि जो धारायें 1, 2, 3 हैं वे बिल्कुल वैसी ही हैं और वे किन पर एप्लीकेबल होंगी वह भी बिल्कुल एक जैसी ही है जो कि पहले आयी हैं सिर्फ स्माल फार्मर की डेफिनेशन नहीं आई है, बाकी सब एक जैसा ही है। मोरेटोरियम के अन्तर्गत स्माल फार्मर वह रहेगा। मोरेटोरियम तो है लेकिन उसको राहत नहीं दी गई है, इसका मतलब साफ नहीं है कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कुछ करना चाहती है। केवल स्थगन मात्र से ही उसको राहत नहीं मिलने वाली है। उसके कुछ कर्जे आप माफ कर सकते हैं, कुछ जीवित रख सकते हैं और कुछ का स्केलिंग डाउन किया जा सकता है, यह भी साथ ही हो जाना चाहिए। लघु-कृषकों को आप एक वर्ष के लिए क्यों पेंडिंग रखते हैं ? मैं समझता हूं यह कमी है। और दूसरा जो बिल आप 22 तारीख को ला रहे हैं यह तीनों किस्म के एक साथ ही आ जाने चाहिए और उनको हम इसी सदन में 23 तारीख तक पूरा कर सकते हैं, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक दिन भी इस बिल को लेट किया जाय और इसको स्थगित किया जाय। हमने जो इसको प्रवर समिति को भेजने के लिए रखा है उसका यह मतलब कतई नहीं है कि इसको स्थगित किया जाय या और डिले किया जाय। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कोई आग्रह भी नहीं करते इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए बल्कि जो भी, जितने भी, विचार आज हो गये उन पर ही आप विचार करेंगे और क्लाज-बाई-क्लाज वाली बात भी आप 22 तारीख को ले सकें प्रवर समिति नहीं बनायें, तब तक आप पार्टी के लीडर और कुछ माननीय सदस्य, जो इसमें दिलचस्पी रखते हों, को ही बुला कर इस पर विचार कर लें। कुछ माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया कि स्माल फार्मर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है जिससे आम जनता को यह मालूम हो सके कि कौन लघु कृषक होगा और कौन नहीं होगा, इसके लिये तो उनको अदालत में ही जाना पड़ेगा और वहीं यह तय हो सकेगा। इसलिए आपको इनको क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए और एक शिड्यूल बना लेना चाहिए और उसको नोटिफाई कर देना चाहिए कि कौन ग्रामीण शिल्पी होगा, कौन लघु कृषक होगा। इस तरह से आम जनता को मालूम होने में आसानी होगी और उनका अदालत के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि यह जो गरीब और पिछड़ा हुआ तबका है वह इसका लाभ नहीं उठा पायेगा और वह अदालत में जायेगा तो काफी समय और खर्चा उसको करना पड़ेगा।

इसी प्रकार से दो फसली और एक फसली जमीन वाला मामला है। वैसे तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

यह सीलिंग कानून के लिये भी एक बहुत ही रिलेवेन्ट है। उस पर तो जब वह पेश होगा तब विचार किया जायगा। हमने इसको तो इन्ट्रोड्यूस किया है लेकिन सीमान्त कृषक ऐसे हैं जो दो फसलें उगायेंगे उसका रखा है 0.33 हेक्टर। उसको कर दें और यह भी सीलिंग कानून के मुताबिक तय किया जायगा। सीलिंग कानून की धारा 14 के तहत ऑथोराइज्ड ऑफिसर जब मौके पर जाकर जहां पर किसी व्यक्ति के सीलिंग का केस आयेगा वहां पर तय करेगा और वह इस तरह से तय करेगा कि पिछले वर्ष जो जमीन बोई गई है उसमें कितनी भूमि सिंचित थी और कितनी असिंचित भूमि थी, भूमि का पर्सेन्टेज क्या है, सिंचित भूमि को दो फसली माना जाय और असिंचित को एक फसली माना जायगा तो यह सब तो इन्डिविजुअल केसेज के अन्दर तय किया जायेगा। तो क्या इससे हम यह चाहते हैं कि एक-एक सीमान्त कृषक ऑफिसर को मौके पर जाकर दिखावें और यह तय करावें कि जमीन एक फसली है या दो फसली? और हजारों ही इस तरह के अलग-अलग केसेज हो सकते हैं जिनके डिटेल में जाना चाहेंगे तो इससे मकसद हल होने वाला नहीं है। यह बात कानून से साफ तय होनी चाहिए कि कानून के पास होते ही आम जनता को, आम किसान को और कृषि मजदूर को यह मालूम हो जाय कि जैसे मेरे पास चार बीघा जमीन है तो वह सीमान्त कृषक है, यानि यहां तक तो सीमान्त कृषक और उसके आगे नहीं, जिससे उसको मालूम हो सके कि उसका कर्जा माफ माना जायगा। आज उनको पता नहीं है कि वह कौनसी धारा में, अ, ब, स कौनसी धारा में आयेंगे तो लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको यह अदालत में जाकर तय कराना पड़ेगा। वह किस आधार पर कह सकेंगे कि उनका कर्जा माफ हो गया। मौजूदा जो बिल है उसके मुताबिक उसका कर्जा माफ हुआ है या नहीं। क्योंकि यह तो अदालत में ही तय कराना होगा कि वह सीमान्त कृषक है या ग्रामीण शिल्पी है या नहीं है, या उसकी जमीन एक फसली है या दो फसली। यह सब अदालत में तय कराया जायगा और अदालत में ऑब्जेक्शन है तो हरएक के केस में इस तरीके से डिग्री होकर सीमान्त कृषक तय हो। इसका नतीजा यह हुआ कि इसका प्रोवीजन सीलिंग एक्ट से बांध दिया। वह सारा केस अदालत में तय होगा तो वह कोई फायदेमन्द चीज नहीं होगी और कानून केवल कागजों में ही रखा रह जायगा। तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं गांवों के अन्दर, ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने छोटी-छोटी चीजें किसी ने हंसली, किसी ने नेवरी रखदी, उनको रख कर उनके ऊपर कर्जा लेते हैं। बहुत से इस बन्धक की लिखावट भी करते हैं और ज्यादातर लिखावट नहीं करते हैं इसके लिये भी कोई स्पेसिफिक प्रोवाजन होना चाहिए इसके अन्दर। इसलिए डेट की जो आपने डेफिनेशन रखी है उसको स्ट्रेच किया जाय तो उसको भी कवर किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं समझता हूं कि एक्सप्लेनेशन देकर उसका बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि इस प्रकार के डेट भी इसमें कवर होते हैं, चाहे ओरल हो चाहे रिटिन, ताकि अगर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दूसरे कानून भी आयेंगे तो उस कानून का भी लाभ भी मिल सकेगा और ऐसे डेट भी माफ हो सकेंगे। अगर वह अनशिड्यूल्ड डेटर्स का है तो मुझे इसके बारे में कमी मालूम होती है। राजस्व मंत्री यहां आ गये हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, अगर वह इसे मुनासिब समझें तो बिना सलेक्ट कमेटी में रेफर किये यहां इन्ट्रोडक्शन रिजोल्यूशन विचारार्थ रिजोल्यूशन पास करवा कर आगे इस पर विचार 22 तारीख को दूसरे बिल के साथ कर पास करा लें। दूसरी चीजों पर, जो सवालात उठाये हैं, उन पर आपस में विचार करके अगर इसे बेहतर बना सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री शंकरलाल (पाली) : मेरा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने बोला था। उस समय आप थे नहीं।

श्री शंकरलाल : कहां बोला था ?

श्री उपाध्यक्ष : I am not duty bound to give you time when you were not present.

मैंने आपका नाम बोला था। आप थे नहीं।

श्री शंकरलाल : दूसरों का नाम नहीं था, वह भी बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह दूसरी बात है।

श्री शंकरलाल : मैं संक्षेप में कह देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें समय में आ चुकी हैं वह मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। यह बात सही है कि इसे प्रवर समिति को सौंपने के अन्दर माननीय मंत्री जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह विधेयक इसलिए है कि जो इस तरह के कर्ज हैं उनको एक साल के लिए आगे बढ़ा सकें, वह स्टे होगा। अब आप समापन करने, लिक्वीडेट करने का कानून ला रहे हैं तो वह लिक्वीडेट कर देंगे तो अनिश्चय का प्रश्न नहीं रहेगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने दलील दी हैं, उन पर विचार करना चाहिए। वह इस सेशन में बिल ला रहे हैं, 22 तारीख को वह आ रहा है, तब तक इसको प्रवर समिति को सौंप दें और वहां विचार करके मोरेटोरियम के लिए प्रॉविजन रखें। आपने इसमें एक साल के लिए स्थगन कर दिया, एक साल के बाद में कर्ज वसूल होता है तो क्या उस पर ब्याज लिया जायगा ? किसी कर्ज को स्टे करते हैं, आप वापिस उस कर्ज को वसूली योग्य घोषित कर देंगे तो उसको दो साल का ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि जिस पीरियड के लिए स्टे करते हैं उस पीरियड का ब्याज वह देगा। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पर ब्याज नहीं होगा।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने शिड्यूल बनाया है। दूसरे माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, एग्रीकल्चर लेबर, सीमान्त फार्मर - यह कौन होगा ? इसकी अलग से इन्क्वायरी होगी। वह इन्क्वायरी साल भर चल जायगी। जिस डेट के मोरेटोरियम की बात करते हैं उसमें देखेंगे कि इतने हेक्टर जमीन है या नहीं।

(श्री शंकरलाल)

और अभी जो संशोधन मिला है, उसमें है कि यह सर्टिफिकेट तहसीलदार देगा कि यह एग्रीकल्चर लेबर है या नहीं, रूरल आर्टिजन है या नहीं। तहसीलदार से इन्क्वायरी करा कर ऐसा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके अन्दर नई बात का सुझाव देना चाहता हूं, वह बात यह है कि हमारी प्रधान मंत्री जी की घोषणा यह है कि ग्रामीणों को कर्ज से मुक्ति दिलायें। अब उसमें किन-किन ग्रामीण को शामिल करते हैं, उसका आपने शिड्यूल बनाया है उस शिड्यूल में दिक्कत आ रही है। मेरा निवेदन यह है कि आप उस शिड्यूल के बजाय कम से कम एक बात रखिये कि जिस आदमी की इतनी आमदनी है, चाहे आप दो सौ ही रखिये, ऐसे ग्रामीण, कोई आदमी, जिसकी कम आमदनी है उस गरीब को कर्ज से मुक्ति दिलानी चाहिए, वह सीमान्त कृषक में आता है। रूरल आर्टिजन में तो दिक्कत आती है, वह सीमान्त कृषक है या नहीं, वह गरीब है या नहीं। इसलिए गरीब किसान के साथ में आप आमदनी जोड़ दीजिये, दो सौ की आमदनी वाला हो, चार सौ की आमदनी वाला हो, उससे ऊपर तो कर्ज होगा, लेकिन उस आमदनी से कम के ग्रामीण लोग हैं उनके कर्ज को माफ किया जायगा। जैसे, उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र वालों ने शहरी कर्ज को भी माफ कर दिया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। वहां शहरों में प्रॉपर्टी मोर्टगेज पड़ी हुई है वह पुलिस की सहायता से वापिस दिला दी और कर्ज से मुक्ति दे दी। वहां से मनी लैण्डर्स भाग-भाग कर घर आकर बैठ गये हैं। वहां इस तरह की स्थिति चल रही है। ग्रामीण और शहरी कर्ज, दोनों के लिए, कानून बनाया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। उसका जो भी फैसला आयेगा उसके अनुसार उसको वह ठीक करेंगे। इस दृष्टिकोण को आपको सामने रखना चाहिए। आपको गरीब का कर्ज माफ करना है, वह शिड्यूल, श्रेणी में आता है या नहीं। इसमें आपकी गलती से भी वह श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसमें इन्क्वायरी में दिक्कत आने की बात है, इसलिए यह ठीक हो जायगा अगर इसको आमदनी के साथ में जोड़ दिया जाय।

चौथा सुझाव यह है कि ग्रामीण कर्ज की मुक्ति में सिर्फ यह बताया है कि इन इन कर्ज से उसको मुक्त किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिर्फ इसमें मनीलैण्डर्स के कर्ज को लिया है। उसको माफ किया है। दूसरों से कर्ज लिया है, जैसे रेंट को भी लिखा है क्लाज 3 में, "any rent due in respect of any property let out to a scheduled debtor;" अगर किसी के ऊपर मान लीजिये, कोई रेंट बाकी है, ऐसे बहुत से हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कई लोगों से जमींदार बटाई पर जमीन ले लेता है। आपका कानून भले ही छठे का है, लेकिन दूसरा बड़ी लटाई का तीन चार साल का पैसा बाकी है। लेकिन गैर कानूनी रेंट है वह वसूल होगी। उस पर मोरेटोरियम नहीं रखा है। यह बहुत सारी बातें है। इन सारी बातों पर जाकर प्रवर समिति में डिस्कस कर सकते हैं। जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया था, आपने लायबिलिटी में यह रख दिया, सर्विस वेजेज, रेम्यूनरेशन पर नहीं होगा। और यह "any liablity

(श्री शंकरलाल)
arising out of breach of trust or any tortious liability;"

इन सारी चीजों पर एक्सेप्शन करना चाहते हैं कर्ज के लिए। इसको बारीकी से देखना चाहिए। आप एक्सेप्शन नहीं करते तो बात नहीं थी। लेकिन एक्सेप्शन कर रहे हैं तो यह बात आती है। आप नया प्रश्न खड़ा करते हैं कि केवल मनी लैण्डर्स के कर्ज से मुक्ति हो, जब कि इन्दिरा जी ने कहा है कि ग्रामीण को कर्ज से मुक्ति दी जाय। यह नहीं कहा है कि एक जगह का कर्ज माफ हो। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि बीघोड़ी के दस रुपये थे वह एक हजार हो गये हैं। वह कागज पड़े रहे आपके पास और अब इमर्जेन्सी में वह कागज सामने आये। मैं गवर्नमेंट का उदाहरण दे रहा हूं, एक आदमी ने तीन हजार की तकाबी ली, डेढ़ हजार की तकाबी दे दी। यह खोड़ गांव का केस है। तकाबी वसूल नहीं हुई पर जिस जमीन पर तकाबी ली वह जमीन 'गोचर घोषित हो गई। अब उसके बाद जाकर दस हजार का नोटिस आया है। ऐसे भी बहुत से सरकार के इरिगेशन के ड्यूज हैं। नोटिस निकालते हैं, आप सेक्शन 91 के तहत आये दिन जुर्माने करते रहे लेकिन उसको पता नहीं। अब दस हजार जुर्माने के बाकी हैं। आप सरकारी कर्ज को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे—ऐसा प्रावधान रखा है। जिस आदमी को आप कर्ज से मुक्ति देना चाहते हैं वह सरकारी कर्ज से दबा हुआ है, उस पर कर्ज का भार बढ़ गया है, गैर कानूनी तरीके से उस पर कर्ज बढ़ गया है। वह डिस्प्यूट करे तो उससे कितनी मुक्ति मिल सकती है, कैसे छुटकारा मिल सकता है। इसलिए यह प्रावधान रखने की बात है। इसको प्रवर समिति में सौंपने से इस पर विचार हो सकता है। यह भी लिखा है, "Stay on transfer of Property". प्रॉपर्टी को वह ट्रान्सफर नहीं कर सकता। दो सौ उस पर बकाया है और हजार में वह बेचना चाहता है तो वह नहीं कर सकता है। आपने दो. सौ पर मोरेटोरियम लगाया है। मोरेटोरियम लगाया है इसलिए वह प्रॉपर्टी को ट्रान्सफर नहीं कर सकता। यह क्लाज में आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया है। आज प्रॉपर्टी के ट्रान्सफर में स्टे कर दिया, दूसरी तरफ वह भी स्टे कर दिया। यह सारी बातें हैं। यह बिल और लिक्वीडेशन का बिल, दोनों मिल कर ऐसे बिल हैं इसके सम्बन्ध में माननीय रामानन्दजी ने कहा कि कन्सोलिडेटेड कानून होना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी गम्भीरता से विचार करके, सारी बातों पर विचार करके इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, तीन चार दिन में रिपोर्ट आ जायेगी। यह बिल और समापन का बिल हाउस में लाकर पास करा सकते हैं। इससे हम न्याय भी कर सकेंगे और सही कानून भी बना सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के चार माननीय सदस्यों ने जो संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख विचारार्थ है, उसे जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है और पांच माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव के जरिये से सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए विचार रख दिया है। यहां पर अपने प्रस्ताव को

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रस्तुत करते हुए कई प्रकार के विचार रखे गये। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं कि डेट्स पर मोरेटोरियम इम्पोज किया जाकर उस बीमार की दवाई साबित की, लेकिन उससे उसकी मौत हो गई। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य लैंड डेट्स से गलत असर पड़ा है और लैंड डेट्स को रोकने से लोग परेशान हो गये हैं दौसा वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं। उनका भी ऐसा सोचना था कि आपने क्रेडिट की वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की है और इस कारण अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है और साथ ही उनका ऐसा सुझाव था कि सहकारी बैंक, कॉमशियल बैंक से ऐसे शिड्यूल्ड डेटर्स को मुक्ति देनी चाहिए। और यहां पर अन्य माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा कि एक वर्ष के स्थान पर मोरेटोरियम की अवधि तीन साल बढ़ाई जानी चाहिए जैसे की चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा। बाड़-मेर से आने वाले माननीय सदस्य कन्वर्शन रेश्यो के बारे में कुछ आशंकायें रखते हैं क्योंकि उनका रेगिस्तानी इलाका है और जो सीलिंग एक्ट का रेश्यो एप्लाई किया गया है, रेगिस्तान के गरीब उस फायदे से वंचित रह जायेंगे। अभी तक केवल दो आदमियों के सम्बन्ध में मोरेटोरियम की सूचना मिली है, किस एजेन्सी से, मुझे मालूम नहीं। इस प्रकार पाली से आनेवाले माननीय सदस्य अभी इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कराने के बारे में जोर दे रहे थे। उनकी दलील यह है कि जब लिक्वी-डेशन ऑफ डेट बिल जो सदन में पुरःस्था-पित किया गया था और 22 तारीख को विचारार्थ लिया जाने वाला है और जब आप लिक्वीडेट ही करने जा रहे हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। अब उनकी दलील का मैं सबसे पहले उत्तर देना पसन्द करूंगा। जैसे आपने स्कीम ऑफ दी बिल में देखा है जो ऋण समापन का है उसमें शिड्यूल्ड डेटर्स की केटेगरी को ले लिया है लेकिन छोटे किसान को उसमें नहीं लिया है। इसलिए छोटे किसान को लेने के संबंध में जो भारत सरकार की गाइड लाइन्स थीं, प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का यह मुख्य मुद्दा नं. 5 है जिसमे रूरल इन्डेटेडनेस का लिक्वीडेशन होना चाहिए जो गरीबों को देय है। गरीबों के सम्बन्ध में भारत सर-कार की गाइड लाइन्स यह है कि छोटे और सीमांत कृषक, ग्रामीण शिल्पी और खेतीहर मजदूर, इसमें भी आगे स्टेजेज के अन्दर इसको इम्पलीमेंट करने के लिए गाइड लाइन्स में सुझाव है। आप इस प्रकार के रूरल इन्डेटेडनेस की रिकवरी ऑफ लोन पर मोरेटोरियम इम्पोज कर दें जिसमें यह सब केटेगरी ली जाए और केटेगरी में जो उसकी परिभाषा है वह भी भारत सरकार ने हमारी गाइड लाइन्स के लिए उसमें लिपिबद्ध की है।

दूसरा स्टेज उन्होंने बताया मोरेटोरि-यम के बारे में कम से कम एक साल के लिए मोरेटोरियम इम्पोज किया जाए और एक साल के भीतर लिक्वीडेशन के लिए भी दूसरा कानून बनाया जाय। लिक्वीडेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि स्माल फार्मर्स के अलावा दूसरी केटेगरी है, इनका लिक्वीडे-शन कर दिया जाय और स्माल फार्मर्स के लिए आपको स्केलिंग डाउन ऑफ डेट रिले-वेन्ट कानून में संशोधन से करना चाहिए। दूसरा स्टेज टोटल रिडेम्पशन का है। एक

(श्री परसराम मदेरणा)
कैटेगरी के लिए सभी शिड्यूल्ड डेटर्स नहीं हैं एक्सेप्ट स्माल फार्मर। तो पहला स्टेज जो था मोरेटोरियम का, जो अध्यादेश जारी किया गया उसको सब्स्टीट्यूट करने के लिए आज एक विधेयक सदन में विचाराधीन है।

दूसरे स्टेज में जहां टोटल रिडेम्पशन है एक क्लास ऑफ डेटर्स के लिए, वह बिल 22 तारीख को लिया जायगा। स्केलिंग डाउन का बिल अभी नहीं आ रहा है, इसका प्रारूप तैयार हो रहा है। इसलिए स्माल फॉर्मर्स का जहां रिडेम्पशन ऑफ डेट का सवाल है जो लिक्वीडेट नहीं हो रहा है, अगर यह पास नहीं करते हैं, अगर स्माल फार्मर का स्केलिंग डाउन का प्रश्न नहीं रहता तो यह अध्यादेश लैप्स हो जाता और दूसरा कानून बन जाता तो वह कानून मदद में आ जाता ऐसे क्लास के लिए। लेकिन क्योंकि स्माल फॉर्मर्स के स्केलिंग डाउन के बारे में अभी कानून लाना है इसलिए मोरेटोरियम के बिल को पास कराना आवश्यक था।

यहां पर यह कहा गया कि अर्थ व्यवस्था तितर-बितर करने वाला कानून बनाया गया। जैसे आप जानते हैं और कल भी एक बिल के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि जहां पर यूजूफ्रक्चूएरी मॉर्गेजिज के पीरियड को कम करने की बात है, चाहे दूसरे कानून में है, उसमें संशोधन का प्रश्न था या मनीलेंडर्स बिल आ रहा है, यह सभी गांवों के अन्दर जो इन्डेटेडनैस है, और गांवों में कर्जदारी के चुंगल में जो लोग फंसे हुए हैं, जिस तरह से शेर के पंजे में एक वार कोई पकड़ा जाता है उसके बाद मुक्ति मिलना मुश्किल है और अभी उसका आधा कर्जा भी नहीं चुकाया गया है, थोड़ा चुकाया गया है, तो क्या होगा? बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जो प्रगतिशील विधायक हैं, वह कह रहे थे लेकिन आप सब जानते हैं जो लोग बम्बई, मद्रास, बंगलोर, उड़ीसा और असम में अपने यहां के प्रवासी राजस्थानी बैठे हुए हैं, वे क्या करते हैं। मैं मद्रास में 1968 या 1969 में जब कम्यूनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फरेन्स हुई थी, तो गया था। मुझे एक महाजन ने चाय के लिए अपने घर पर बुलाया। मैंने पूछा कि क्या धंधा करते हो तो जवाब दिया कि मनीलेंडिंग का। मैंने पूछा कि कुछ गिरवी रखते हो तो उन्होंने कहा कि यह कोठार है, मैं देखने गया किसी का सेट, किसी का जूता, किसी का कोट, कुछ बर्तन, किसी की घड़ियां। तो आज यह बीमारी इतनी लम्बी है कि ऐसे लोग जिनमें ह्यूमन कन्सीडरेशन नहीं रहा है, ऐसे लोगों से गरीबों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी सोशियल रिफॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज करना है तो एक स्ट्रोक ऑफ पेन से हिम्मत से करना पड़ेगा। उसके बाद जो कठिनाई आएगी उससे निपटा जाएगा। पहले आल्टरनेटिव चैनल ऑफ क्रेडिट देने के लिए फूलप्रूफ एजेन्सी खड़ी करने की सोचते तो हम झिझकते और कभी भी बड़े काम को हाथ में नहीं लेते। इसलिए यह कहना कि अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी, सही नहीं है। जो अर्थ-व्यवस्था गरीब का शोषण करती है, वह गलत है। क्या प्रिन्सीपल अमाउन्ट के बराबर ही ब्याज लेना जायज है? एक बार कर्जे में है तो हमेशा कर्जे में ही रहता है। बन्धक मजदूर द्वारा 500 रु. लोन लेने के बाद में दो पीढ़ियां उसकी छूटने वाली नहीं हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

तो भारत की ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में बीमारी काफी गहरी है। इसका इलाज किसी न किसी दृढ़ निश्चय के साथ किया जायगा। बीमार मर गया है क्योंकि दवाई ऐसी थी कि बीमार बचे नहीं, उसे बचाने के लिए भी आल्टरनेटिव एजेन्सी के सम्बन्ध में सोचा गया। केवल यही बात नहीं है, बहुत बड़ा बर्डन न पड़ जाए हमारे सामने, भारत सरकार की गाइड लाइन्स बहुत क्लीयर हैं कि कम से कम ऐसे छोटे वर्ग को और गरीब लोगों को मोरेटोरियम में लायें ताकि बहुत बड़ी लायबिलिटी सरकार पर या वित्तीय संस्था पर न आ जाए वित्तीय स्थिति को देखते हुए, ताकि हम उनको राहत दे सकें।

इसके लिए को-ऑपरेटिव सेक्टर में उनको मदद करने के लिये कुछ प्रयास किये गये हैं और इसके लिए कुछ संशोधन भी किये गये हैं। इसके लिए हमें को-ऑपरेटिव सैक्टर में संशोधन भी लाना पड़ेगा और इसके लिये मैं यह उचित समझता हूं कि जब उस बिल पर हम विचार करें तब इन अमेन्डमेन्ट्स को भी ध्यान में रखते हुये उन पर विचार करेंगे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करदूं कि मोरेटोरियम के बारे में एक सब कमेटी केबिनेट की बनी थी उसका मैं चेयरमैन था आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के बारे में और को-ऑपरेटिव के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों को किस प्रकार की राहत राज्य सरकार दे सकती है उसकी सब-कमेटी का चेयरमैन मैं ही था। उस वक्त हमने कई मुद्दों पर विचार किया था उसमें यह भी विचार किया था कि इन लोगों के लिए एक एजेन्सी होनी चाहिये जो कि इन कमजोर वर्ग के लोगों को मदद दे सके ऋण की व्यवस्था कर सके। इसमें आप सोशियल लोन्स ले सकते हैं, मल्टीपरपज लोन ले सकते हैं और शोर्ट टर्म लोन्स और लोंग टर्म लोन्स के बारे में भी विचार किया जाता था। इसके अलावा यह भी सोचा गया था कि आज कई को-ऑपरेटिव बैंक्स और को-ऑपरेटिव सोसायटीज में कुछ लोगों ने मोनोपोली बनाली है उन्हें किस प्रकार से वहां से हटाया जाय और लोगों को वहां पर किस प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन उन बैंक्स और सोसाइटीज में दिया जाय जिससे कि कमजोर वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। इसके लिये उन लोगों को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में रिप्रेजेन्टेशन देना होगा।

इसके लिये हमने भारत सरकार की फाइनेन्स मिनिस्ट्री से बात की इन लोगों को बैंक्स के डाइरेक्टर्स में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय इसके साथ-साथ हमने फाइनेन्स मिनिस्ट्री से यह भी बात की कि उन्हें और भी साधनों से धनराशि मुहैया की जाय। हालांकि भारत सरकार ने हमारे देश में पांच बैंक्स ग्रामीण लोगों को पैसा दिलाने के लिये खोले हैं जिनमें एक हमारे राजस्थान का भी है। लेकिन यह एक हरक्यूलियन टास्क है कि हम इतनी बड़ी तादाद में सभी को लोन दे सकें। हमने इसके अन्दर माइन्ड एप्लाई किया है, उसमें हमने सोचा कि लोन किस किस परपज के लिये दिया जा सकता है और उसमें हमने सोचा कि एक तो सोशियल परपजेज के लिये प्रॉडक्टिव परपजेज के लिये, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते है, लॉग टर्म लोन्स इसके लिये कुछ धनराशि रिजर्व भी की हुई है। हमारे इसमें दो बैंक्स हैं सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, और लैण्ड डवलपमैंट मोरगेज

(श्री परसराम मदेरणा)

बैंक हैं जो लोन देते हैं कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि इन्डस्ट्रीज वगैरह के लिये भी लोन देते हैं। तो गांवों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मीट आउट करने के लिए और दूसरे कामों में, जैसे सोशियल परपजेज के लिये लोन्स की व्यवस्था के बारे में मैंने खुद ने स्टेडी की है जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स की हमारे राजस्थान में एप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लॉग टर्म लोन और दूसरे सोशियल परपजेज के लोन के लिये पूरी कितनी धनराशि कन्ज्यूम होगी इसकी पूरी अभी तक स्टेडी नहीं हो पायी है। क्योंकि गांवो में आज भी ऐसा होता है कि छोटी मोटी दिक्कतों में गांवों के मनीलेण्डर्स आज भी उन लोगों को कर्जा दे देते हैं इसलिये यह सभी प्रॉबलम्स किस प्रकार समाप्त हो इसके लिये राज्य सरकार काफी गम्भीरता से सोच रही है। और समय-समय पर भारत सरकार से इसके बार में विचार विमर्श करती है। अभी मुख्य मन्त्रियों की जो कॉन्फ्रेन्स हुई थी और रेवेन्यू मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेन्स हुई उसमें मुझे भी इस बारे में क्या होना चाहिये जानने का मौका मिला। आमतौर से मोरेटोरियम के लिए कोई दूसरी आल्टरनेटिव क्या चैनल हो सकती है उसके लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। जहां तक मार्जीनल फार्मर्स का सवाल है, कुछ राहत सीलिंग कानून के तहत भी उन्हें मिलेगी। किस प्रकार कमजोर वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये थे। जिस समय बिल के संशोधन पर चर्चा करेंगे तब उस वक्त उन पर भी विचार किया जायेगा।

यहां पर कुछ डेफीनेशन्स के बारे में भी कहा गया है उसके लिए तो हमें यही कहना है कि इसके लिये जो भारत सरकार ने हमें मोरेटोरियम के लिए गाइड लाइन दी है उसी के अनुसार हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम कनवर्जन के बारे में भी और आर्टिजन की डेफीनेशन के बारे में भी गाइड लाइन के अनुसार कर रहे हैं। हालांकि माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इसको और व्यापक बनाया जाना चाहिये लेकिन भारत सरकार ने जो गाइड लाइन बेनेफिशरीज के लिये बनायी वही रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि कनवर्जन रेट्स जो सीलिंग की हैं वह वही रहनी चाहिये जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है, वही होनी चाहिये, ताकि जो गाइड लाइन हमें भारत सरकार के द्वारा दी गयी है और जिससे हमारे प्रधान मन्त्री के आर्थिक कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसके लिये हमारे पास में भारत सरकार से जो एग्रीकल्चर के बारे में समय-समय पर आदेश आते रहे हैं उनको भी हमने ध्यान में रखा है। हमने तो मोरेटोरियम के बारे में जो डेफिनेशन दी है, और वैसे पूरे देश में मोरेटोरियम के बारे में सभी प्रान्तों ने सिवाय एक दो को छोड़कर वही रखी है जो गाइड लाइन में दी है। सीलिंग के अन्दर भी हमारे यहां और सारे देश में, सिवाय एक केरल को छोड़कर, सभी जगह वही हैं। इसलिये जो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय कोई परपज सर्व नहीं कर सकेगा। जहां तक सवाल केरल का है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर कुछ संशोधन अलग किये गये हैं। इसलिये

(श्री परसराम मदेरणा)

इस बिल को न तो सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की आवश्यकता है और न ही जनमत जानने को भेजने की आवश्यकता है क्योंकि हमने डेफीनेशन वगैरह में सभी जगह जो हमें भारत सरकार से गाइड लाइन प्राप्त हुई है उसी के अनुसार हमने सभी काम किये हैं। इसलिये मैं समझता हूं सलेक्ट कमेटी को रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं उस पर आपको कोई संशोधन कराने की बात है वह आप बिल के सेकेन्ड स्टेज पर अपने विचार व्यक्त कर देना। वह उस वक्त देखेंगे। जहां तक डेट के रिडम्पशन का सवाल है, उसके बारे में तो अभी यही कहा जा सकता है कि अभी तो सवाल डेट के स्थगन का है, रिकवरीज को स्टॉप किया जाय। इसलिये इस पर आपके अगर कोई संशोधन हों तो उस पर मैं समझता हूं कि विचार किया जा सकता है। वह एक्ट बन जाने के बाद यह डेफिनिशन नहीं रहेगी। वह एक्ट बन जावेगा तो इसको सब्स्टीट्यूट कर देगा। टोटल लिक्विडेशन का फैसला करने जा रहे हैं तो उसमें कोई संशोधन करने की बात है, दोनों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी, इसमें जो डेफिनेशन है आज एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर 22 तारीख को जो बिल आवेगा और उसमें जो डेफिनेशन दी हुई है उन्हें चेन्ज करना क्या प्रिकन्सीव करना नहीं होगा ? आप इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर न करें लेकिन विचारार्थ रेजोल्युशन मंजूर करवा लें 22 के बाद वह करेंगे। यह महसूस कर रहे हैं कि संशोधन करना है तो साथ-साथ ही कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : उस कानून के आते ही मोरटोरियम का दूसरा प्रोविजन कोई मायने नहीं रखता है। आने के बाद वह कर सकेंगे। सोच रहे हैं कि करें या न करें। लिक्विडेट कर दिया। अनसरटेन्टि रख दी। मैंने सोचा था कि बिल लाऊं या नहीं लाऊं। बिल लेप्स भी हो जाता है तो कानूनी कमी रहने वाली नहीं है। आप पीरियड देते हैं। उसमें इन्टेंशन पूरी हो जाती है तो रिपील भी नहीं करते हैं जब तक कि कोई कानूनी दिक्कत खड़ी न हो जाय। प्रिकन्सीव मामला हो जायेगा, यह नहीं है। बिल के बाद भी सजेशन होगा तो गवर्नमेन्ट हर वक्त आने के लिये तैयार है यहां। माननीय सदस्य जैसा कह रहे थे दूसरे कानून में संशोधन की बात, आज जगह-जगह एजेन्सीज हैं, आगे जाकर मल्टीपरपजेज संस्था कोई भी को-ऑपरेटिव की वहां होगी, मार्केट की व्यवस्था वह ही करेगी, एक इतना बड़ा काम हिन्दुस्तान के गांवों में उठाने जा रहे हैं, यह बात ठीक है कि हर गांव में बैंक नहीं हैं, हर जगह पर खोला नहीं जावेगा, जो कुछ भी दिशा निर्देशित की है और जो डाइरेक्टिव है उसमें वह है, डेफिनेशन करने में भी समय चाह रहा हूं, अधिकारियों से कहता हूं कि जो डेफिनेशन वहां दी है कौन-कौन इन्क्लयूड हो रहे हैं। गरीब आदमी रह सकता है। आर्टिजन में नहीं आता है तो नहीं रह सकता है। आप उस कमजोर वर्ग के लोगों को डाल रहे हैं जिनको कमजोर मान लिया है, भारत सरकार ने डिफाइन करके भेज दिया। आप यह सोच

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं कि कमजोर लोग रहते हैं, आर्टिजन की डेफिनेशन में आप पढ़ लीजिये जो भारत सरकार की गाइड लाइन्स हैं।

'rural artisan' means a person who does not hold any land and whose principal means of livelihood is production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or for purposes ancillary thereto, and also a person who normally earns his livelihood by practising a craft either by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area."

यह डेफिनेशन है। कुछ आदमी और इन्क्लूड कर दीजिये जो धन्धा इस प्रकार का कर रहे हैं। तेली को भी ले लीजिये, धोबी को भी ले लीजिये। एग्रीकल्चर का एन्सीलियरी काम करने वाला खाती भी है। उसकी क्या मजदूरी है? रेगिस्तानी इलाके में 15 रुपया प्रति दिन में अच्छा खाती नहीं मिल रहा है आगे जाकर डिफाइन कर दिया है कि 2,400 रुपया प्रतिवर्ष जिसकी आमदनी है एग्रीकल्चर लेबर वह ही समझा जावेगा। यह भारत सरकार की गाइड लाइन्स हैं। रिडक्शन ऑफ डेट एण्ड लिक्विडेशन के लिये भी गाइड लाइन्स दी हैं। रात का सरक्युलेट हुआ है बिल उसमें डेफिनेशन दी है। आप तीन हजार की आमदनी की बात कह रहे थे। यहां कुछ संशोधन हैं। महाराष्ट्र में पांच सौ प्रति माह आमदनी है, अरबन एरियाज में रहता है, उसको डेफिनेशन में सम्मिलित किया है। भारत सरकार की ऐसी मंशा नहीं है और गाइड लाइन्स भी ऐसी नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्राफ्ट शब्द है। बड़ा इम्पोर्टेन्ट शब्द है।

श्री परसराम मदेरणा : यही उलझन पैदा हो रही है। मैंने रेवेन्यू सेक्रटरी को कह दिया है कि क्राफ्ट्स शब्द बराबर अवरोध पैदा कर रहा है। इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्डेटेडनेस का है उसमें केवल एग्रीकल्चर लेबर की डेफिनेशन है यहां पर दूसरे लोगों को डेफिनेशन में शामिल कर लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं अभी जो संशोधन आया है उसके सिलसिले में बात कहूंगा। चूंकि यह मोरेटोरेयम है, गरीब लोग जो कर्ज के भार से दबे हुए हैं जिनकी मनी लैंडर्स के द्वारा दुर्दशा की जा रही थी उनके चंगुल से उनको मुक्ति देने के लिये यह कदम उठाया गया है, प्रधान मंत्री के आर्थिक प्रोग्राम का मुख्य विषय है और 20 पॉइन्ट में दूसरे प्रोग्राम हैं वे भी ऐसे ही कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिये और उनको आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये हैं। मैं सोचता हूं कि इस बिल के द्वारा रिप्लेस करने जा रहे हैं इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी या जनमत के लिए प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : लाइनं से आने वाले माननीय सदस्य, Do you want to withdraw or to press?

श्री दीपंकर : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या उनका प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

श्री दीपंकर : मैं विथड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं विथड्रा करने की इजाजत चाहता हूं !

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि····

श्री मीठालाल : सब को एक ही साथ कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : This is second amendment

प्रश्न यह है कि क्या श्री वृद्धिचन्द्र जैन को उनका प्रस्ताव विथड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं विथड्रा करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आप हांडाजी क्या कह रहे थे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह अर्ज कर रहा था कि लिक्विडेशन का बिल 22 तारीख को लेने जा रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर लेबर की डेफिनेशन दी है वह यह है : 'Agricultural labourer' means a person who follows any one or more of the following agricultural occupations in the capacity of a labourer on hire or exchange ..." इसी की है केवल ।

श्री परसराम मदेरणा : On page 4 of the English translation you see the definition of 'Rural Artisan'.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है ।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

खण्डशः विचार ।

खण्ड 2

श्री रतीराम यादव !

श्री रतीराम (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप मन्त्री महोदय के बाद भी ····

श्री रतीराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड (2) में भाग (ख) के सम्बन्ध में यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि 'भाग (ख) के पश्चात् भाग (ख ख) निम्नलिखित रूप में अन्तःस्थापित किया जाय। "(ख ख) कमजोर वर्ग" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी अथवा लघु-कृषक की परिभाषा में नहीं आता हो और जिसकी वार्षिक आमदनी तीन हजार रुपये या उससे कम हो" ये शब्द और जोड़ दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे जो मैंने संशोधन रखा है, मेरी मंशा है वह यही है कि जब हम अपने इस 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्दर ऐसे वर्गों को जो समाज के अन्दर पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है जिनकी आर्थिक स्थिति पूरा परिवार कमाने के बाद भी इतनी नहीं है कि वह पर्याप्त रूप से अपना गुजारा कर सके तो इसलिये मैंने उस भावना से यह संशोधन रखा है कि हमको थोड़ा सा उदार होना चाहिये कि जिनकी परिभाषा जो इसमें समाविष्ट नहीं हैं—ऐसे लोग बच गये हैं लघु कृषक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी जो नहीं आ पाये हैं उनको इन्क्लूड कर लिया जाय तो मैंने कुछ उसके अन्दर रखा है कि जैसे गांव के अन्दर मुख्य तौर से एग्रीकल्चर से सम्बन्धित जो लोग हैं उनको इन्क्लूड किया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर से ही सम्बन्धित हैं उनको तो कम से कम इनक्लूड किया जाय जैसे खाती हैं, कुम्हार हैं, नाई हैं। बहुत से माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात होगा कम से कम जो किसान है उनको तो पता होगा कि क्या ट्रेडीशन्स हैं। खाती भी कृषक का ही काम करता है चाहे वह लघु कृषक का हो और चाहे सीमान्त कृषक का हो। कृषक उसकी फसल के समय मजदूरी चुकाता है, इसी तरह नाई का काम भी हजामत बनाना है और इसको भी फसल पर ही मजदूरी मिलती है, इसी प्रकार कुम्हार का काम है वह बर्तन बनाता है और इसको भी फसल के समय ही अपनी मजदूरी मिलती है तो जिनका कृषि से सम्बन्ध है यानि जिनकी खेती पर ही जीविका चलती है—तेली है, मणिहारा है जो कृषक से खेती के समय ही अपनी मजदूरी को प्राप्त करता है तो उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि उसमें इन व्यक्तियों को शामिल किया जाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to say any thing more ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड (2) में और आपका अमेण्डमेंट, वह अलग-अलग लेंगे ?

श्री रतीराम : अभी तो एक ही पर बोला हूं....

इसीलिये मैंने कहा एक ही साथ बोल लूं या ..

श्री उपाध्यक्ष : बोल लें।

श्री रतीराम : (1) भाग (च) के उपभाग (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपभाग (i) प्रतिस्थापित किया जाय :

"(i) वृहद् सिंचाई योजनाओं, जैसे राजस्थान, भाखड़ा, चम्बल और गंग नहर

(श्री रतीराम)
क्षेत्रों के कमाण्ड क्षेत्रों में बारह मास सिंचाई होने वाली 0.33 हैक्टर भूमि";

इसमें (ii) भाग (च) के उप-भाग (ii) के स्थान पर निम्न उप-भाग प्रतिस्थापित किया जाय—

" 'वृहद् सिंचाई योजनाओं' की छःमाही नहरों से सिंचित कमाण्ड क्षेत्र तथा मध्यम, लघु और कुओं से सिंचित क्षेत्र में 0.50 हैक्टर भूमि"; इसके बाद ये जो भाग (ज) है इसके अन्त में निम्नलिखित शब्द और जोड़े जायें—जो है वो तो है ही उनके अन्त में और जोड़े जायें—"जैसे कुम्हार, नाई, धोबी, तेली, सक्का, मेहतर-भंगी, चमार, जुलाहा, बुनकर-कोली, डोम-मिरासी और मणिहार";

और दूसरे भी हो सकते हैं मैंने कुछ नाम इसमें गिनाये। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, यह जो (ट) भाग है इसको निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाय "(ट) अनुसूचित ऋणी से कृषि—श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी, लघु कृषक या कमजोर वर्ग के व्यक्ति अभिप्रेत हैं।" अर्थात् इसका मतलब कमजोर वर्ग जो इसमें नहीं आया है इन्क्लूड किया जाय। फिर इसके बाद में है, भाग (ड) के स्थान पर निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जाय—"(ड) उर्वरा, अर्द्ध उर्वरा, पहाड़ी, अर्द्ध रेगिस्तानी एवं रेगिस्तानी जोन के वही अर्थ होंगे जो राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा, अधिरोपण अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम 11, सन् 1973 की संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये हैं।"

ये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये जो पॉइन्ट्स हैं, जनरल हैं, इसको तो क्लियर कर लिया है इसमें जो कुछ संशोधन इस किस्म के हैं जो सीमान्त कृषक की परिभाषा मे, जो मौजूद है, उसमें लिखा है ऐसा क्षेत्रफल जो "सुनिश्चित सिंचाई के अधीन वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने योग्य 0.33 हैक्टर भूमि और दूसरा सुनिश्चित सिंचाई के अधीन वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने योग्य 0.50 हैक्टर भूमि।" माननीय मंत्री जी ने यह कहा भारत सरकार से जो गाइड लाइन आई है उसके मुताबिक ही हमने ऐसा किया है। भारत सरकार की जो गाइड लाइन है, उसके मुताबिक जो सीलिंग लॉ में दो फसली और एक फसली तय करने का तरीका हमने रखा है, मेरे खयाल से राजस्थान में वह अलग है और वह कम्बरसम है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर तय करेगा और एक-एक केस में तय करेगा। उसकी पिछली कितनी सिंचाई हुई—यह गाइड लाइन में नहीं है। अगर गाइड लाइन के अनुसार है तो वह दो फसली क्षेत्र की होगी तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक फसली है तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर और इण्डीजुअल केस में तय होना बन जायगा। सीमान्त कृषक का जनरली लोगों को नहीं मालूम पड़ सकता है क्योंकि पॉइन्ट 0.33 के कई लोग होते हैं, और कई नहीं होते हैं बहुत गरीब जनता से ताल्लुक है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसका

Page No 73

(73)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ताल्लुक मनीलेन्डर पर पड़ेगा और कम से कम इस परिवर्तन के लिये दो फसली और एक फसली एरिया वाइज या सिंचन के साधन के हिसाब से तय कर दें। हमने सिंचाई के साधन मेजर पेरेनियल केनाल से लिये हैं वे दो फसली अवश्य हैं किन्तु कितने पिछले साल से कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। गंगानगर और कोटा प्रभावित क्षेत्र हैं और बारहमासी सिंचाई होने वाली 0.33 हैक्टर भूमि। और हमारा यह निवेदन है कि अमेन्डमेन्ट में नहीं रखें क्योंकि हैक्टर को गांवों में कोई नहीं समझता। इसको कृपा करके एकड़ में कनवर्ट करें ताकि सब लोग समझ लें वरना कनवर्शन के लिए एक क्लास और अटेण्ड करनी पड़ जायगी। तो इसके लिए यह सब किया है और इसका लास्ट है उसी से नतीजा निकलता है। फिर अगर ऐसा मान लेते हैं तो सीलिंग एक्ट में वह चीज लागू होने की जरूरत नहीं है। यह मेरा निवेदन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो पॉइन्ट्स कहने हैं। एक तो भाग (च) का राजस्थान केनाल, भाखरा और चम्बल के सम्बन्ध में 0.33 हैक्टर रखा है तो माननीय मंत्री जा अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर इन्टेन्सिटी मेन फैक्टर है और ऑथोरिटी, सीलिंग ऑफिसर या एस. डी. एम., वह इन्टेन्सिटी तय करता है और उस इन्टेन्सिटी के हिसाब से स्वाइटम ऑफ सीलिंग एस्टेब्लिश होती है। यहां तक कि उसमें इरिगेशन ऑफिसर का भी दखल नहीं है। वह किसी को 40 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी माने, किसी को 80 पर्सेन्ट माने या फिर किसी को 50 पर्सेन्ट माने। उस हिसाब से वेरीयेशन होता है। तो सीमान्त कृषक के लिए 0.33 हैक्टर रख दिया। आप उसको इन्टेन्सिटी के चक्कर में डालते हैं। आपने ऑफिसर तय किया। आप का अमेन्डमेन्ट मैंने मंत्री महोदय देखा है। आपने तहसीलदार को पावर्स दी हैं सीमान्त कृषक या लेबर की, वह आपका अमेन्डमेन्ट आ गया और जा आप लिक्विडेशन का ले रहे हैं उसके अन्दर तो आपने क्लॉज डाल ही दिया है। उसमें तहसीलदार को पूरी पावर्स दे दी हैं लेकिन एक ता यह डुप्लीकेसी होगी।

दूसरे, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह सेन्टर की गाइड लाइन्स के हिसाब से उन्होंने किया है। मैं कहता हूं कि ब्रॉडली उन्होंने सेन्टर की गाइड लाइन के हिसाब से नहीं किया है लेकिन जैसा उन्होंने स्वीकार किया है, जो प्रोवीजन्स हैं उसमें वेरीयेशन्स डिफरेन्ट कन्डीशन्स के अन्दर किये हैं। वह कौन से गरीब हैं जिनके कपड़े माननीय मंत्री महोदय ने उस महाजन के घर में देखे? किसके चिथड़े किसकी घड़ियां देखी? क्या वह गांव का कोटवाल नहीं है और ब्रॉडली वह तो राजस्थान में लागू करने की बात करते हैं अगर राजस्थान को ही ले लें तो राजस्थान के हर जिले में डिफरेन्ट वेरीयेशन्स हैं। गांव का कोटवाल है वह पटवारी आये, तहसीलदार आये उसके लिए खाट बिछाता है। वह पंचायत का सन्देशवाहक भी है और मृत पशुओं को भी वह उठाता है और दरिद्रता की चरमसीमा पर वह पहुंचा हुआ व्यक्ति है। हर धनी किसान के मृत पशु की पछार

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
बनाता है जिससे बैलों को हांका जाता है और सबसे ज्यादा वह ऋणी व्यक्ति है गांव में। क्या इसमें कठिनाई है अगर इसको स्पेसीफाई कर दिया जाये, जैसा कि हमारे दल के नेता ने भी कहा है ? आपको अपनी तरफ से इसको स्पेसीफाई करना पड़ेगा तब आप बहुत बड़े भाग को मुक्ति दे पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तीनों के क्लाज 2 में संशोधन हैं। पहला संशोधन तो कमजोर वर्ग का है और दूसरा केटेगरी को शामिल करना चाहते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, भारत सरकार ने हमें जो गाइड लाइन दी है उसमें उन्होंने वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी 4 कैटेगरी को माना है जो कि शिड्यूल में है परिभाषा की क्लाज 2 दी है। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसा कि वह सोचते हैं कि वह कमजोर वर्ग के लोग हैं और उसके साथ ही साथ जिनकी आमदनी 3 हजार रुपया से कम है, भारत सरकार की गाइड लाइन तो 2,400 रुपया है और 3,000 रुपये से कम तो 2,900 रुपया भी हो सकता है और 1,099 रुपया भी हो सकता है। उधर 2,400 की गाइड लाइन पूरे देश के लिए है। 3,000 रुपये तक की आमदनी है तो वह भी एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनेशन में आना चाहिए। उसके साथ ही साथ कमजोर वर्ग की डेफीनेशन में आना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं इस संशोधन का स्वीकार नहीं कर सकता। सिम्पलीफाई करने के लिए जो आपने एक संशोधन भाग (च) में और भाग (ड) में रखा है क्योंकि मैं (ज) के क्लाज 2 का सब-क्लाज (1) का संशोधन है इसको तो स्वीकार करने में असमर्थ हूं। वह जो आपने संशोधन रखा है (ड) और (च) में तो (ड) तो (च) का कान्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट है। 'वृहद् सिचाई योजनाओं, जैसे राजस्थान, भाखरा, चम्बल और गंग नहर क्षेत्रों के कमाण्ड क्षेत्रों में बारह मास सिचाई होने वाल, 0.33 हैक्टर भूमि'।....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो सिस्टम हैं, पेरेनियल और नॉन-पेरेनियल।

श्री परसराम मदेरणा : दो शेयर क्रॉप की डेफीनेशन सीलिंग के कानून में है। उसमें केलकुलेट करने में एक-एक केस में ज्यादा समय लगेगा। इसलिए इस मामले में ऐसी सिम्पल परिभाषा रखी जाये ताकि समझने में किसी को गलती नहीं हो और बेनीफीशियरीज को तुरन्त उसका लाभ मिल जाये यही आपका अभिप्राय है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हां, यही अभिप्राय है और यह भी अभिप्राय है कि मेजर इर्रीगेशन प्रजिक्ट में जो एक नॉन-पेरेनियल है उसमें 6 महीने पानी चलता है पेरेनियल में 12 महीने पानी चलता है, और उस नॉन-पेरेनियल में एक ही क्रॉप होती है....

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह हुआ कि मेजर प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर भी दो प्रकार की डेफीनेशन डाली जाये जहां पेरेनियल नहीं है याने 12 मासी नहीं है वहां तो उसको उसमें निकाल दिया जाये ..

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसा ही है। श्रमेन्डमेन्ट का यही तात्पर्य है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह हुआ कि 12 मासी कौन सी नहर चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है यह भी डिसाइड करना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो सिस्टम डिसाइडेड है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन पानी सब जगह नहीं पहुंच रहा है जैसा कल ही माननीय सदस्य कह रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह प्रश्न नहीं है कि पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है वह तो इनएफीशियेन्सी की वजह से है।

श्री परसराम मदेरणा : एफिशियेन्सी तो है, दूसरा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पहुंच जाएगा ?

श्री परसराम मदेरणा : तो यह कन्वर्शन रेश्यो की भी जो गाइड लाइन है उसमें साफ लिखा है कि अभी कन्वर्शन रेश्यो वही अप्लाई करेंगे जो लैंड रिफार्म में किया जावेगा।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं लेकिन जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य विराजमान हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे कि हमारे यहां स्माल फार्मर्स की जो भूमि आएगी वह 44.64 बीघा आएगी, वह बहुत कम है इसलिए इसको डबल कर दिया जावे। भारत सरकार की गाइड लाइन में यह नहीं है। सीमान्त कृषक के सम्बन्ध में पूरे देश में गाइड लाइन पास है, उसकी परिभाषा में एक हैक्टर सिंचित और दो हैक्टर असिंचित भूमि है वही सीमान्त कृषक है। उन्होंने यह लिखा है कि स्माल फार्मर्स की इसको डबल हो जायगी। अब इससे डबल हो जाएगी, सब-एरिया में, दूसरे एरिया में कन्वर्शन रेश्यो एप्लाई कर दीजिए लैंड रिफार्म्स का और राजस्थान में जोन बने हुए हैं। अलग-अलग जोन में रेश्या दिया हुआ है। सेक्शन फाइव ऑफ सीलिंग एक्ट में कन्वर्शन रेश्यो है और कन्वर्शन रेश्यो में कन्वर्शन दिया है 18 एकड़ से कम में कन्वर्शन रेश्यो नहीं है। जो 18 एकड़ से कम के सीमान्त कृषक हैं उनका कन्वर्शन रेश्यो केलकुलेट नहीं होगा। अब जब हम वहां पर गए तो राजस्थान की पिक्यूलियर सिचुएशन हो गई। स्माल फार्मर्स का डबल होगा। उन्होंने कहा कि हम इनको वीकर सेक्शन नहीं मानते। इधर तो आप बहुत कुछ करने की बात करते हैं और इधर इतना रख रहे हैं। अब राजस्थान की जो स्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें जमीन की वेल्यू नहीं है। कन्वर्शन रेश्यो के सम्बन्ध में कितनी भूमि रहनी चाहिए यह बिल आगे आएगा। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन लेने के लिए गए प्रीवियस प्रेसीडेंट की अप्रूवल के लिए तो उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अन्दर काफी इसकी जांच हुई है। और आज मैं कोई अमेंडमेंट, जो गाइड लाइन के अनुकूल नहीं है या गाइड लाइन से सम्बन्धित नहीं है, नहीं मान सकता। परिभाषा को जैसा आप सिम्प्लीफाई कराने के लिए चाह रहे हैं इसे मोरेटोरियम की स्टेज पर नहीं मान सकता। दो तीन दिन बाद जब लिक्वीडेशन की स्टेज आएगी, उसमें सिम्प्लीफाई हो सकता

(श्री परसराम मदेरणा)
है। जैसा मुझे बताया गया है लीगल एक्स-पर्ट्स के द्वारा, इसके बाद कॉसीक्वेन्शल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और यह जो ड्राफ्ट किया गया है वह भी ठीक नहीं है इसलिए यह संशोधन तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके अलावा जो कमजोर वर्ग में आपने नई श्रेणी जोड़ी है यह पूरे हमको इंस्ट्रक्शन्स थे गाइड लाइन में और गाइड लाइन में यह था कि बेनिफिशियरी इन-डिफरेंट स्टेट्स के कवरेज में पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब दूसरे प्रान्तों में जहां यूनिफॉर्मिटी का प्रश्न है, उन्होंने भी इन्हीं कैटेगरीज को लिया है, सिवाय महाराष्ट्र के जिसमें अरबन एरिया के लिए एप्लाई करते हैं। लेकिन गाइड लाइन, एक्सटेंट ऑफ एरिया, होल्डिंग के सम्बन्ध में है, और दूसरे एरिया में जो अरबन एरिया ले रहे हैं रेश्यो के लिए या लिक्वीडेशन के लिए यह गाइड लाइन में नहीं है। उस सम्बन्ध में जांच हो रही है, अभी समय लगेगा। आज मोरेटोरियम में चार कैटेगरीज, जिनको मैंने अनुसूची में दिया है, के सम्बन्ध में ही मैं अपने आपको लिमिट में रखना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके संशोधन को इस स्टेज पर स्वीकार नहीं कर सकता हूं लेकिन सिम्प्लीसिटी के प्रश्न पर एग्री करता हूं। जब 22 तारीख को यह प्रश्न आएगा तब विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, प्रेस करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण-अविस्थगन) विधेयक, 1976 के खण्ड (2) में माननीय श्री रतीराम यादव, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (2) को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड-3

श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में मेरा संशोधन है कि "उप-खण्ड (3) व (6) विलोपित किये जायें।"

जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने प्रारम्भ में कहा कि आर्थिक ढांचा डांवाडोल हो जाएगा। न तो मेरे कहने का यह मतलब था और न ही माननीय मंत्रीजी का ही यह मकसद हो सकता है लेकिन मेरा कहना तो सिर्फ इतना सा है कि आप चाहे जो मानें लेकिन इसका विकल्प क्या है। आप यह कानून लागू करना चाहते हैं,

(श्री मीठालाल मीणा)
यह कानून जिस उद्देश्य से लागू किया जा रहा है - उससे कोई हम अलग नहीं हैं लेकिन इसके व्यवहारिक रूप को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज कानून बना देंगे पर गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से कोई ऐसा बैंक या सोसायटी किसी भी ढंग की कोई नहीं है जो गरीबों को आज से कर्जा देना प्रारम्भ कर दे। आपकी तरफ से क्या इन्तजाम किया है कि जिससे तत्काल गरीब लोगों को, आज ही अगर उनको कर्जे की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल पड़ेगी, वहां से कर्जा मिल सके। वोहरों ने, कर्जा देने वालों ने तो हाथ खींच लिया है और यह स्वाभाविक भी है, वे जानते हैं कि आज अगर हम इनको पैसा देंगे तो कल हमारा पैसा वापिस मिलने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनको पैसा देने का सवाल नहीं है। कर्जा देने वाले साहूकार ने उनको कर्जा नही दिया तो आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है ? कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे उनको कर्जा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपने साहूकारों पर बैन लगा दिया जो कर्जा देते थे लेकिन आपने या केन्द्र सरकार ने, आपके बैंक या आपकी सम्बन्धित कम्पनी ने सरकारी निगम, राज्य सरकार के राज्य कृषि उद्योग लि., ने किसी भी प्रकार की सहकारी समितियों को पूरी छूट दी कि वह तो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि किसान की स्थिति सुधरेगी, यह सही नहीं है। किसान ज्यों का त्यों कर्जे में दबा रहेगा, उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर तो पाबन्दी लगा कर सरकारी कर्जा वसूल कर लिया जावे। अगर आपने सरकारी कर्जा वसूल करने के लिए ही कानून बनाया है तो ठीक है ? यह आप क्यों नहीं साफ तरीके से कहते कि हमें सरकारी कर्जा वसूल करना है। जब आप उन कर्जदारों का, गरीबों का स्तर उठाना चाहते हैं, उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं और इसके लिए पाबन्दी लगाकर सुधारना चाहते हैं वह भी एक साल के लिए तो अगले साल फिर जब उससे कर्जदारी वसूल होगी तब उसकी स्थिति क्या होगी ? क्या उस समय उसकी स्थिति खराब नहीं हो जाएगी ? दूसरा यह है कि उस साहूकार पर तो पाबन्दी लगा दी लेकिन सरकारी विभाग जबरन उनसे कर्जा वसूल कर रहे हैं, मनमाना ब्याज वसूल कर रहे हैं, दुगुना ब्याज ले रहे हैं, दुगुना नहीं हो और साधारण ब्याज भी हो तो भी सरकारी वसूलियां बराबर चल रही हैं। यह जो आपने कहा था कि उसकी स्थिति सुधरेगी मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसकी स्थिति तो तभी सुधर सकती है जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाय, सब तरह की देनदारियों से मुक्त हो जाय।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसे आप यह कानून एक साल के लिए लागू करना चाहते हैं साहूकारों के साथ में, कर्ज देने वालों के साथ में, वैसे ही इसमें यह भी हो कि जितनी भी सरकारी संस्थायें हैं उनका जा रुपया बकाया है, उस बकाया राशि को भी एक साल के लिए वसूल करना बन्द कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतीराम यादव !

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) के (क) भाग में यह संशोधन रखना चाहता हूं :

"भाग (क) का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाय—

अनुसूचित ऋणी को पट्टे पर दी गई किसी भी सम्पत्ति के बारे में देय कोई एक वर्ष का किराया"

यानि प्रस्तुत विधेयक में केवल इतना है कि कोई किराया है तो उस पर यह लागू नहीं होगा, उसकी एवज में यह रखना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह कभी का किराया इकट्ठा हुआ पड़ा है तो उस पर लागू नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अमल में हम यह देखते हैं कि गांवों के अन्दर अनपढ़ आदमी पट्टे पर ले लेते हैं उसकी तो चाहे लिखा पढ़ी हो जाती है लेकिन उसका किराया जब जमा कराता है मालिक का तो उसकी कोई रसीद नहीं मिलती है। कहीं मिल भी जाती है लेकिन आम तौर पर नहीं मिलती है। वह यह समझता ही नहीं है कि इसकी एवज में मुझे रसीद लेनी चाहिए पेमेंट की और इसका परिणाम यह निकलता है कि वह कर्जा एक साथ इकट्ठा करके और उस पर जाकर के कोर्ट में दावा कर देता है। उसके पास में रसीद वगैरह तो है नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे केसेज में हम राहत दे नहीं सकते। तो मेरा संशोधन है उसका यही उद्देश्य है कि हम एक साल का स्थगन दे रहे हैं इन ऋणों के बारे में, ऐसे किराये को हम घटा कर अगर कोई कोर्ट में जाता है तो उसको एक वर्ष का ही रखें न कि किराया कितना भी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी में दूसरे 'ख' भाग के अन्दर प्रस्तुत है, "भाग (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाय— (ख) किन्हीं भी अनुसूचित कृषियों के मध्य न्यास-भंग के कारण उत्पन्न कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व"। इस में मैंने संशोधन रखा है और यह निवेदन किया है कि इस भाग को निकाल कर यह जोड़ दिया जाये 'किन्हीं भी अनुसूचित ऋणियों के मध्य न्यास भंग के कारण उत्पन्न कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धा दायित्व'। ऐसा इसलिए है कि अगर कोई अनुसूचित ऋणी और धनी वर्ग साहूकार इत्यादि के बीच में कोई विवाद खड़ा हो जाये और अगर इस तरह के वर्गों के लोगों में यह विवाद पैदा हो तो ऐसों के ऊपर यह लागू रहना चाहिये। उनके अन्दर विवाद कोर्ट में जाए। दोनों की एक सी स्थिति आज तक है और आर्थिक स्थिति सीमित है। इसके अन्दर भारी खतरे हैं और जहां गड़बड़ी घोटाला हुआ तो बेचारे मारे जायेंगे, तब भी बकाया है। जैसे स्टाम्प लेते हैं और वापिस नहीं लेते हैं तो वह बकाया बरकरार है। इसलिए मैंने यह कहा है कि इनको भी बंद किया जाये और समान वर्ग के लोगों का दावा भरसक चल सकता है।

एक इसी के अन्दर 'ग' भाग है उसमें मेरा संशोधन है। भाग (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाय—"अनुसूचित ऋणी के प्रति अनुसूचित ऋणी के द्वारा की गई सेवाओं के लिये वेतन या अन्यथा रूप में बकाया मजदूरी या पारिश्रमिक के बारे में कोई दायित्व" अनुसूचित ऋणी के प्रति अगर कोई धनी वर्ग का आदमी, शोषक वर्ग का आदमी अथवा कोई साहूकार

(श्री रतीराम यादव)

किसी भी समय किसी कारणवश कोई सेवा ले और जिसके एवज में उससे पारिश्रमिक या वेतन देय है, तो उसका इसके अन्दर रखा है कि लागू नहीं होगा। मेरा यह संशोधन है कि इस पर लागू होना चाहिये। अगर समान वर्ग के लोग हैं तो उस पर लागू होना चाहिये। यह तीनों क, ख, ग में मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और मंत्री महादय को यह निवेदन करूंगा कि जो वे बार बार यह बात दोहराते हैं कि हमने भारत सरकार की गाइड लाइन के ऊपर ही यह सारा का सारा बिल रखा है तो मैं बहुत ही नम्रता के साथ उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भारत सरकार की गाइड लाइन से बंधी होकर चलती हो तो उनकी बात को मैं मान लेता, लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकारें अपनी-अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अपने तरीके से चलती है, कानून बनाती हैं, अलबत्ता जो मंशा है भारत सरकार की, जो गाइड लाइन है वह नहीं मिटनी चाहिये। इस बात से मैं सहमत हूं। जहां तक इसका उद्देश्य है, गाइड लाइन की भावना इसमें निहित होनी चाहिये परन्तु हमारे लिए यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। अगर भारत सरकार कहती है पांच रुपया न्यूनतम मजदूरी दीजिये और हमारी अपनी ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनके मुताबिक हम उनको साढ़े पांच रुपये दे सकते हैं तो आप दीजिये। और आज आप भारत सरकार की ही गाइड लाइन पर कहां चल रहे हैं? अभी भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को इन्क्रीमेन्ट्स दे दी हैं और हमारे यहां पर सारी की सारी बकाया पड़ी हैं और कर्मचारी रो रहे हैं। तो आप कहां भारत सरकार का गाइड लाइन पर चल रहे हैं? इसलिए मैं यह नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि भावावेश में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन यह गंभीरता से विचारणीय प्रश्न है और इस पर गम्भीरता से विचार कर इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल!

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्व मंत्री जी!

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष जी, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य क्लॉज तीन में 'कतिपय ऋणों एवं दायित्वों पर इस अधिनियम का लागू न होना' इस खंड एक को विलोपित करना चाहते हैं ताकि जा कर्जे हैं, राज्य सरकार के, सहकारी संस्थाओं के, कम्पनियों के, कृषि उद्योग निगम के और इसके साथ ही साथ जो एरियर ऑफ लैन्ड रेवेन्यू है वह माफ करने चाहिये। मोरेटोरियम की यह मंशा नहीं है। बात तो यह है आल्टरनेटिव चेनल ऑफ क्रेडिट की। परन्तु यह अमेन्डमेन्ट कर के मैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकूंगा। अगर यह जोड़ देते हैं तो इस तरह के कर्जे माफ हो जाएंगे तो फिर उनको आल्टरनेटिव एजेन्सी देने की जो बात

(श्री परसराम मदेरणा)
करते हैं, वह ग्राल्टरनेटिव एजेन्सी धनराशि कहां से प्राप्त करेगी '

श्री योगन्द्रनाथ हाण्डा : धनी वर्ग से पैसा ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार तिजारा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज तीन में उसके क, ख, ग में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।....

श्री रतीराम यादव : मैंने क्लॉज तीन में प्रस्तुत किए हैं ·

श्री परसराम मदेरणा : वही तो कह रहा हूं। ग्रापको मालूम नहीं है। ये प्रस्ताव रामानन्द जी के ड्राफ्ट किए हुए हैं ग्रापके नहीं, इसलिए मालूम नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक चल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : इस क्लॉज 3 में, इसके क, ख, ग में ग्रापने संशोधन दिए हैं। पहला संशोधन तो यह है कि "ग्रनुसूचित ऋणी को पट्टे पर दी गयी किसी भी सम्पत्ति के बारे में देय कोई किराया" "कोई" ग्रौर "किराया" के बीच में एक वर्ष को जोड़ना चाहिये। हालांकि यही शब्द इनको लिखना चाहिए था परन्तु इन्होंने पूरा का पूरा सेन्टेन्स ही लिख दिया है, जोड़ दिया है। इसमें ग्रौर कुछ नहीं कहा है। सब के सब वही शब्द हैं। दूसरा ग्रापका यह है – "किन्हीं भी ग्रनुसूचित ऋणियों के मध्य न्यास भंग के कारण उत्पन्न कोई दायित्व ग्रथवा कोई ग्रपकृत्य सम्बन्धी-दायित्व" दो कैटेगरी हैं स्माल फार्मर ग्रौर मार्जीनल फार्मर, रूरल ग्रार्टीजन, एग्रीकल्चर लेबर, इनके बीच कोई लायबिलिटी टारचुग्रस हो तो वह देय होगी ग्रथवा नहीं। तीसरा ग्रापका यह है "ग्रनुसूचित ऋणी के प्रति ग्रनुसूचित ऋणी के द्वारा की गई सेवाग्रों के लिए वेतन या ग्रन्यथा रूप में बकाया मजदूरी या पारिश्रमिक के बारे में कोई दायित्व" यह नहीं दी जाये। ग्रौर इस पर यह मोरेटोरियम, कानून लागू होना चाहिये। ग्रभी लागू नहीं है। इनके लिए एप्लीकेबल बनायें नहीं ग्रौर दूसरों के लिए बना दिया जाये। ग्रौर इनको एग्जम्पशन दे दिया जाये। तो मैं इन एग्जेम्पशन को स्वीकार नहीं कर सकता। यह कहा गया कि जो दलील मैं दे रहा हूं वह कोई कन्विंसिंग नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह तो मैं यहां पर नहीं बताना चाहता हूं....

श्री रतीराम यादव : कुछ मामलों में तो करते हैं परन्तु पूरे का पूरे नहीं ग्रौर कहीं ग्रपने तरीके भी ग्रपनाते हैं। दूसरी राज्य सरकारें भी ग्रपनाती हैं, ग्राप भी ग्रपनाते हैं यह मैंने कहा है। यह नहीं कहा कि गाइड लाइन पर काम नहीं करते हो।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रपने ही ढंग के ऐसे मामले हैं जिनमें कुछ राजस्थान सरकार के इन्टेन्शन्स के ऊपर एसपर्शन्स हैं ग्रापके। क्या परिस्थिति हो सकती है, क्या डिफिकल्टी हो सकती है? सर्टेन गाइड लाइन्स रखने की बात है तो जहां ग्रोवर ड्राफ्ट है या ऐसी कोई भौगोलिक स्थिति हो जाती है, ग्रकाल या फ्लड या नेचुरल

(श्री परसराम मदेरणा)
केलेमिटीज हो जाती हैं तो गाइड लाइन्स को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मजबूरी हो जाती है। यह जो मोरेटोरियम का बिल है शिड्यूल्ड डेटर्स के लिए तो इस बिल के सम्बन्ध में भारत सरकार की पूरी-पूरी गाइड लाइन्स को मान लिया है और वह गाइड लाइन्स यह है "To include certain liabilities such as—

(1) any rent due in respect of any property let out to a scheduled debtor;

(2) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;

(3) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered." इसमें केवल हमने "Services rendered to the debtor" कर दिया है। यह ड्राफ्टिंग की वजह से है, नहीं तो बिल्कुल कोमा का भी फर्क नहीं है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स को आगे नहीं पढ़ना चाहता और इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने अपनी गाइड लाइन्स में एक बात और कही है। वह गाइड लाइन The intention is to give relief to the weaker sections of the rural population. और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि हम केवल उन्हीं वीकर सेक्शन को कवर करना चाहते हैं जो कि आज की मौजूदा परिस्थितियों में देश का जो फिस्कल स्ट्रक्चर है, जो आज हमारे सामने कई प्रकार की दिक्कतें हैं और परेशानियां हैं उन सबको मीट करने के लिए और आल्टरनेटिव क्रेडिट की व्यवस्था करने के लिए, कम्प्लीटली वेक्यूम खड़ा न हो जाय। सभी प्रकार के कर्जों को माफ करने का और सभी प्रकार की लायबिलिटीज को एग्जेम्प्ट करने का न तो भारत सरकार का इन्टेन्शन है और न प्रधान मन्त्री जी का। इसलिए जो गाइड लाइन्स दी गई हैं उसी प्रकार से शिड्यूल रखा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसको विथड्रा करें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कुछ बना माननीय सदस्य ?

श्री रतीराम यादव : बिल आयेगा तब देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 के खण्ड 3 में श्री मीठा लाल जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में माननीय सदस्य श्री रतीराम यादव ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 3 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 4। श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 5। माननीय मन्त्री जी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 के पश्चात निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"5 क. प्रमाण-पत्र देने की शक्ति—तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा निरीक्षक, भू-अभिलेख जिनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई ऋणी वास्तविक रूप में तथा**** ***"

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑफिसर्स लॉबी से पढ़ा लें। मैं भी कष्ट में हूं।

श्री परसराम मदेरणा : "निवास करता है अथवा****"

श्री रतीराम यादव: नीचे वाला साफ है।

श्री परसराम मदेरणा: "स्वेच्छया निवास करता है अथवा कारबार करता है"(विराम) समापन विधेयक से पढ़ देता हूं उसमें साफ है। समापन का बिल जो है उसमें यह है।

"तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा निरीक्षक, भू-अभिलेख, जिनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई ऋणी वास्तविक रूप में तथा स्वेच्छया निवास करता है अथा कारबार करता है अथवा अभिलाभ हेतु स्वयं कार्य करता है और ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, जो विहित किया जाय, विहित प्रारूप में तथा विहित रीति से यह प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम होगा कि ऋणी एक कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक या ग्रामीण शिल्पी है ·· ····"

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसमें "लघु कृषक" और है। समापन में वह नहीं है। समापन का पूरा पढ़ गये आप।

श्री परसराम मदेरणा : "कृषि श्रमिक सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी या लघु कृषक है"। "लघु कृषक" है। इसमें एक ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष . इसी की विशेष आवश्यकता है इसमें।

श्री परसराम मदेरणा : इसीलिए यह किया जा रहा है। लिक्वीडेशन बिल आया है दूसरे के लिए उसमें इसकी आवश्यकता नहीं थी।

"5 ख. उप-धारणा तथा सबूत का भार—जहां किसी सिविल न्यायालय में ऋण की वसूली के लिए किसी कार्यवाही में कोई ऋणी धारा 5 क के अधीन उसके पक्ष में जारी किया गया प्रमाण-पत्र

(श्री परसराम मदेरणा)

पेश करता है तो सिविल न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह ऋणी एक अनुसूचित ऋणी है तथा इसके प्रतिकूल साबित करने का भार लेनदार पर होगा।"

यह संशोधन इसलिए कर रहे हैं कि शिड्यूल्ड डेटर्स कौन हैं ? उसकी आमदनी कितनी हो, उसकी गाइड लाइन बाद में आयेगी इसलिए मैंने लिक्वीडेशन बिल में तो इसका प्रावधान कर दिया है, क्योंकि स्माल फार्मर्स का अभी तक उसमें स्केलिंग डाउन का प्रश्न है ताकि ऐसे लोगों को एडवान्टेज मिल जाय। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ क्रेडिटर पर डाला गया है ताकि सर्टिफिकेट लेने पर ऋणी की अनुसूचित सूची में आ जायेगा तो क्रेडिटर यह प्रूव करेगा कि वह सूची में नहीं आ रहा है। इसलिए यह संशोधन रखा गया है इसको स्वीकार किया जाय।

श्री रतीराम यादव: मैं इस पर संशोधन रखना चाहता हूं। क्योंकि यह आज ही सर्क्यूलेट हुआ है.......

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन आप कैसे रखेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन रखा है उस पर बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद का एमेंडमेंट रखना चाहते हैं।

श्री रतीराम यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने संशोधन रखा है, 5 'ए' में उसमें सर्टिफिकेट देने वाली ऑथोरिटी को डिफाइन किया है। मैं सोचता हूं कि बी. डी. ओ. को इसमें जोड़ा जाये। बी. डी. ओ. का सम्बन्ध मुख्यतः ग्राम से रहता है। गिरदावर और तहसीलदार रखे हैं तो उसमें बी. डी. ओ. लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने लघु कृषक, और स्माल कृषक को थोड़ा डिफाइन किया है। इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश भी उन्होंने प्रस्तुत की है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए कौन सीमांत कृषक होगा, कौन आर्टिजन होगा, इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक लिक्वीडेशन का प्रश्न है, लघु कृषक को अलग किया जाता है। माननीय मन्त्री जी, लघु कृषक की परिभाषा पढ़ी है। मैं समझता हूं कि इसमें लघु कृषक है। उनका जो स्केल है वह स्केल सारे के सारे सीलिंग में दे रखा है। चाहे कॉलोनाइजेशन हो, चाहे नॉन-कॉलोनाइजेशन हो, चाहे उपजाऊ हो, चाहे रेगिस्तानी हो, या अर्ध-रेगिस्तानी हो, इसमें ऑथोरिटी एस. डी. एम. है। वह सीलिंग ऑफिसर है, जो इण्टेंसिटी वह तय कर लेगा, वह फाइनल है। अब तहसीलदार और गिरदावर और आ गये हैं यह फाइनल ऑथोरिटी हैं। पहले ही यह था कि एस. डी. एम. ने कह दिया वह ठीक है चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो चाहे कोटा क्षेत्र का हो। जहां बारानी इलाकों में 10 रु. पानी है, 5 रु. पानी है। इससे तो अच्छा है, आपने जो इम्प्लीमेण्टेशन कमेटीज बनाई हैं, उन इम्प्लीमेण्टेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
कमेटीज का आप क्या कर रहे हैं। उनको भी आपने रिकार्ड चेक करने का अधिकार दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उन कमेटीज का क्या कर सके हैं। अभी तक कहीं भी चाहे 4 मेम्बर भी इस कमेटी के हैं, वह चारों को नजरन्दाज करके अपना ही डण्डा घुमाते हैं। इसलिए इस भावना को कम से कम जनता के सामने रखें। इम्प्लीमेण्टेशन एक आवश्यक सूत्र है। जनता का सहयोग कमिटेड लोगों का सहयोग है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर की फौज है। यह ब्यूरोक्रेसी है। अन्य तो चिलम भरेंगे। कोतवाल झाड़ू देगा। फौज पैदा करो वह बात तो अलग है। नहीं तो जो कृषक आर्टिजन हैं, उस दृष्टि से विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, रूरल आर्टिजन और एग्रीकल्चर लेबर को डिफाइन जरूर कर दिया गया है। लेकिन आमदनी 2,400 रु. है। यह गाइड लाइन बाद में आई है। इसलिए लिक्वीडेशन या मोरेटोरियम में नहीं है। मोरेटोरियम में लघु कृषक रखे हैं, वहां नहीं रखे हैं। यह संशोधन मैंने रखा है। अगर ऐसा सर्टिफिकेट हो जाता है, लघु कृषक किसे मानते हैं, ऐसा अधिकारी सर्टिफिकेट दे देता है तो सिविल कोर्ट में दावा हो तो वह हो जाता है। मैं तो सोच रहा था, आप स्वागत करेंगे। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मनीलैण्डर से जोड़ने की बात की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहले को-ऑपरेटिव था, अब रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है। जो भी गरीब हैं, उनको इस कानून के अन्तर्गत रेवेन्यू अधिकार हैं। इसलिए यह कानून बनने जा रहा है, इसको एक ही डिपार्टमेंट में लेना चाहिए। लेकिन कुछ कानून विकास अधिकारियों को अधिकार देते हैं। मिनिमम वेजेज के अधिकार देते हैं। इससे पूरी रेस्पोंसिबिलिटी नहीं रहेगी। विकास अधिकारी पंचायत समितियों में भी हैं। रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल में भी ज्यादा उपलब्ध हो सकेंगे। इसको जैसे प्रूव करना है कण्टेस्ट करना है, यह कृषक नहीं है, यह सीमान्त कृषक नहीं है, रूरल आर्टिजन नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर नहीं है, यह वह साबित करे। ड्युअल एजेन्सी रखने से प्रूव करने का बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं। यह कि इससे ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आप स्वागत करेंगे वैसे मुझे विथड्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसके बारे में सोच रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा: जैसे इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी में कई लोग बैठेंगे। उसकी कितनी आमदनी है, कितनी नहीं है। पचास इण्टरप्रिटेशन होंगे तब कहीं सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट इण्डीवीजुअल आदमी पर रखना चाहिए ताकि वह सर्टिफिकेट दे सके। कमेटी सर्टिफिकेट की जांच कर सकती है। उसे डिसएप्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैं यह संशोधन रखता हूं। मैं समझता हूं कि आप इसे एप्रूव करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काश्तकार को सक्षम करते हैं। कुछ एम. एल ए. सरपंच हैं। एक कमेटी बना दी जाये।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

सदस्यों की सब-कमेटी भी गिरदावर लेविल पर बना रहे हैं। उसका फंक्शन क्या होगा ?

श्री मीठालाल मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ...

श्री उपाध्यक्ष : जवाब होने दें।

श्री मीठालाल मीणा: जो यह अमेण्डमेंट दिया है, इसके बारे में मैं आधा मिनिट अर्ज कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विकास अधिकारी होना चाहिए और माननीय हांडाजी ने जो कमेटी का सुझाव दिया तो किसी हद तक कमेटी बनाना तो ठीक है लेकिन अगर विकास अधिकारी को ही नियुक्त किया गया तो यह एक राजनीतिक अखाड़ा बन जायेगा और इसलिए भी कि उसके पास कोई रेवेन्यू रिकार्ड भी नहीं होता है, इसलिए उसको सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो संशोधन मूव किया गया है उसका इंगलिश ट्रान्सलेशन भी आप देखेंगे—

"Power to issue certificate.— The Tehsildar, Naib Tehsildar and Inspector Land Records, within the local limits of whose jurisdiction a debtor actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, and such other officer or authority as may be prescribed .."

गवर्नमेन्ट के पास पॉवर्स हैं कि वह किसी और ऑथोरिटी को प्रेस्काइब कर सकती है, उसमें चाहे कमेटी हो या विकास अधिकारी हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 लगायत 9 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 लगायत 9 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड I, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, एवं नाम आदि स्वीकार किये जायं ?"

(स्वीकृत)

खण्ड I, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री रतीराम यादव से) आपका अमेण्डमेंट पहले वोट डाउन हो चुका है।

श्री **परसराम मदेरणा** : क्लॉज 2 पर वोट हो चुका है और आपका अमेन्डमेंट रिजेक्ट हो चुका है। इसलिये इसको स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : हो सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : पारित करने हेतु प्रस्ताव। माननीय प्रभारी मन्त्री जी !

श्री **परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976, संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्रीजी !

श्री **परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन में विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री दीपंकर !

[निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक माह/एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री **दीपंकर** (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान साहूकार कानून राजस्थान में 1963 में बना और 64 में उसमें थोड़ा संशोधन हुआ और अब जो यह कानून आया है और संशोधन के लिए 1976 में, इससे क्या विशेष बात हो जायगी, इस संशोधन से क्या फर्क पड़ जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। वैसे जब हम यह मानते हैं कि भारत की एक नई आर्थिक, एक नई आधारशिला····

(3.25 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

····बनाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम रखा गया है और राजस्थान में जिस तरह हमने 21 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, उसी तरह से इसको 22 सूत्री कार्यक्रम बन जाना चाहिए। एक तरफ हमारे मुल्क की जो योजनाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, और हमारी जो संस्कृति है, उसे गिराने के लिए जो मुल्क पैसा देते हैं, जो हमारे देश में षड़यन्त्र करते हैं और हमारी निन्दा करते हैं, हमको असहयोग करते हैं, जो लोग हमको सहयोग करते हैं उनकी

(श्री दीपंकर)

तो प्रशंसा की जानी चाहिए ग्रौर उनकी गाइड लाइन पर हमको विचार करना चाहिए। इस प्रकार के समाजवादी मुल्कों से हमारे जो सम्बन्ध है, वहां पर इस तरह के कोई कानून कायदे नहीं हैं। इसलिए हम जो घोषणा करते है समाजवादी समाज कायम करने की बीस सूत्री कार्यक्रम के ग्राधार पर, तो एक पैसा रखने वाला ग्रादमी किसी की मजबूरी का फायदा उठाये ग्रौर उसके लिए इस तरह का कानून बने कि उसको मौका मिले, हजार रुपये हों तो पांच-छः हजार बनाने का मौका दिया जाय यह क्या ग्रापका कानून ग्रौर व्यवस्था है। ग्रामीण स्तर पर ग्राज जितना शोषण इस कानून के जरिये हो रहा है, जितने इस कानून को तोड़कर ग्रॉफेन्स किये जाते हैं ग्रौर जितने तरीके के झगड़े होते हैं, लोगों की बिक्री होती है, उनकी ग्रस्मत की बिक्री होती है, इस तरह के धन्धे होते हैं राजस्थान में ग्रौर ग्राप इस तरह से समाजवादी समाज की कल्पना करें, नई ग्राधारशिला की बात करें ग्रौर भारत सरकार द्वारा दी गई गाइड लाइन की बात करें, तो राजस्थान तो इसमें हमेशा ग्रग्रणी रहा है। यहां पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी पहले हुग्रा है ग्रौर पंचायती राज व्यवस्था भी सबसे पहले कायम की गई है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए इस कानून की क्या ग्रावश्यकता है? ग्रापने धारा 11 में यह प्रावधान किया है जिसके ग्रनुसार मजिस्ट्रेट को मौका मिलता है लाइसेन्स को रिन्यू करने का। ग्रगर उसके पास लाइसेन्स नहीं होगा ग्रौर पैसा उधार दे देता है तो सबूत दिये जाने पर डिक्री पारित हो सकेगी। पहले भी डिक्री का पैसा दिलाया जाता था, एक साथ नहीं तो किश्तों में दिया जाता था ग्रौर ग्राज भी किश्तों में देने का प्रावधान है। फिर धारा 11 को हटाकर ग्रगर लाइसेंस नहीं है ग्रौर कोई रीजनेबल कारण नहीं बता सकते हैं तो दावा खारिज कर दिया जायगा। मैं, सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों के ग्रन्दर जितने भी गरीब लोग हैं उनको देने वाले देनदार कौन हैं? यह ग्रापका कानून है इसके तहत इसके नाम पर बहुत से ग्रादमियों ने लाइसेन्स ले रखे हैं ग्रौर वे दो-दो, तीन-तीन साल से उसको रिन्यू नहीं करवाते हैं, परन्तु जिस तरह से ग्रापने फरमाया कि मद्रास में एक महाजन के घर में किसी की कमीज ग्रौर किसी का कोट मिला, तो वे तो बाहर जाकर भी ऐसा करते हैं। राजस्थान में मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर यह धन्धा करते हैं। तो इसलिए ग्रापके सामने वह जो चित्र था, गाइड लाइन के ग्राधार पर ग्रापने इसमें संशोधन किया, यह ग्रापने कुछ राहत पहुंचाने के लिए किया कि कुछ दावे तो खारिज होंगे ही, जो भूल जायेंगे लाइसेन्स रिन्यू कराना, जो ग्रोपनली ग्राना नहीं चाहते हैं, जो दो नम्बर का धन्धा करते हैं लेनदेन का ऐसे कुछ लोगों को फायदा मिल जायगा। ग्रगर ग्रापने ऐसा सोचा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। इससे ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कहते हैं तो ऐसे लोग हैं जो ग्रनडिक्लेग्रर्ड धन लगाकर बैठते हैं ग्रौर धन के बदले चांदी, सोना, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन ग्रौर न जाने क्या-क्या ग्रदाएं रख लेते हैं बिना लिखा-पढ़ी के ग्रौर बाद में उनको बेच कर खा जाते हैं। इसमें दावा करने

(श्री दीपंकर)

की जरूरत नहीं पड़ती है। वह कहता है कि मैंने दिया था। दिया था तो सबूत बताओ? कोई सबूत होता नहीं है। ऐसे लोगों के अन्दर लाखों की तादाद में रकम इकट्ठी हो जाती है। इन लोगों से बचाने का प्रॉविजन नहीं किया है जिससे कुछ लोग बचते। यह जरूरी था कि कुछ लोगों को छूट दी जाय कि यह गांव तुम्हारे हवाले। गांधी जी को पूछा गया था कि राजनैतिक आजादी मिल जाय तो मंजूर है। उन्होंने कहा, नहीं। आपने राजनैतिक आधार पर पंच, सरपंच बैठा दिये, न्याय पंचायत बैठा दी। बाद में न्याय पंचायत फेल हो गई तो सब-कमेटी भी बना दी। रेवेन्यू के अधिकारी और पटवारी बैठे हुए हैं। सब बातें होती हैं। मीटिंग भी होती है। यह बात जरूर है कि लोगों की चेतना बनी है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से लोगों को आत्म निर्भर बनाने का सिलसिला शुरू हो—उसके लिए आज तक क्या कर पाये हैं? यह चिन्तन की बात है। इस तरह का कानून यह है जिसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। यह कलंक की बात है। इसका साहूकार विधेयक नाम है। कौन साहूकार है? वह चोर हैं, दगाबाज हैं। क्या उन्हें यह संज्ञा दी जाय, जो गरीब आदमी को धोखा देते हैं, जो मुट्ठी चावल खिलाने के बहाने, शादी कराने के बहाने, काम निकालने के बहाने अच्छे विचार दिखाकर लूटते हैं, धोखा देते हैं? तुम्हारा हमारा काम है—इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसको चूस लेते हैं, खा लेते हैं। वह सदा सदा के लिए गुलाम बन जाता है। चुनाव के दिनों में मैंने देखा है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, बीस लोगों के वोट मेरे हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे पास क्या शक्ति है, कैसे इनके मालिक हो? उसने कहा, मैं साठ हजार मांगता हूं, मौसर मैंने कराया है, शादी मैं करवाता हूं, खेत मैं जुतवाता हूं, बीज मैं देता हूं। गांव में बीस, पचास, सौ परिवार उसके अदासे हैं, उनको उनसे नहीं छुड़वा सकते? ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते। जिन लोगों का प्रभाव रहा, उन्होंने यह कानून बनवाया 1964 में और धारा 11 रखवायी। उसको अब हटा रहे हैं उससे कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस कानून को अलग रख देना चाहिए और इसके बदले नई अर्थ व्यवस्था होनी चाहिए। वह हो सकती है, आपका कार्यक्रम भी है और को-ऑपरेटिव सोसायटी का बिल आपके सामने आ रहा है। आप को-ऑपरेटिव एजेन्सी को इतना बढ़िया बनाइये। उसमें जिस तरह का उदार दृष्टिकोण रखते हुए दरख्वास्त देते ही सदस्य मान लिया जाता है—ऐसा नहीं हो। को-ऑपरेटिव के ऊपर विशेष प्रकार के लोगों का आधिपत्य है भूमि विकास बैंक हैं, को-ऑपरेटिव बैंक हैं, गांव के सभी प्रकार के धन्ध करने वालों की सोसायटी है, रंगाई, छपाई, ईंट, भट्टी की है, किसी किस्म की है, ऐसे लोगों का आधिपत्य उनसे हटवा कर गांवों में विश्वास पैदा करने का कोशिश करिये और जरूरत पड़े तो सरकारी प्रभाव, भारत सरकार का प्रभाव काम में लीजिये। जमीन को समतल करने के लिये नालियां बनाने के लिए बाहर से, विश्व बैंक से पैसा ला सकते हैं तो क्या हिन्दुस्तान में समाजवादी समाज बनाने के लिए दूसरे आपका साथ दें नहीं तो क्या आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसा

(श्री दीपंकर)
बैंक या निगम नहीं है जिसके जरिए आप पैसा दिला सकें ? हो सकता है, बहुत बड़ा संख्या आप बताते हैं, इसलिए इतने पैसे की एकदम व्यवस्था नहीं हो। फिर तो लेन-देन को बन्द करने का आपने प्रॉवीजन नहीं रखा है, वह जारी रहेगा, लोग लेते देते रहेंगे, लूटते रहेंगे। उस लूट को बन्द करने का प्रॉवीजन नहीं है। इसलिए मैं आपके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कोई आदमी किसी की मजबूरी का फायदा उठा ले, और मनमाना काम करवा ले, हर तरीके की बात को करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़े—ऐसा कानून कायदा यह है, इस कानून को जनता की जानकारी के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करना जरूरी है। मूलधन, जो वह हाथ में देता है, से ज्यादा ब्याज ले सकता है—यह प्रथा चली आयी है। यह कौनसा कानून है कि मूलधन से ज्यादा ब्याज ले सकता है ? यह साहूकारी विधेयक है, यह कानून है इसमें संशोधन करना है तो इसे जनता के सामने उसकी राय जानने के लिए रखना चाहिए ताकि हर तरह के लोगों से सलाह मिल सके। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करना चाहिए। राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जहां प्रताप जैसे त्यागी हुए हैं, भामाशाह पैदा हुए हैं। ऐसे प्रदेश में इस तरह के भी लोग हैं जो पैसे से लोगों को गुलाम बनाते हैं और हजारों आदमियों को अपने मातहत रखते हैं। यह कलंक है। इस कलंक को दूर करने के लिए घोषणा करिये। इस कलंक को सदा के लिए समाप्त किया जाय। इतना ही निवेदन है, इसलिए मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह राठौड़ !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

डा. अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, जहां तक सरकारी नीति है कि गरीबों को ऋण से मुक्ति दिलायी जाय—उससे सहमत हूं। लेकिन सभापति महोदय, यह नए नए कानून, अलग अलग ऑर्डिनेन्स और बिल लाए हैं इनसे गांवों की सारी अर्थ व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है आज गांवों में एक अविश्वास का वातावरण बन गया है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं। अब आप साहूकार (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं, यह ठीक है कि आप ऋण से मुक्ति दिला रहे हैं। उन्होंने अगर गलती से रुपया दिया है तो वह अपील के अन्दर खारिज हो जायगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, जो आपस में लेन-देन करते हैं, गांवों के अन्दर भाई बन्धु लेन-देन करते हैं, उनके सिर पर लाइसेन्स का डण्डा क्यों लगा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मरीज का इलाज यह हो रहा है कि इन्जेक्शन पेनिसिलिन का लगा रहे हैं लेकिन उससे मरीज का इलाज होगा या नहीं—यह तो आप सोचें। आप दोनों

(श्री अजीतसिंह)

माननीय मन्त्री, राजस्व मन्त्री गांवों की सारी समस्या को जानते हैं लोग बैल के लिए पैसे का लेन-देन करते हैं ऊंट के लिए पैसे का लेन-देन करते हैं, बीज के लिए पैसे का लेन-देन करते हैं। उन्होंने लाइसेन्स के तहत काम नहीं किया इसलिए कसूरवार हैं। अब रेवेन्यु अधिकारी, पटवारी को भी पॉवर दे दी हैं। सारे तहसीलदार और पटवारी गरीब लोगों का गला पकड़ते हैं। अब कानून के अन्दर कह दिया, इस बिल के अन्दर कह दिया तो वे कहेंगे, उधार कैसे दिया, बैल के लिए कैसे दिया, बीज के लिए कैसे दिया। इससे फायदे के बजाय उल्टा असर पड़ने वाली बात है। आप ब्याज बन्द कर दें। दुनिया भर की बात कर दें। इससे आप अर्थ व्यवस्था को इस तरह से खराब कर रहे हैं कि किसी हालत में कोई पैसा नहीं देगा सोसायटी के पास पैसा नहीं है, बैंक में भ्रष्टाचार है। यह हो गया है "ले तगाई तो बेच लुगाई।" तगाई ले लेगा तो वसूलात के लिए लोग उसकी छाती पर बैठ जायेंगे। पैसा नहीं होगा तो उसको कहा जायगा, सब कुछ बेचकर पैसा देना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रिक्ट कानून पेश कर दिया है। इससे आप उम्मीद करते हैं कि गरीबों को राहत मिल जायगी ? आप राहत देना चाहते हैं तो भले ही ब्याज मत दिलाइए ? लेकिन बिना लाइसेन्स के ऋण दे दिया है तो उसका पैसा ही खारिज हो जाय—इसको मैं उचित नहीं समझता। आप ब्याज नहीं दिलाना चाहते हैं तो काइण्ड में एक्सचेंज होता है उसकी छूट दे दें। इस छूट के साथ में इस कानून को बनाते और ज्यादा लोग प्रभावित होते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री सभापति : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, जो विधेयक, साहूकार संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, वैसे तो श्री दीपंकर जी शंका करते हैं कि सरकार इसे उदार बना रही है, इसे जटिल बनाना चाहिए। कुछ साहूकार लोग जो कर्ज देते हैं सही रूप से हिसाब किताब बनाये बिना और बिना लाइसेन्स के लेन देन करते हैं उनके ऊपर पाबन्दी हो। सभापति महोदय, वैसे तो कानून पहले से ही था लेकिन सरकार का जैसा रवैया है, जिस मन्शा से कुछ दिन पहले पास किया था, यह जो साहूकार कानून है—यह पहले पास हो चुका है लेकिन सरकार की ओर से एक प्रकार से पूरी व्यवस्था न होने के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका। यह पहले हो जाना चाहिए था। जल्दबाजी की स्थिति में कानून बन जाता है और व्यवहारिकता को नहीं देखते हैं कि किस ढंग से लागू किया जायगा, किस ढंग से लागू नहीं किया जायगा। इस तरह की आवश्यकता पहले पेश हुई कि लाइसेन्स किस तरह बने, कैसे बनवायें। इसमें ऐसी बात नहीं है कि संशोधन लाया गया है यह कोई बुरी बात है। जैसा दीपंकर जी ने कहा, यह समाजवाद की बात है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस बात को समझ रहे हैं कि यह कर्ज वाली स्थिति है। तो सरकार भी कर्ज लेती है, गरीब भी लेता है, और लेते हैं सब लेते हैं। ऐसी बात है कि कर्ज देने वाले साहूकार को बदनाम कर दिया है। इस संशोधन में थोड़ी जटिलता अवश्य है। मान लीजिए कि कर्जा देने का धंधा एक छोटा आदमी भी करता है तो लाइसेंस

(श्री मीठालाल मीणा)

लेना पड़ेगा । मेरा निवेदन है कि जो छोटी मात्रा में ऋण देता है, एक हजार या दो हजार रुपये किसी आदमी को देता है, ऐसा जो छोटा साहूकार है उसको इस कानून से अलग करना चाहिए । अगर इतनी मात्रा से ज्यादा रकम हो और उसमें भी लाइसेंस न लिया हो वो सरकार को अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए । लेकिन सभी के लिए इस कानून में जो व्यवस्था है लाइसेंस लेने की वह व्यवस्था जिला केंद्रों पर सहकारी बैंकों के मार्फत है, इसमें जटिलता है, इसमें सुधार कर तहसील स्तर पर व्यवस्था करें इससे लाइसेन्स लेने वाले को दिक्कत नहीं आएगी । अगर व्यवहारिक रूप में सुधार किया जाए तो संशोधन अच्छी बात है ।

श्री सभापति : श्री मूलचंद सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रस्तुत किया गया है, उसको मैंने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की बात इसलिए कही है कि मुझे इसमें कुछ कमियां दृष्टिगोचर हुईं । यह बात बिलकुल सही है कि राजस्थान की अधिकांश जनता की आय इतनी नहीं है कि वह अपनी दो वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके । इसलिए सामान्यतः सभी व्यक्तियों को कुछ मात्रा में कर्जा लेना पड़ता है । 1960 में कृषि जांच आयोग ने जो सर्वेक्षण किया उससे पता चलता है कि देश में 45 प्रतिशत व्यक्ति कर्जे के भार से दबे हुए हैं और इसी संदर्भ में जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह पीढ़ियों के कर्जे से मुक्ति दिलाने तथा साहूकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष रूप से मार्ग बताता है । यह संशोधन विधेयक, जो प्रस्तुत किया गया है, निस्संदेह राजस्थान में असंख्य लोगों को राहत प्रदान करेगा, इसमें दो राय नहीं । ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कर्जे में बिताई है । ऐसे जो कुकृत्य हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति न होगी । कई बार ऐसा होता था कि व्यक्ति कर्जे के एवज में अपना मकान दे चुका, सब कुछ देने के बाद भी उसका कर्जा वहीं का वहीं बना रहता ।

सामान्यतः यह देखा गया था कि एक व्यक्ति कर्जे के भार में पैदा हुआ कर्जे के भार में संसार को छोड़कर चला गया । इस प्रकार एक दादे का कर्जा पोता भी नहीं चुका पाता था । निस्संदेह इस संशोधन विधेयक से लोगों को राहत मिलेगी । 1963 व 1964 में जो बिल प्रस्तुत किये गये थे उसकी धाराओं में बहुत कुछ डिफेक्ट था । खासतौर से यह बात कही गई थी कि एक व्यक्ति को मनी लैंडिंग के धंधे के लिए जरूरी नहीं है कि उस समय रजिस्टर कराए । न्यायालय लाइसेंस से लेने का समय देता था । न्यायालय द्वारा सैंक्शन मिलने पर व्यक्ति, जो कर्जे से दबा हुआ है, का शोषण होता था । कई साहूकार थे जिन्होंने गरीबों का खून चूस-चूस कर अपनी तिजोरियां भर दी थीं परंतु मैं समझती हूं कि यह संशोधन विधेयक जो पेश किया गया है इसमें पुराने बिल की धारा 11 को हटाया गया है, इससे मनी लैंडिंग करते समय लाइसेंस लेना होगा नहीं तो उसका दावा न्यायालय

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

में नहीं चल सकेगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इस संशोधन का मैं स्वागत करती हूं इससे अवश्य जो छिपे रूप में मनी लैंडिंग का धंधा करते थे उन पर रोक लगेगी। इसके साथ ही 1963 और 1964 के अधिनियमों में से धारा 27 को हटाया गया है और कहा गया है कि मूलधन से अधिक रकम वसूल नहीं की जाएगी। यदि इस प्रकार की रकम वसूल की गई है तो पुनः लौटा दी जाएगी। यह कार्य भी सराहनीय है क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि क्रूर रूप में ब्याज वसूल किया जाता था और उससे किसानों को परेशानी होती थी। परंतु इस बिल में जो मुख्य रूप से डिफेक्ट नजर आता है वह यह है कि पुराने दावों के लिये स्पष्ट नहीं किया गया है। उनके बारे में कहा गया है कि यह संशाधन पुराने दावों पर लागू नहीं होगा। पुराने दावे ही खास चीज हैं जिनमें एक व्यक्ति को पुराना कर्जा चुकाने के बाद मूलधन कई गुना चुकाने के बाद भी आज घसीटा जा रहा है न्यायालय में। इसलिए पुराने जितने भी कर्जे हैं, माफ कर देने चाहिए और दावे न्यायालय में चल रहे हैं, वे समाप्त करने चाहिए।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि इस समय ऋण की समस्या गांवों में बहुत पेचीदी है। आज व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यों के लिए ही ऋण नहीं लेते अनुत्पादक कार्यों के लिए भी लेते हैं, परन्तु कृषि व्यवस्था जिस प्रकार से मॉडर्नाइज हो रही है, जिस प्रकार से तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं उसमें अच्छी खाद और अच्छे बीज के लिए व्यक्तियों को कर्जे की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आल्टरनेटिव एजेंसी कायम नहीं कर सकेंगे तो हमारा उद्देश्य जो गरीबों को राहत देने का है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। यदि हमें वास्तव में साहूकारी व्यवस्था को समाप्त करना है तो हमें ग्रामीण व्यक्तियों ऋण के लिए व्यवस्था करनी होगी। यद्यपि ग्रामीण बैंकों की बात बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा-कर दी गई है कि ग्रामीण बैंक की शाखा खोली जायेगी परन्तु कागजों में प्रावधान करने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण बैंक की कुछ शाखायें खुलने वाली हैं उससे वर्तमान में फायदा होने वाला नहीं है। यदि हम किसी एक एजेन्सी को समाप्त कर दूसरी एजेंसी को कायम नहीं करेंगे तो बीच की अवस्था में किसान और गरीब व्यक्ति को विशेष लाभ नहीं हो पायेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेन्सीज हैं, जिनके द्वारा आप लोन दिलाते हैं, उस व्यवस्था को हम संतोषजनक नहीं मान सकते। राष्ट्रीयकृत बैंक से बिना गारन्टी के लोन नहीं मिलता। गारन्टी के बाद भी निरक्षर व्यक्ति कई चक्कर काटता-काटता भटकता-भटकता परेशान हो जाता है परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी हालत में क्या व्यवस्था होगी?

इसी प्रकार से सहकारी समितियों के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार की अव्यवस्था है। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से गरीब व्यक्ति हैं उन्हें सहकारी समिति का सदस्य बनाया जायेगा ऐसा प्रावधान किया गया था परन्तु वास्तव में यह कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ है। यद्यपि आंकड़ों में कहा गया है कि अमुक व्यक्ति अनुसूचित जाति

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

व जनजाति का सहकारी समिति का सदस्य बन गया है। परन्तु वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में पूरी जांच करायी जानी चाहिए। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, जैसा स्वयं मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया था कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मनीलेण्डर्स हैं जो कि बिना लाइसेन्स मनी लेण्डिग का धन्धा करते हैं। सभापति महोदय, लाइसेन्स की बात को छोड़िये वह लोग रुपया उधार देने के लिए पहले ही कुछ जेवर, सामान जिसमें कपड़ा और दूसरी चीजें हैं, उस व्यक्ति से रखवा लेते हैं। उनके बारे में आपने क्या किया है? आज भी आप गांवों में जाकर देख सकते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया इन लोगों ने बना रखी है कि आप चाहे जितना कानून बना लें यह लोग किसी न किसी प्रकार से बेचारे गरीबों का खून चूसते रहते हैं। सभापति महोदय, यह लोग इतने चालाक होते हैं कि कोई न कोई आल्टरनेटिव यह लोग निकाल ही लेते हैं। सभापति महोदय, लोग पहले से ही अपने ब्याज का पैसा काट कर जमा खर्च करते हैं और वह ब्याज का पैसा इतना काटते हैं कि जिससे मूलधन से अधिक ब्याज उनको मिल जाता है। यह लोग रकम तो कम देते हैं उससे तीन गुना और चौगुना जेवर आदि रखवा लेते हैं। तो, मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के लोग आज भी हमारे गांवों में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हो सकते हैं जो कि गांवों में गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। इनकी आज भी कमी नहीं है। आज भी हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि हमारे देश में आप, चाहें तो पता लगा कर देख सकते हैं बिना लाइसेन्स लिए ही जेवर के आधार पर मनी लैंडिग का धन्धा करते हैं····

(घन्टी-समय-समाप्ति-सूचक)

सभापति महोदय, मैं एक मिनिट में ही समाप्त कर रही हूं।

सभापति महोदय, जेवर के अतिरिक्त यह लोग कपड़ों के ऊपर भी मनी लैंडिग का धन्धा करते हैं। यह लोग पैसा तो उधार दे देते हैं लेकिन कपड़ों का जो बिल काटकर देते हैं उसी में अपना ब्याज भी जोड़ देते हैं इस प्रकार मान्यवर, कई लोग मनी लैंडिग का धन्धा गांवों में गुप्त रूप से कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार का धन्धा करने वाले लोगों पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिए। जब तक आप इस प्रकार के लोगों पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे तब तक मैं समझती हूं कि आप इसको समाप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। मान्यवर, आज भी गरीबों के ऊपर काफी बोझ इन मनीलेण्डर्स का पड़ा हुआ है और यह लोग गरीबों का बहुत अधिक शोषण कर रहे हैं। इनके बारे में आपने क्या कदम उठाये हैं? यह मैं पूछना चाहती हूं।

इसके अलावा, मान्यवर, मैं राज्य सरकार से यह भी पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने कितने लोगों को मनीलैंडिग का लाइसेन्स दिया है। मैं समझती हूं वह संख्या सिर्फ हजार से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन मनी लैंडिग का धन्धा हमारे यहां पर इससे कई गुना अधिक कर रहे हैं। अगर आपका यही दृष्टिकोण हो कि आपने यह बिल पास कर दिया और वह

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
बिल जादू की छड़ी की तरह मनी लैंडिंग का काम बन्द करा देगी तो यह दृष्टिकोण सही नहीं होगा। सिर्फ कानून बना देने से ही काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको सख्ती से काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रचनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक आप रचनात्मक कदम इस बारे में नहीं उठायेंगे तब तक आप जो 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने की बात सोच रहे हैं वह पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

"राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)"]

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, सदन में आज राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। सभापति महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है उसमें सातवां सूत्र है उसमें यह है कि गावों में जो सागड़ी प्रथा है, बाउन्डेड लेबर है, जो स्माल आर्टिजन्स हैं उनके ऊपर कर्ज है उनको इन कुरीतियों और कर्ज मुक्त कराना है। सभापति महोदय, यह सात सूत्र एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। इन सभी को समाप्त करने का मतलब यह है कि हमारे देश का जो नीचे का तबका है, गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है जिसके पास साधन नहीं हैं उनको किस तरह से ऊपर उठाया जा सके। उनको किस प्रकार जीवित किया जा सके। सभापति महोदय, हमारे यहां पर गांवों में एक विशिष्ट वर्ग है जिसने आज भी हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बना रखा है चाहे वह को-ऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे कोई फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्स हों, चाहे हमारे यहां के नेशनलाइज्ड बैंक हों, चाहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज हों इन सभी में उन लोगों ने अपना कब्जा बना रखा है जिससे कि एक विशिष्ट वर्ग को ही इनका लाभ हो सकता है और बेचारा गरीब और कमजोर वर्ग आज पिसता जा रहा है यही कारण है कि उनका विकास नहीं हो सका है। इसलिए इनको समाप्त करने के लिए और गरीबों को ऊपर किस प्रकार उठाया जाय इसके लिए कोई आल्टरनेटिव मशीनरी कायम की जानी चाहिए जो कि उन्हें इसका लाभ दे सके। ऐसे काम्पलेक्स सरकार के द्वारा क्रियेट किए जाने चाहिये जिससे कि गरीबों को राहत मिल सके। सभापति महोदय, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो कि समाज की विशिष्ट क्लास को बिलोंग करते हैं। मैं उन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की बात करता हूं। इन लोगों के बारे में हमने जो कम्युनिस्ट हैं और जो कांग्रेसी सदस्य है उन्होंने काफी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सोचा इससे हमें काफी चिन्ता हुई और ऐसा पाया गया कि वास्तविक तौर पर इन लोगों की हालत बहुत ही गम्भीर है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम उन लोगों को तुरन्त से तुरन्त राहत दिलावें। सभापति महोदय, इसके लिए हमें एपरेटस क्या काम में लाने चाहियें जिससे कि यह वर्ग ऊपर उठ सके। सभापति महोदय, इससे विशिष्ट वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सभापति महोदय, मैं मनी-लैंडिंग बिल के बारे में एक जानकारी सदन में दे देना चाहता हूं। यह बिल सबसे पहले 1963 में राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल 1963 में पास तो हो गया लेकिन इसकी कन्सेन्ट प्रेसीडेन्ट से 14-8-64 को मिली। और 1-10-65 से यह राजस्थान में लागू हुआ। करीब एक साल आठ माह बाद उस वक्त मैं विधान सभा का सदस्य था। मैंने उस वक्त कहा था कि यह बिल गरीब तबके का कोई प्रकार की राहत नहीं देने वाला है। सभापति महोदय, उस एक्ट के लागू होने के बाद भी मैं मन्त्री महोदय से इतना कह सकता हूं कि आज भी राजस्थान में एक हजार से ज्यादा लोग लाइसेन्स मनी लैंडिंग का अपने पास नहीं रखते है जब कि हमारा राजस्थान सूदखोरी के लिये न केवल हमारे देश में ही बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने उस वक्त कहा था कि आपके इस बिल में बहुत से लूप होल हैं, बहुत से लेक्यूनाज हैं जब तक आप इन्हें ठीक नहीं कर लेते तब तक आप मनी-लेण्डर्स से गरीब लोगों को राहत नहीं दिला सकेंगे। आप इस बिल से गरीब तबके के लोगों का शोषण बन्द नहीं करा सकते, इसका कारण है, सभापति महोदय, उसमें बहुत से एग्जेम्पशन्स आपने उन लोगों को दे रखे थे जो कि मनी लैंडिंग का धन्धा करते थे। उसमें जो धारा 11 थी उसमें छूट थी और अब उस धारा 11 की जगह दूसरी धारा 11 और जोड़ी गई है और जो पुरानी थी वह हटा दी गई है। उसमें ऐसा था कि लोग लाइसेन्स लेकर मनी लैंडिंग का धन्धा कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंन्स के धन्धा मनीलैंडिंग का करता है तो वह लाइसेन्स लेकर अपने पुराने केसेज को प्रस्तुत कर सकता है। यह बहुत बड़ा एग्जम्पशन था आप पैसे जमा करा दो और लाइसेन्स ले लो। उसके लिये आपको मालूम होना चाहिये कि बहुत ही नोमीनल फीसे थी सिर्फ 15 रुपये। इसके अलावा व्यक्ति दूसरी जगह और मनी-लैंडिंग का धन्धा करना चाहता है तो उसे सिर्फ रुपये 6 और देने पड़ेंगे और उस 6 रुपये देने के बाद वह व्यक्ति 50 जगह मनी लैंडिंग का काम कर सकता था। सभापति महोदय, उस वक्त राजस्थान सरकार का हृदय बहुत ही कोमल था। उसने काफी छूट इन सूदखोरों को दे रखी थी। लेकिन अब जो पुरानी धारा 11 हटा कर आपने नई धारा 11 जोड़ी है उसका मैं स्वागत करता हूं। उसके अनुसार जिन लोगों के पास मनी लैंडिंग का लाइसेन्स नहीं था और उन्होंने किसी प्रकार का मनी लैंडिंग किया है वह सभी रिजेक्ट हो जायेंगे। लेकिन इसके बाद में कुछ एग्जम्पशन्स आपने रखे हैं जैसे—

"Nothing in this section shall affect .." आज भी जिनके पेन्डिग सूट्स

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं उनको यह एफेक्ट नहीं करेगा। आगे नम्बर दो में है—

"(b) Suits in respect of loans advanced by a moneylender before the date on which the said Ordinance came into force."

यह दूसरा एग्जेम्प्शन आपने रख दिया है। मनी लैंडिग के हट जाने पर भी आपके अन्दर झिझक पैदा हो रही है। इस घोर प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी प्रथा की कड़ी को नहीं तोड़ना चाहते हैं। खेत मजदूर को पचास रुपया देकर उससे सौ रुपया लिखाया जाये, जिसका बाप मर गया है, मां मर गई है उसको हजार रुपया देकर उससे दस हजार लिखवा लिया जाये। इस तरह से तो सागड़ी प्रथा को जन्म दिया गया है। अर्थमेटिकल ब्याज लगाया जाये और छः महीने में ब्याज की रकम भी मूल से बढ़ जाय और सदियों तक वह व्यक्ति सागड़ी बना रहे और गुलाम बना रहे, यह एग्जेम्प्शन देकर आपने उनको और भी बहाल कर दिया है। गंगानगर में भी है सन् 28 में सीरी फंस गया, भूमिहीन काश्तकार है और वह जरूरत के कारण फंस गया है। उसको दो हजार, तीन हजार रुपया दे दिया और उस पर ब्याज दर ब्याज की रकम चढ़ती रही तो वह कहीं छोड़ कर भी जा नहीं सकता जब तक कि उसकी पूरी रकम चुक न जाय, जो कि कभी संभव नहीं होता है। जो भी इस प्रकार से रखते थे उन सब किसानों में आपस में सांठ-गांठ रहती है कि किसी का सीरी उसको छोड़ कर दूसरे के पास जाय भी तो जो दूसरा उसको रखने वाला है उसको रखने से पहले पूछता है कि तू फलां का सीरी था और तूने उसका हिसाब चुका दिया होगा। यदि नहीं चुकाया है तो सीरी नहीं रख सकते। इस प्रकार से सीरी बिक जाता था। भूमिहीन खेतिहर मजदूर, छोटे किसानों की यही हालत थी। सिकमी काश्तकार खेत मजदूर अपने नाम खतौनियां दर्ज कराना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। आप गंगानगर का दृश्य देखिये। लोग फार्म लेकर आ रहे हैं। 150/200 सीरीज का लोट का लोट आ रहा है। कोई लीलाधर के यहां पर सीरी था, कोई श्रीनिवास जी के फार्म से चला आ रहा है जो कि हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री थे। और इन लोगों ने गुलामी की बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस वर्ष जिन्दगी जी है।

आपने एग्जेम्प्शन्स दिये हैं। 22-23 सैक्शन के प्रावधान नहीं माने गये तो सूट होगा जबकि 1 हजार से ज्यादा लाइसेन्स इश्यू भी नहीं किये हैं। इश्यू भी कर दिया तो पुराने एक्ट के अन्तर्गत, सन् 63 का जो पहला एक्ट था उसके अन्तर्गत 22-23 के प्रावधानों को कितने केसेज में मानने की चेष्टा की है? रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने रिकार्ड को भी देखा है? पास बुकों में एन्ट्री हुई या नहीं उसको देखा है? प्रोपर लाइसेन्स का रिव्यू हुआ है यह देखा है? क्या लाइसेन्स की दूसरी कन्डीशन्स को फुलफिल किया है उसको देखा है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है, सभापति महोदय! धारा 27 का अमेन्डमेन्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर दिया है। यदि इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल के बराबर हो गया या डबल हो जाता है तो उसका आप रिफण्ड करवायेंगे। जो बिना लाइसेन्स के भी मनीलेंडिंग का धन्धा करते रहे हैं, हजार रुपये के पांच हजार रुपया लिखवाते रहे हैं, जेवर गिरवी रखवाते रहे हैं, बैल भी ले लेते हैं, लिखित नहीं करवाते हैं, ऐसे अनगिनत मनीलेन्डर्स की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, वे थोड़े मनीलेंडर्स हैं जिन्होंने मूल से ब्याज अधिक कमा लिया है। मैं निश्चित रूप से मंत्री महोदय आपको धन्यवाद देता यदि आपने उनकी चिन्ता की होती कि किस प्रकार से वापिस पैसा देंगे? आपने कोई रखा है प्रावधान उसके लिये? मूल रकम ब्याज के बराबर हो गयी या दुगुनी हो गई ब्याज की रकम। आपकी सरकार की रकम है, झूठी हो या सच्ची, सहकारी समिति या पंचायत समिति के पास उसका कोई रिकार्ड भी नहीं है, लोगों से कर्जा दुबारा तिबारा वसूल कर रहे हैं और गरीब किसान को बेरहमी से पीट रहे हैं, उसकी खाल उधेड़ रहे हैं। आपने यह नहीं सोचा कि किस प्रकार का प्रावधान रखें कि वह रकम वसूल हो? यह रखा है प्रावधान। एक महीने में दरख्वास्त देगा। सात दिन में पी. डी. आर. में उसको वापिस दिलवायेंगे। यदि आप दिलवाना ही चाहते हैं तो जब तक आप अमेन्डमेन्ट रखें इसको मैं प्रेस नहीं करता हूं वापिस करने के के लिये।

अधिक समय न लेकर मैं यही निवेदन करूंगा कि मनीलेंडिंग की समस्या है यह मूलभूत समस्या है। समाजवादी समाज में मनुष्य श्रम लगाता है और पूंजी कमाता है और पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य पूंजी कमाता है और श्रम नहीं लगाता है। अपने आपको आप समाजवादी कहते हैं तो समाजवाद के जो बुनियादी सिद्धान्त हैं कि समाजवाद में मनुष्य श्रम लगाकर पूंजी अर्जित करता है और पूंजीवाद में बिना श्रम लगाये पूंजी पैदा करता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और पूंजी के पैमाने को और दौलत के पैमाने को जगह-जगह पर तोड़ना पड़ेगा, उनका समाजीकरण करना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, 3 मुद्दों पर यह कानून है। जैसा कि बताया गया है लाइसेन्स नहीं होगा उसका चालान नहीं कर सकेंगे। सभापति महोदय, यहां दो क्लॉज जोड़ कर और कानून लाकर भारत की प्रधान मंत्री की जो मंशा है ग्रामीण लोगों को कर्ज से मुक्त करना, उससे लगता है कि उस चीज का ध्यान न रख कर एग्जम्प्शन्स में ऐसे क्लॉज जोड़ दिये हैं जिससे इसका मकसद ही खत्म हो गया है।

"(2) Nothing in this section shall affect—

(a) suits pending in any court on the date of commencement of the Rajasthan Money Lenders (Amendment) Ordinance, 1975, which may be disposed of according to the law existing immediately before such commencement;"

एक तो पेंडिंग सूट पर है—

(श्री शंकरलाल)

"suits pending in any court on the date of the commencement of the Rajasthan Money Lenders (Amendment) Ordinance, 1975"

जो दावे चल रहे हैं उन पर लागू नहीं होंगे ।

"(b) suits in respect of loans advanced by a money-lender before the date on which the said ordinance came into force;"

इसका मतलब यह है कि दावे जहां भी चल रहे हों या कानून आने से पहले लोन एडवान्स किया है जो उस पर लागू नहीं होगा । फिर कौनसा कर्जा माफ करने जा रहे हैं ? वह ही तो माफ करना है जिससे ग्रामीण लाग लदे हुए हैं । लदे हुए कर्ज पर कानून लागू नहीं होता है तो फ्यूचर में कौन कर्जा देगा ? आप सोचते हैं कि मनीलेंडर कर्जा देगा अब ? उसी से तो कर्जदार को मुक्त कराना है जो कि उस पर लदा हुआ कर्जा है । इसके रहने से फिर यह कैसे होगा ? दोनों क्लॉजेज को आपको डिलीट करना चाहिये । तब ही हमारा मकसद पूरा होगा । प्रधान मंत्री का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह ग्रामीण लोगों को जो कर्ज से लदे हुए हैं उससे मुक्ति दिलाना चाहती हैं । इसलिए इसको डिलीट करेंगे तब ही हमारा मकसद पूरा हो सकता है ।

सन् 63 में कानून बना । उस वक्त लाइसेन्स का प्रोविजन था लेकिन उसमें ढीलापन था । प्रोविजन यही था । वह तो वही की वही बात हुई । आगे कर्ज देगा तो यह लागू होगा । आपको मालूम होना चाहिये कि मनीलेंडर्स ने तो कानून लागू होने से पहले ही, और इन्दिराजी ने घोषणा की कि ग्रामीण लोगों का कर्जा माफ होगा तब ही से देना बन्द कर दिया है । आलरेडी दिये हुए कर्जे हैं उनको आप खत्म कीजिये वरना उसकी मुक्ति नहीं होती है । यह कानून सिर्फ बताने के लिये रह जावेगा । यदि कर्ज से मुक्ति दिलानी है तो दोनों ही क्लॉजेज को डिलीट करना होगा ।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता था कि इसके अन्दर क्लॉज 5 में धारा 27 का अमेन्डमेन्ट किया गया है जिसके अनुसार जिसने कर्जा दिया है, बराबर ब्याज से ज्यादा रकम ले ली है तो उसको रिफण्ड करवा सकेंगे । कर्जदार ने ज्यादा रकम दे दी है तो प्रोविजो आपने रखा है :

"Provided that no refund shall be made if such excess amount had been realised prior to three years from the date of commencement of the Rajasthan Money Lenders (Amendment) Act, 1976."

उस पर भी तीन साल का रख दिया है । यह किस आधार पर रखते हैं ? हम कहते है पीढ़ी दर पीढ़ी से उसका दादा, परदादा आज तक वसूली करते रहे हैं । आपको बिल्कुल यह प्राविजन हटा देना चाहिये । जिस किसी साहूकार ने जो कर्जा दिया है उससे दुगनी रकम वसूल कर ली है तो उसको छुटकारा दिला देना चाहिये । जैसे मेरे पूर्व वक्ता हाण्डा साहब ने ...

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा ?

श्री शंकरलाल : क्लॉज फाइव में आपने प्राविजन लगाये हैं.......

"Provided that no refund shall be made if such excess amount had been realised prior to three years from the date of commencement of the Rajasthan Money-Lenders (Amendment) Act, 1976."

इसके बारे में कह रहा हूं और दूसरा मैं कह रहा हूं जैसा मेरे पूर्व वक्ता हाण्डा साहब ने कहा, आपने कोई प्रोसीजर नहीं रखा। प्रोसीजर रखना चाहिये और बहुत सिम्पल रखना चाहिये तब तो वास्तव में आप कोई राहत दिला पायेंगे। नहीं तो राहत नहीं दिला पायेंगे।

तीसरा क्लॉज जो रखा है, स्टेटमेन्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अनुसार मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है। इसलिये इन दोनों क्लॉजेज में आपको संशोधन लाने चाहिये तभी इस बिल का मकसद पूरा होगा नहीं तो नहीं होगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ने जो ऋण मुक्ति की घोषणा की थी, हम यह उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम जो वलनरेबल सेक्शन है उसको कर्ज से मुक्ति दी जायगी। सभापति महोदय, आजादी से पहले भी ऋण मुक्ति का कानून किया था और फोर्स किया गया, जो क्लेम थे उनको देखकर 50 पर्सेन्ट लोगों का कम्पलीट कर्ज माफ कर दिया गया था—रियलाइज होगा ही नहीं। लेकिन वह आज नहीं है। आजादी से पहले हुआ था 30 साल पहले। आज हम इसको रिवोल्यूशनरी नहीं मानते हैं। आपने वालन्टरीली अवश्य किया है लेकिन जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो मार्जिनल फार्मर है उनके ऊपर जो कर्ज का भार पड़ा है, उससे रिलीफ मिलेगा, शायद कर्जा वापिस नहीं करना पड़ेगा लेकिन जो कानून आप लाये हैं वह तो बिल्कुल ट्रेडीशनल-टाइप है कि दुगुने से ज्यादा वसूल नहीं करेंगे। लेकिन 100 कर्जा दे तो पूरा तो एडवान्स देते नहीं हैं, वह तो 70-75 रु. एडवान्स करते हैं, पूरा पैसा एडवान्स नहीं करते हैं एक दो साल का ब्याज काटकर देते हैं। 100 रुपया दिया उससे मुक्ति नहीं होती है। इस प्रकार का कोई कानून आयेगा, कोई मशीनरी इस प्रकार की सैटअप होगी, कोई फोर्स इस प्रकार का लगाया जायगा कि जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं वहां जो कर्जदार हैं वह अपने ग्रिवेन्सेज लेकर जायेंगे कि उनसे दुगुना, चौगुना वसूल किया और वह क्लेम कर सकेंगे यदि कोई रसीद हो। मैं समझता हूं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने मन में और एक उम्मीद पैदा कर रहे थे वह इस कानून में नहीं है।

सभापति महोदय, डेट रिलीफ का जो 20 सूत्री कार्यक्रम में है सबसे ज्यादा एक्सटेन्सिव रिलीफ ग्रामीण इलाके में होगा यह हमने सोचा था। 75-80 प्रतिशत रिलीफ उन लोगों को होगा। आदिवासी इलाका जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया-डूंगरपुर, बांसवाड़ा उसमें भी 77 पर्सेन्ट इनडेटेडनेस है, दूसरी जगह 77 पर्सेन्ट न हो तो 75 पर्सेन्ट तो इनडेटेडनेस है। कर्जा मुक्ति का जो 20 सूत्री कार्यक्रम का आइटम है उसका बड़ा भारी इम्पेक्ट होगा, चाहे कर्जा 500) रु. का हो यह छोटा अवश्य लगता है लेकिन जिसकी सालाना आमदनी 500) रु. है उसको रिली

(श्री पी. के. चौधरी)
मिलता है तो उसको एक नया जीवन मिलता है। तो, सभापति महोदय, मैं समझता हूं ....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : Yes. Yes continue.

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो कानून आप ला रहे हैं यह 20 सूत्री कार्यक्रम के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये नहीं है, यह तो उसके विपरीत कानून है। 20 सूत्री कार्यक्रम में रूरल इनडेटेडनेस को कम करने के लिये लाना चाहते हैं तो यह कनून इनएडीक्वेट है, इन-सफिसियेन्ट है। कानून को सही तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिये ताकि लोग ग्रिवान्सेज पेश कर सकें। 100) रु. लिखवाया और 50) रु देंगे उसको कहां से रिलीफ मिलेगा। ब्याज तो पहले ही वसूल कर लिया है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कानून से सबसे बड़ा नुकसान तो प्राइम मिनिस्टर को होगा जिनकी उम्मीद पर पानी फिरा है। यह कानून बिलकुल इनएडीक्वेट है, इनसफिसियेन्ट है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापतिजी, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह सदन में नहीं हैं—पूरा का पूरा कानून समाप्त कर दिया जाय। इसका मतलब यह होगा मनीलेन्डिग का यह कानून खत्म कर दिया जाय तो जो आज इन्स्ट्रक्शन्स हैं लाइसेन्स लेंगे या प्रिन्सिपल से ज्यादा अमाउन्ट कोई नहीं ले सकेंगे, 22 और 23 के अन्दर अकाउन्ट्स रखेंगे, स्टेटमेंट रखेंगे और इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं मनीलेन्डिग के लिए, वे नहीं रहे तो इसका मतलब है कि मनीलेन्डर्स को छूट दे दी जाय—मनीलेन्डर्स को छूट देने का प्रश्न है।

जो भारत सरकार की गाइड लाइन है वह रूरल इनडेटेडनेस से छूट दिलाने के लिये है, मनीलैंडिंग के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाय कि इसका लाइसेन्स लेना पड़े। मनीलेन्डिग का हमारे यहां आलरेडी कानून था, उसमें खामी थी। सेक्शन 11 जैसे है उसको सब्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं। कोर्ट उसको मौका दे सकता है और मौके के बाद लाइसेन्स दे सकते हैं। अब यह जो मनी एडवान्स होगा, चाहे कभी भी होगा लाइसेन्स नहीं लिया हुआ है तो जो सूट दायर करेगा वह आउट राइट डिसमिस हो जायगा, एक 1 दूसरा जो एग्जेम्प्शन का है उसमें पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने एग्जेम्शन गलत दे दिया है क्योंकि वह तो पेन्डिंग सूट लिये हैं और पेन्डिंग सूट के अलावा दूसरा (व्यवधान:अश्रव्य) पहला सूट पेन्डिंग है इसको डिलीट करके रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू कर दीजिये, इस तरह का आपका सजेशन है....

श्री शंकरलाल : रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से लागू कर दाजिये ऊपर वाला क्लॉज। डेफिनेशन में देख लीजिये। ....

श्री परसराम मदेरणा: फाइल मीन्स अब फाइल करेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में जो

(श्री परसराम मदेरणा)

एग्जेम्प्शन दिया गया है यह पेन्डिंग सूट पर लागू नहीं है। अगर फाइल करेगा तो डिसमिस हो जाएगा लेकिन (बी) में खामी जरूर है इसलिए मैंने अभी एक अमेन्डमेन्ट मूव किया है जिसको आपने देखा होगा। पूर्व में भी जब मामला मेरे पास आया था तो मैंने जांच के लिए कहा था। आर्डिनेन्स की जगह एक्ट कर दिया। जो कर्जा है 1-10-65 से पहले का है उस पर भी वह लागू होगा। हालांकि यह हो सकता है कि उसमें पीरियड खत्म हो गया लेकिन उस पीरियड को लोग रिन्यू करते चले जाते हैं। कोई भी लोन पुराना है तो एग्जेम्प्शन अब नहीं रहा है और इसलिए क्लॉज 2 (1) और 2 (बी) दोनों कान्ट्रेडिक्टरी हो जाते हैं "Suits to which this Act applies", and "(b) suits in respect of loans advanced by a money-lender before the date on which the said ordinance came in to force;" इसमें जो 'सूट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दी लोन्स' शब्द है, वह लोन जिस दिन एक्ट लागू हुआ है 1-10-65 को और उसके बाद का कोई भी लोन है उस पर लागू कर दिया है। एक्ट में भी यही प्रावधान था। उसको डिलीट कर देंगे तो कौनसा लोन और किस वक्त का लोन? इसको इनडेफीनेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक्ट बनने के बाद एग्जेम्प्शन तो नहीं होगा और एक्ट के लागू होते ही आपकी मंशा पूरी हो जायेगी कि जो लोन चाहे कितना ही पहले दिया हुआ है....

श्री शंकरलाल : कौन सा एक्ट, यह भी तो क्लियर कर दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : एक्ट का मतलब ओरीजनल एक्ट है। इस एक्ट से मतलब नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्ट से मतलब तो ओरीजनल एक्ट से ही निकलता है लेकिन एक्ट ऑफ 1963 नाम दे दीजिए।

"Act No. 1 of 1964" यह दे दीजिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात यह है, यहां पर यह कहा गया कि छोटे छोटे जो सहूकार हैं उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर रहे हैं। तो यह 1-10-65 से जरूरी था लाइसेन्स लेना लेकिन कानून के अन्दर जो छूट दे रखी थी उस लेकुना को प्लग करने के लिए यह अमेन्डमेन्ट मैं क्लॉज 2 में लाया हूं। आप चाह रहे हैं कि इतने वर्षों तक उनके सामने रास्ता रहा, वह रहा कि जो मनीलेन्डिंग का काम करते हैं वह अपने को रजिस्टर्ड करायें—सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हजारों आदमियों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। जो इन्फार्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार 9,104 मनीलेन्डर्स रजिस्टर्ड हैं और 2,470 की एप्लीकेशन्स जिस समय इस एक्ट की जिम्मेदारी रेवेन्यू विभाग पर आई उस समय पेन्डिंग पड़ी हुई थीं।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भी ज्यादा नम्बर नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : और 40 एप्लीकेशन्स उसके बाद में आई हैं। कुल मिलाकर 12 हजार के आस-पास

(श्री परसराम मदेरणा)

मनीलेन्डर्स की संख्या बनती है। अब जो चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने यह बात कही कि लोग मनीलेंन्डिग का धंधा गुप्त रूप से कर रहे हैं। हो सकता है, कर रहे होंगे। कई लोग गावों में जेवर आदि रख कर इस प्रकार का धंधा करते होंगे लेकिन मनीलेंण्डर वह है जो कि यह बिजनेस केरी करता हो। जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट में और कई जगहों पर कह दिया गया है कि जो यह मनीलेंन्डिग का काम करता है उसको लाइसेन्स लेना चाहिए और एक्ट के अन्दर उनके ऊपर जो पाबन्दियां लगाई गई हैं उनको सामने रख कर अपना बिजनेस उनको करना चाहिए।

यहां पर फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि रिलीफ ऑफ रूरल इनडेटेडनेस का जो प्राइम मिनिस्टर ने 20 पॉइन्ट प्रोग्राम में दिया था उसकी पालना में कुछ नहीं किया गया। आप राजस्थान रिलीफ ऑफ रूरल इनडेटेडनेस एक्ट को देखिये। यह राजस्थान रिलीफ ऑफ रूरल इनडेटेडनेस पहले से ही हमारे यहां बना हुआ है। इसके लिए प्रावधान है और जैसा कि कोर्ट्स के लिए कह रहे हैं तो कोर्ट्स तो नहीं हैं लेकिन इस प्रकार के कोर्ट्स जरूर हैं और सभी मुन्सिफ कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को पावर्स दी गयी हैं। वहां कोई भी रिलीफ के लिए जा सकता है। यह प्रावधान तो है। स्केलिंग डाउन हम करने जा रहे हैं। इसी एक्ट में करने जा रहे हैं। इसके संबन्ध में और भी संशोधन की आवश्यकता होगी, उस पर भी सोच रहे हैं और उसमें और भी अमेंडमेंट करने की जरूरत भी महसूस कर रहे हैं। 20 पॉइन्ट प्रोग्राम के अन्दर यह मेन पॉइन्ट था। जो गाइड लाइन्स दी हैं उनमें लाइसेन्स लेने वाली बात कही गयी है। ब्याज प्रिन्सिपल अमाउन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। लेकिन लोग वसूल करते हैं इसलिए इसका प्रोविज़ा रखा है कि तीन साल पहले एक्सेस ले लिया है तो उनको लेने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा रीजनेबल समय रख दिया है। तीन साल का समय सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया है। मैं समझता हूं कि वसूल कर लिया है इसके लिए इस प्रकार की गाइड लाइन नहीं है। गाइड लाइन यह थी कि कानून में इस प्रकार का संशोधन कीजिए। कानून में पहले भी प्रावधान था लेकिन इस प्रावधान का जो भी कन्ट्रावेन्शन करता है उनसे एक्सेस वसूल करने की बात इसमें रखी गई है। रूरल इनडेटेडनेस के सम्बन्ध में हमारे यहां कानून बना हुआ है. और भारत सरकार की गाइडेंस बिलकुल क्लियर है कि स्माल फार्मर्स के सम्बन्ध में स्केलिंग डाउन की बात सोचिये और वह इतना कीजिए जितनी उनकी री-पेइंग कैपेसिटी है। इसमें चार स्टेजेज हैं। पहली स्टेज मोनेटरी है, दूसरी स्टेज लिक्विडेशन की है, तीसरी स्टेज उन्होंने स्केलिंग की बताई है और तीनों स्टेजेज में हम चल रहे हैं। पहली मोनेटरी स्टेज कर दी। उसके बाद में लिक्विडेशन का बिल ले आये हैं जो कि 22 तारीख को है और स्केलिंग डाउन के बारे में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसलिए यह कहना कि प्रधान मंत्री के 20 पॉइन्ट प्रोग्राम में रूरल इनडेटेडनेस के बारे में जो डाइरेक्शन्स दी गयी थीं उनको राज्य सरकार नहीं मान रही है और उनको रिलीफ नहीं दे रही है, यह प्रश्न नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर है तो भी भ्रांति दिखती है, इस पर्टीक्यूलर क्लॉज 11 में। 26-27 में बिल के वक्त लाया हूं और बिल के वक्त इसलिए आज अमेंडमेंट ला रहा हूं, 26-27 का अमेंडमेंट तो पहले भी था लेकिन यह आवश्यक समझा गया मनीलेण्डर्स पर अंकुश रखने के लिए यह अमेंडमेंट लाया जाय। जो व्यक्ति रिटर्न नहीं भरता, स्टेटमेंट नहीं देता, प्रोपर्ली अकाउण्ट नहीं रखता है, उसके लिए 22-23 में पैनल्टी है, मैंने इसमें रखा है कि डिसमिस होगा सूट। आलरेडी पैनल्टी है। और जहां तक कि एक्सेस चार्ज कर लिया है इन्ट्रेस्ट, उसकी रिकवरी की जाय, प्रायर टू थ्री ईयर्स में जितने एक्सेस चार्ज कर लिया है उससे वापिस वसूल किया जाय। यह दोनों प्राविजन किये हैं। इस प्रकार का कानून तो पहले से था लेकिन उसमें मैंने जो एक संशोधन किया है वह बहुत जरूरी था।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि कैपिटलिस्ट इकॉनोमी है और कैपिटल से कैपिटल कमाते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं और मेहनत नहीं करते तो कम से कम यह सोशलिस्ट सोसायटी के के लिए इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए जिसमें मनीलेंडर्स, जो लोगों का शोषण करते करते हैं, से उनको बचाया जाय। यह तो बहुत लम्बा चौड़ा प्रश्न है। और इसलिए भारत सरकार ने साफ कहा है कि भाई इसके साथ ही साथ आल्टरनेटिव अरेंजमेंट कीजिए। इसके ज्यादा बेनिफिशियरीज की लिमिट रखिए। मैंने इसको पहले भी पढ़ कर सुनाया था और उसको और भी रिपीट करना चाहता हूं। इसलिए फिर इसको पढ़ कर सुनाता हूं :

"As the puropose is to give relief to weaker sections of the society, any upper relaxation of the land holding or adoption of liberal criteria will not be justified."

तो एक लिमिटेड जो स्कीयर दिया है उस स्कीयर में जो गाइड लाइन है उसमें कोई डायवरजेंट नहीं है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेटेडनेस में जो भी सजेशन दिये, आज एनेक्टमेंट एण्ड स्केल डाउन जो स्माल फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, बाकी एग्रीकल्चरिस्ट के लिए स्केल डाउन का प्राविजन है। अब लोग इसका फायदा नहीं उठाते हैं, इसलिए इसकी ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए, आर्गनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसकी गति और थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। मैं इस बात को मान सकता हूं। मनीलेंडर्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और एग्रीकलचर रूरल इनडेटेडनेस को रिलीफ देने के लिए, दोनों ही कानूनों का जहां तक सम्बन्ध है, हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस स्ट्रोंग बिल और डिटरमिनेशन के साथ काम करना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इस बात को स्वीकार करने में कोई रत्ती भर भी झिझक नहीं है और मैं ऑफिसर्स से भी यही बात कह रहा हूं। बराबर यह कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी पर उत्तरदायित्व फिक्स

(श्री परसराम मदेरणा)
किया जाना चाहिए और फिक्स ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मैंने तो इस बात की हिदायत भी दी है कि उनके ए. सी. आर. में एन्ट्री करनी चाहिए कि क्या वे प्रोपर्ली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं इन दोनों कानूनों का।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि यह कहना कि इस बिल को, जो आज प्रस्तुत किया है नहीं करना चाहिए, कोई मायने नहीं रखता। जो कुछ भी हम रूरल इनडेटेडनैस से कमजोर वर्ग को रिलीफ देना चाहते हैं उसकी ओर यह कदम है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो भी संशोधन लाए हैं वे अपने संशोधनों को प्रेस नहीं करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लेना चाहेंगे।

श्री दीपंकर
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा } जी हां।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन, प्रस्तुत किए हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री दीपंकर : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड (2), प्रभारी मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : "खण्ड (2) में प्रतिस्थापित धारा 11 में-(i) उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति 'merits of the claim' के पश्चात् अभिव्यक्ति, "जो आखिरी सेंटेन्स है इसके आगे मैं एड करना चाहता हूं, "के पश्चात् अभिव्यक्ति 'and shall order the refund of the security, if any, without repayment of the loan'. अन्तःस्थापित की जाये।" क्योंकि मैरिट में गए बिना उस की सिक्योरिटी है बेचारे डेटर की उसको सेफ गार्ड किया है। यह पॉइन्ट बहुत आवश्यक है जिसके लिए मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य को एतराज नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसा सेफगार्ड?

श्री परसराम मदेरणा : 11 ए में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिक्योरिटी किसकी?

श्री परसराम मदेरणा : डेटर का। सिक्योरिटी तो उसकी ही होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी के सम्बन्ध में हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : मनीलेंडर्स की सिक्योरिटी, किस के पास में होती है, यह तो आप भी जानते हैं। शायद सिक्योर लिखने से रह गया होगा।

(II) उप-धारा (2) में अभिव्यक्ति 'said ordinance' के स्थान पर 'this Act' प्रतिस्थापित की जावे।

श्री शंकरलाल (पाली) : यह "this" शब्द गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "Act No. 1 of 1964" यह कर दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : कैपिटल लेटर है, यह गलत हो गया है, शायद 'A' कैपिटल है।

श्री शंकरलाल : आप यह "this" शब्द हटा दीजिए। इससे कन्फ्यूजन हो जाता है।

श्री सभापति : मूव कर चुके आप?

श्री परसराम मदेरणा : एक सैकिन्ड।

(विराम)

पहले वहां 'said ordinance' था, अब उसकी जगह पर 'this Act' हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। जहां कहीं पर भी अमेंडमेंट किया है, लीगल ड्राफ्टर्स की यह ओपीनियन है कि 'this Act' का मतलब राजस्थान मनीलेंडर्स एक्ट से ही होगा, न कि इस अमेंडिंग बिल से।

श्री शंकरलाल (पाली) : इसमें क्लियर कर दें तो एतराज क्या है? बाद में कोर्ट में डिस्प्यूट होंगे और फिर आप क्लियर करेंगे। इसमें एतराज की क्या बात है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस एक शब्द को हटा देने से ही क्लियर हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह लीगल ड्राफ्टिंग के लिए जरूरी नहीं है। हर एक्ट में जो अमेंडमेंट होता है, उसमें 'this Act' वर्ड यूज होता है। जिसका दूसरा इण्टरप्रिटेशन लिया नहीं जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा हो सकता है

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है लेकिन मैं और आप ड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। जो लीगल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है

श्री शंकरलाल : "This Act" means the "Amending Act".

श्री परसराम मदेरणा : No no "This Act" means the "Principal Act."

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : What harm is there if you insert the words "Act No. 1 of 1964"?

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो बात कह रहा हूं ड्राफ्टिंग के अन्दर, जहां कहीं भी दूसरी जगह भी 'This Act' यूज होता है, उसका मतलब 'Principal Act' से ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अगर वह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

"Act No. 1 of 1964" कर दिया जावे तो how does it look bad ?

श्री परसराम मदेरणा : This is an amending Bill. We are amending the Rajasthan Moneylenders Act of 1963. यह कोई नया एक्ट नहीं है। This is an amending Bill. और इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।

श्री शंकरलाल : This is also an Act, may be an amending Act. इसके पहले से लागू नहीं होगा। इसमें यह वर्ड बढ़ा दिया जाता है तो एतराज क्या है? और क्लियर हो जाएगा सारा मकसद।

श्री परसराम मदेरणा : 'This Act' का मतलब हमेशा 'Principal Act' से होता है।

श्री शंकरलाल : तो 'Principal Act' कर दीजिए। 'This Act' की जगह प्रिंसिपल एक्ट कर दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर 'This Act' करते से गड़बड़ होती है तो 'Principal Act' कर दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : इस मनी-लैन्डर्स एक्ट के सेक्शन 4 में प्रॉविजन है 'This Act' इसी तरह क्लाज 5 में 'This Act' है, अन्य भी कई जगह सेक्शन 6 में 'This Act' है 6 और 7 में जनरल क्लाजेज एक्ट में साफ लिखा है, 'This Act' का मतलब हमेशा 'Principal Act' से होता है। इसलिए यह जो आपकी आशंका है 'This Act' के बारे में, 'This Act' का मतलब अमेन्डिंग बिल या एक्ट यह नहीं होगा, इसका मतलब है 'Principal Act' का पार्ट होगा। इसलिए इसमें शंकाएं बिल्कुल ही नहीं रहनी चाहिये।....

श्री सभापति : आपने मूव कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए यह तीन में अमेन्डमेन्ट लाया हूं। उप-धारा 2 के (बी) तक। इस सम्बन्ध में जो कुछ शंकाएं आपके दिमाग थीं और आपने किसी अन्य फोरम के वक्त भी इस पॉइन्ट को रेज किया था और उस वक्त 2 (I) क्लॉज और 2 का दूसरा (बी) कान्ट्राडिक्टरी था तो अन्य अमेन्डमेन्ट लाए हैं। इसके कारण, इसको करने के बाद अब कोई भी शंकाएं आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि प्रधान मंत्री का जो आर्थिक कार्यक्रम है उसको लागू करने में राजस्थान सरकार कहीं भी बच निकलना चाहती हो, इन धाराओं या इस सेक्शन की वजह से तो वह निर्मूल है।

श्री शंकरलाल : क्लियर होना चाहिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि जो शंकाएं आपको हैं उनका पूर्णतया समाधान हो गया होगा।

श्री सभापति : आप मूव करना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे कुछ कहना है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है : "In the proposed new section 11 after the words 'of the claim' occuring at the end of sub-section (1) add the words 'and shall be liable for simple imprisonment for a period of one year or with fine of rupees one thousand or with both.'

सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि 11 के सेक्शन 2 (ए) (बी) रखे गये हैं, इन दोनों को टोटली एक्स-क्लूड कर दिया जाए तो क्या दिक्कत होगी। इसमें अमेन्डमेन्ट किया है, यह सारी जगलरी है। यह तो क्लियरली सूट को रिजेक्ट करना है जिनके पास लाइसेन्स नहीं है। इसका प्रॉविजन रखने की क्या जरूरत है। यह सुपरफ्लुअस है। This is an unnecessary jugglery of law and it will create unnecessary confusion.

आपने 11 को रिप्लेस किया है। "Where a suit to which this Act applies is filed by a money-lender and...... the money-lender did not hold a valid licence..."

आपने 11 (ए) को इस जगह रिप्लेस किया है। The intention of saving has become very clear. पहले स्टे का आॅर्डर या उसका डिसमिसल ऑफ लाइसेन्स, डिसमिसल ऑफ सूट यह क्लियर है। इसमें किसी प्रॉविजन की आवश्यकता नहीं है। यह बात आप समझा दें 'this Act' इसमें आ रहा है। कम वर्डेड लॉ जितना होगा वह उतना ही इजीली अन्डर-स्टेन्डेबल होगा। लॉ में जितने कम प्रॉविजो होंगे वह उतना ही अच्छा होगा। यह तो आपके लॉ डिपार्टमेन्ट की इनएफीशियेंसी है कि 'this Act' को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1963 में 'this Act' यह चालीस जगह लिखा गया है। एक्ट नम्बर वन ऑफ 1974 इसमें 20 से अधिक बार 'this Act' को प्रयुक्त किया गया है। इस लिए 'this Act' का अधिक यूज क्यों कर रहे हैं? यह कन्फ्यूजन क्रियेट कर रहा है। 'this Act' का मतलब क्या है? इसको हटाने में आपको दिक्कत क्या है? क्लिअर वर्ड्स क्यों नहीं यूज करते?

श्री सभापति : मंत्री महोदय!

श्री परशराम भवेरणा : कुछ नहीं कहना है।

(विराम)

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 'this Act' शब्द को निकाल दिया जाये। यह उनकी बात है। उन्होंने अपनी तरफ से ओपीनियन दे दी। परन्तु यह लीगल ड्राफ्टिंग है और जब मैं इम्फे-टिकली कह रहा हूं तो इस पर कोई शंकाएं माननीय सदस्य को नहीं रहनी चाहियें। फिर भी उनको शंकाएं बराबर क्यों हो रही हैं यह समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री सभापति : आप वापिस ले रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य हांडा ने अपना जो संशोधन

(श्री सभापति)
प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 2 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

प्रश्न यह है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 3 स्वीकार किया गया।

खंड 4। श्री हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सम्बन्ध में कह चुका हूं किलअरली यह जो प्रॉविजन्स हैं इनको एग्जेम्प्ट किया जाए।

श्री सभापति : आप तो खंड 4 पर कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खंड 4 पर मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है।

"In clause (b) of section 26 sought to be amended.

(1) after the words 'in the suit' occuring at the end of sub-clause (1), add the words 'and the money-lender shall be liable for a penalty of rupees five hundred.'

(ii) after the words 'by the money-lender' occuring at the end of sub-clause (ii) add the words 'and the money-lender shall be liable for a penalty of rupees two hundred and fifty,."

मैं यह कहना चाहता हूं कि, यह ठीक है मन्त्री महोदय ने बताया कि 9 हजार मनीलेण्डर्स ने लाइसेन्स ले रखे हैं। परन्तु अकेले जयपुर शहर में 40 हजार से अधिक मनीलेण्डर्स हैं फिर राजस्थान के 26 जिलों में तो इससे भी अधिक होंगे। जो मनीलेंण्डिग के प्रॉविजन्स पूरे नहीं करते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रार को रिकार्ड नहीं दिया है, 23 के प्रॉविजन पूरे नहीं किये हैं, पास बुक नहीं दी हैं, 22 की कम्पलायेन्स पूरी नहीं की है, लॉ का कन्ट्राबेन्शन धारा 11 में किया है उनके सूट तो डिसमिस किए जाने चाहिए फिर आप यह प्रॉविजो क्यों हटा रहे हैं : They should be liable to punishment of imprisonment and fine. आपके जो मनीलैण्डर्स आज तक कम्लायेन्स पूरी नहीं कर रहे हैं उन पर पैनल्टीज होनी चाहिये। वे लाइसेन्स

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
लें और प्रॉविजन 22, 23 को पूरा करें। इसलिए मेरा यह अमेण्डमेंट है।

श्री सभापति : आप कहेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 4 में दो अमेण्डमेंट मूव किए हैं। एक तो यह किया है क्लॉज बी के (1) में "and the money-lender shall be liable for a penalty of rupees five hundred"

दूसरा यह है : "and the money-lender shall be liable for a penalty of rupees two hundred and fifty." मुझे यह निवेदन करना है कि सब-क्लॉज एक में तो 500/- और (2) में 250/- रुपये का संशोधन रखा है। इसका कोई कन्ट्रावेन्शन करेंगे तो सेक्शन 4 के अन्दर पनिशमेंट रखा है 500/- और 250/- रुपये। कोई अगर मेन्टीनेन्स ऑफ अकाउन्ट नहीं करेगा और इसका कन्ट्रावेन्शन करता है तो पेनल्टी लगायी जायगी धारा 4 के अन्तर्गत। पहले ऑफेन्स पर 500 रुपया है और दूसरे ऑफेन्स पर यह 250/- है। इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पेनल्टी बढ़ाना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप वापिस लेना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य हांडा ने जो संशोधन खंड 4 में रखा है, उसको स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 मूल रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 5। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके सब-सेक्शन 2 के बारे में जब मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बोल रहा था तो मैंने अर्ज कर दिया था कि इसमें ऐसे प्रॉविजन नहीं रखे हैं जिसमें कि अगर मूल रकम से ज्यादा या उतनी रकम वसूल कर लेता है तो उसको वह पैसा वापिस दिलाने का क्या प्रोसीजर होगा। तो इसमें एक नया सेक्शन एड करना चाहता हूं जो कि सब-सेक्शन (2) है उसमें यह प्रोवाइड किया गया है—

"(1) Delete the proviso to sub-section (2).

(2) After sub-section (2) add the following new sub-section —

"(3) Where a money-lender has realised from the debtor excess amount of loan under sub-section (2) the debtor shall file an

(११८)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
application to the concerned court and such court shall hold a summary enquiry and if satisfied order to deposit such excess amount along-with expenses of the case within fifteen days of such an order and if the money-lender fails to pay the said amount within the prescribed time, the court shall proceed to realise the same as arrears of land revenue." पी. डी. आर. के तहत वसूल किया जायगा। यह समरी इन्क्वायरी का प्रोसीजर रखा है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी, आपको कुछ कहना है ?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्वीकार नहीं करता हूं। चूंकि रेवेन्यू का केस है वह सिविल कोर्ट में चलेगा और सिविल कोर्ट में जो कुछ भी डिसाइड होगा, एक्सेस लिया है तो अमाउन्ट के अलावा क्लेम भी वही डिसाइड करेंगे। सिविल कोर्ट्स के अन्दर इसको डिसाइड कराने के बजाय क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए प्रावधान रखते हैं हैं तो ऑलरेडी प्रॉविजो में दिया है कि पहले तीन साल का होगा। इसका भार उनके ऊपर ही रख दिया है इसलिए इसको पेनल ऑफेन्स बनाना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन माननीय हांडा साहब ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 और खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 और खण्ड 6 बिल के अंग स्वरूप स्वीकार किये गये।

खण्ड 1। प्रभारी मन्त्रीजी। खण्ड 1 पर आपका संशोधन है।

श्री परसराम मदेरणा : इसके दोनों ही पहलू हैं। इसके एडवान्टेजेज भी हैं और डिसएडवान्टेजेज भी हैं। मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि सहित स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 । प्रभारी मन्त्रीजी !

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ! आप मूव करना चाहते हैं ।

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन/एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी ।"]

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो टैक्स लगाने की बात कही है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा तो टैक्सेशन का मामला ऐसा है कि No taxation without representation. डेमोक्रेसी के अन्दर टैक्स वही बॉडी लगा सकती है जिसके अन्दर रिप्रेजेन्टेशन हो । यह एडमिनिस्ट्रेटर को आप दूसरी पॉवर देंगे । टैक्स लगाने की जो बात है और टैक्स विथड्रा करने की बात है यह एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं देनी चाहिए । यह डेमोक्रेसी के प्रिन्सीपल के खिलाफ है । गवर्नमेंट के पास पॉवर्स ले लें तो कोई बात नहीं है ।

दूसरे इसके अन्दर प्रभारी मन्त्रीजी म्युनिसिपैलिटी की बात कह सकते हैं । म्युनिसिपैलिटी की आप बात करेंगे लेकिन वह तो एडमिनिस्ट्रेटर है । आप इस पर ध्यान दें और बाकी तो ठीक है ।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, यह बिल जो लाया गया है इसका उद्देश्य हमारी जो म्युनिसिपल कमेटीज हैं उनके पीरियड को एक्सटेन्ड करना और कुछ और संशोधन करना है । मेरा निवेदन यह है कि जहां तक आपातकालीन स्थिति का सम्बन्ध है, तो आपातकालीन स्थिति डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग को जो लोग रोकना चाहते थे उनका गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू की थी । उसका उद्देश्य पहले भी वह

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

नहीं था और आज भी यह हरगिज नहीं है। आपात्कालीन स्थिति की आड़ लेकर हम डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, जो हमारा एक मूल आधार है संविधान का, को हम रोकेंगे। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का ताल्लुक है मैं अर्ज करूं कि आपात्कालीन स्थिति के बाद म्युनिसिपल कौन्सिल्स की और म्युनिसिपल कौन्सिल्स के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है इसलिए कि बीस सूत्री कार्यक्रम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया, में दो सूत्र ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल एरियाज के अन्दर जो भी ऑटोनामस बॉडीज काम कर रही हैं उनसे है। और उसका उद्देश्य यह है कि यहां पर म्युनिसिपैलिटी की लिमिट में जो बेघर लोग हैं....

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है इसलिए या तो सदन का समय बढ़ा दिया जाय या फिर इसको स्थगित किया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि आज के लिए जो बिजनेस सदन के अन्दर है वह पारित हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, अब इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज का काम यह है कि ऐसे लोग, जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक लिहाज से गिरी जिनकी हालत है, को रिहायश की सुविधा उपलब्ध हो और उनको बसाया जाय। इस सिलसिले में, सभापति महोदय, एक सूत्र 11 नम्बर का है जिसमें यह तय किया गया है कि जो ऐसी जमीनें हैं जो दूसरी एजेन्सीज के पास हैं या प्राइवेट हैण्ड्स के अन्दर हैं उनका समाजीकरण किया जाय। शहर के गिर्द में आप किसी भी तरफ नजर उठाकर देख लीजिये बड़े बड़े टैक्स जमीनों के खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ यह हालत है कि लोगों के पास में रहने को झोंपड़ी नहीं है। किरायेदार की तरह जो छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं उनको बड़ी कीमत किराये के तौर पर अदा करनी पड़ती है, और वह जमीनें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। उन जमीनों का समाजीकरण किया जाय और ऐसी जमीनों को, जो अरबेनाइजेबल हैं, शहरी सम्पत्ति में तब्दील होने वाली हैं, नगर विकास न्यास या म्युनिसिपैलिटी द्वारा लिया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए यह जो समस्या है आवास की इसके बारे में दो राज पहले मंत्री महोदय ने कुछ आश्वासन दिया था और यह कहा था कि जो हमने प्लान बनाया है उसमें 25 प्रतिशत जमीनें ऐसी रखी हैं जो कि आर्थिक हैसियत से पिछड़े हुए वर्ग के लोग होंगे उनको बसाने के लिए वह जमीन उपलब्ध होगी। तो एक तो मेरा निवेदन यह है कि यह गम्भीर मसला है, इस सिलसिले में राज्य सरकार को इस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए था। और, मानवता के नाते उस जमीन को जो नीलाम करने की प्रथा है, उसका विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसी जमीन हैं जहां दूकानें बनाई जा सकती हैं। वह हिस्से नीलाम किये जा सकते हैं।

Page No 113

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

लेकिन आपने 50% जमीन का फर्मा दिया कि उसको नीलामी से बेचा जाये। 25% ऐसों को वेची जाएगी जिनके पास आबासीय जगह नहीं है। उनको दी जाएगी। तो मैं इसका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्री जी ऐसे आदमी हैं जो कि आम लोगों की तरह से पैदा हुए। वह आम लोगों में ही रहे। आम लोगों से उनको मोहब्बत है। मुझे हैरत तब हुई जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय को उनके साथ मोहब्बत है, जिनके पास जमीन नहीं है। तो म्युनिसिपल एरिया में 10 मील के अन्दर अन्दर जो सबसे पहले काम करना है और जहां तक म्युनिसिपल लिमिट का सवाल है, ऐसी जितनी जमीन है जो आवास में ली जा सकती है, उसको तुरन्त एक्वायर किया जाये। प्राइवेट लैण्ड को भी वह एक्वायर कर सकते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो बहुत सी जमीन रिहेबिलीटेशन डिपार्टमेण्ट के अण्डर में है, उसके लिए यह बहाना बनायें कि रिफ्यूजीज के काम आएगी तो मैं मानता हूं कि वह रिफ्यूजीज के काम में आनी चाहिए। लेकिन मुझे इसमें एतराज है, अब किसी रिफ्यूजी को रिफ्यूजी कहा जाये। पाकिस्तान से आने वाले को मिले यह ठीक है। लेकिन किसी लोकल आदमी को जमीन नहीं मिले यह नहीं होना चाहिए। ऐसी जमीन पर उन्हीं लोगों को बसाया जाये जा कि वहां आबाद हैं। अभी आपने सुना होगा, गन्दे नाले पर अजमेरी गेट के पास जो 100-200 परिवार पिछड़े हुए लोगों के रहते थे, उन लोगों के मकान रिहेबिलीटेशन डिपार्टमेण्ट के आदेश के अनुसार गिरा दिये गये और, उनको जंगल में ले जाकर डाल दिया गया है। उनको न तो वहां पर पट्टे मिले हैं और न ही कोई व्यवस्था है। आज उनकी दयनीय और चिन्ताजनक हालत हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं ही सिर्फ बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरा निवेदन यह है कि आज उनकी दयनीय हालत है। उन्हें दूसरे इलाकों में बसा दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जमीन है। जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के मन्त्री हैं, वह इस बात के लिए तैयार हैं कि ऐसी जमीन में जहां लोग बसाये जा सकते हैं, उनके लिए वह तैयार हैं। जो जंगलात की जमीन ऐसी है, उस पर बसाने के लिए वह तैयार हैं। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। जिस जमीन में जंगलात नहीं हैं, और बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है और जो 10 मील के एरिया में है, उसको वह कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार का फर्ज है कि 10 मील के एरिया में जमीन लेकर इस सवाल को हल किया जाये। जो जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर है, उसको लेकर समाजीकरण किया जाये और गरीब लोगों को बसाया जाये।

दूसरा मैं जो इस समय लाइट डालना चाहता था वह यह है कि मैं यह मुनासिब नहीं समझता हूं कि इसकी मियाद गैर

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
मुनासिब बढ़ाई जाये। इससे इस शहर के विकास के अन्दर दिक्कत आती है। थ्री टायर सिस्टम में चलते हैं। म्युनिसिपैलिटी जो कुछ करना चाहती है वह कुछ हद तक ही कर सकती है। सड़क बनानी है या सफाई करनी है, उसको एक लिमिट में करना होता है। फिर भी बोटलनेक ऐसी आती है कि उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। उससे आगे मंजूरी मिनिस्टर कन्सर्न से लेनी पड़ती है। मैं सोचता हूं आज जो सही किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर आया है, वह कुछ करना चाहता है। तो मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर को अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, मगर यह कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि कागज का डिस्पोजल ठीक ढंग से हो सके। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा सजेशन म्युनिसिपैलिटी के बारे में है कि पूरा शहर गन्दी बस्ती बना हुआ है चाहे वह सांगानेरी दरवाजे का परकोटा हो, चाहे वह हवामहल हो वहां पर लोग सुबह शाम पेशाब करते हैं। मैंने इस बारे में कई बार सुझाव दिया है, आप यूरिनल्स बना दीजिये ताकि आपकी जो बेइज्जती हो रही है, वह कम हो जाये। इसके लिए स्पेशल मशीनरी तैयार करनी पड़ेगी, वरना यहां की गन्दगी को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक भंगियों का स्टाफ बढ़ाते नहीं हैं, तब तक ठीक सफाई नहीं हो सकती है। पहले जहां एक लाख पैंतालीस हजार की आबादी थी आज वहां 9 या 10 की आबादी हो गई है। इस काम को और कोई चला नहीं सकता है। आपको ऐसी हालत पैदा करनी होगी। यहां की सड़कें चौड़ी हैं इसको पिंक सिटी कहते हैं लेकिन इसके अन्दरूनी हिस्सों में जायें। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय उसमें नहीं घूमे होंगे। मेरा क्षेत्र ऐसा है कि जहां उनको एक बार घुमा दूं तो तीन रोज तक उनकी नींद हराम हो जाये। वह इन चीजों को अपनी आंखों से देखकर हल करने की कोशिश करें। मैंने आखिर में यह सुझाव इसलिए दे दिया कि इन अनुभवों के आधार पर, जो बातें हमको हासिल हुई हैं, हम यह मानते हैं कि सुपरसीड होने के बाद काम ठीक चला है और हम यह भी मानते हैं कि जो रिश्वतखोरी हो रही थी, वह कम हुई है लेकिन इसके बावजूद भी करप्शन का मसला है और गन्दगी का मसला है और विकास में जो बाधायें हैं उन सारे मसलों को हल करने के लिये हमारा कर्त्तव्य हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक और छोटे से मसले की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय की तवज्जह दिला कर खत्म करूंगा। तीन साल पहले मेरे क्षेत्र में, लैंड पर इस किस्म के मकानात बने हुए हैं जो कि पक्के बनाये जा चुके हैं इस प्रकार की लैण्ड सेल भी नहीं की गई, उनको बनाने के लिये परमिट भी नहीं दिया गया, तीन साल पहले भी मैंने सुझाव रखा था कि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वह लाखों रुपयों के मकानात हैं, उनको रेग्युलराइज करें और उसका जो पैसा मिलता है उसका उपयोग चौकड़ी के विकास में किया जाना चाहिए, इस चौकड़ी में और दूसरी चौकड़ियों में भी, मैं यह नहीं कहता कि इसी चौकड़ी में ही किया जावे, मैं इतना खुदगज

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं है। इसके पैसे को काम में लाकर और भी चौकड़ी का विकास किया जाना चाहिए। करीब तीस-चालीस लाख रुपया इस चौकड़ी से मिल सकता है इसका सही उपयोग होना चाहिए। तीन साल के बाद में अब मुझे यह जानकारी मिली है कि वह रूल बन कर आ गया है। वह अब किस तरह से लागू होगा? यह आप देख लें और कानून को लागू करने की मशीनरी सख्त होनी चाहिए। इसमें आप हमसे भी सहायता ले सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं और शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अगर रैड टेपिज्म चलती रही तो इस तरह से मसाइल कभी हल होने वाले नहीं है। इसलिए मेरा संक्षेप में निवेदन यह है कि कोआर्डिनेशन ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

...होना चाहिए, नगरपालिका में, नगर विकास न्यास में और पी. डब्ल्यू. डी. में। आप देखेंगे कि आज जो सड़कें बनती हैं उनमें कट्स पड़ जाते हैं कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से। कभी टेलिफोन की लाइनें बिछती हैं तो कभी पाइप लाइन डाली जा रही है और कोई भी देखने वाला नहीं है कि इतना पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है, जाया किया जा रहा है। आज पूरी की पूरी सड़कों के ऊपर कट मौजूद हैं और म्युनिसिपैलिटी लापरवाही बरतती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बोटलनेक्स हैं उनको रोकें और आपके थ्री टायर सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय जिससे कि मसाइल दूर हों।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ सदन के सामने है। माननीय मन्त्री महोदय इसके अन्दर जो संशोधन करके विधेयक सदन के सामने लाये हैं, यह बहुत ही खुशी की बात है कि इससे प्रशासन में आने वाली दिक्कतें दूर की जायेंगी जिससे कि कार्य कुशलता-पूर्वक हो सके। पर हमारे देखने में यह आता है कि जिन लोगों के लिए हम सहूलियतों की बात करते हैं, हमें मालूम है कि सुविधाएं देने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उदाहरण के तौर पर टैक्स लिये जाते हैं जिससे प्रशासन का काम ठीक तरह से चलता रहे, पर यह टैक्स किससे लिया जाता है, खासकर उन लोगों से जो माल को बाहर से लाते हैं, ट्रकों से, गाड़ियों से या और किसी जरिये से। पर ऐसी जगहों का भी माल मार्केट में आता है जहां पर कृषि उपज मंडी की व्यवस्था भी लागू नहीं है, और सफाई की और दूसरी बातें जो निःशुल्क होती हैं उन लोगों के लिए वह सहूलियतें नहीं हैं। दूसरी दिक्कत जो सामने आती है वह यह है कि गन्दगी बहुत रहती है, वह गन्दगी से सम्बन्धित है। आज कई शहर निचाई पर बसे हुए हैं, वहां पर मच्छरों का साम्राज्य है, और जब बरसात आती है तो गरीब लोगों के ही मकान क्षतिग्रस्त होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिये कोई स्कीम मन्जूर नहीं की जाती। जब उन गरीब आदमियों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वे बेचारे सहायता विभाग के पास दौड़ते फिरते हैं और सरकार भी खर्च करने को मजबूर हो जाती है उस समय। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन पर पहले ही ध्यान

(श्री लूणाराम)
दिया जाय तो उन पर मुसीबत नहीं आयेगी।

तीसरा बड़ा सवाल है, जहां पर बड़ी हवेलियां हैं और जो बड़े-बड़े मकान हैं वहीं के लोग, जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम लागू है, ज्यादा पानी बिखेरते हैं जिससे कि सड़कें और गलियां गन्दी होती हैं और वहां से छोटे मकानों में भी पानी जाता रहता है। आज हौज वगैरह बनाने की पाबन्दी नहीं है जिससे इस पर कोई नियन्त्रण किया जा सके।

चौथी चीज जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम लागू है वहां पर जगह-जगह सड़कें तोड़ कर पाइप लाइन बिछाई जाती है, और कभी टेलिफोन की लाइनें बिछाते हैं लेकिन न तो उसकी मरम्मत नगरपालिका ही करवाती है और न स्वाथ्य विभाग ही इसकी तरफ कोई ध्यान देता है। इसके कारण शहरों का यातायात काफी अस्त-व्यस्त हो जाता है और उससे काफी नुकसान भी होता है। इसलिए इस पर जरा सख्ती से ध्यान देकर सुधार करवायें जिससे आये दिन पाइप लाइन वगैरह लगाने से जो लीकेज हो जाती हैं और सड़कों पर नहरें बन जाती हैं, और शहरों में गन्दगी फैलती है, इसमें सुधार हो सके। इस ओर नगरपालिका को ध्यान देना चाहिए। इससे शहर वालों की दूसरा दिक्कतें भी दूर होंगी, यातायात भी आसानी से हो सकेगा।

एक और बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीबों को जमीन दी गई, उनको पट्टे मिलें, इस मामले में अलग अलग मोहल्ले बनाकर उनकी रेट्स तय की गई हैं ऐसे ही गरीबों के लिये जब कि हम उनको मुफ्त जमीन देने की बात करते हैं। इसलिए जो गरीब मोहल्ले बस जायं उनको कम से कम रेट पर और व्यवस्थित रूप से जमीन दी जाय और उनको अतिक्रमण से बचाया जाय। सभापति महोदय, अतिक्रमण का एक कारण यह भी है कि रेट्स ज्यादा होता हैं और वे लोग मजबूरी में वहां पर बसते हैं, तो माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन मामलों के ऊपर भी कार्यवाही की जावे जिससे कि संशोधन विधेयक और अधिक लोकप्रिय हो सके।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी !

श्री रामनारायण चौधरी (मंत्री, स्वायत शासन): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ नहीं लिये जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। मैंने माननीय सदस्यों की बातों और उनके द्वारा दी गई दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना है। जहां तक इस संशोधन विधेयक का प्रश्न है एक मायने में यह बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्रांतिकारी कदम है और हमारी प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की मन्शा को पूरा करने वाला संशोधन विधेयक है। मुझे उम्मीद थी, मान्यवर, माननीय सदस्य इन संशोधनों का जोरदार शब्दों में समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे जो मूलभूत बातें हैं उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया है। यह संशोधन विधेयक लाने का मकसद यह है कि अब तक हमारे प्रदेश में राजा-महाराजाओं, भूतपूर्व नरेशों की जो सम्पत्ति थी उनके ऊपर, और उनके रहने के

(श्री रामनारायण चौधरी)

आवासीय महल थे जो माल असबाब बाहर से आता था उनकी गाड़ियां थीं, इनके ऊपर नगरपालिकायें किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा सकती थीं। हमने इस संशोधन के द्वारा व्यवस्था की है, नगरपालिका को यह टैक्स लगाने का अधिकार रहेगा। जो विशेषाधिकार भूतपूर्व नरेशों को दिया गया था, उनको इस संशोधन के द्वारा समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं, जौहरी बाजार, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य न केवल इसकी तारीफ करेंगे....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : तारीफ करता हूं। मुखालफत मैंने नहीं की है।

श्री शंकरलाल : इसका स्वागत करते हैं। आगे चलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है और कहा है, प्रशासक को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। प्रशासक को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नगरपालिकाओं में राज्य सरकार की अनुमति से है। यह संशोधन क्यों लाया गया है, इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर उच्च न्यायालय द्वारा ...

(5.21 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

...यह निर्णय हुआ है कि राजस्थान में नगरपालिकाओं के अन्दर ऑक्ट्राय लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमें यूनिफार्मिटी हो, जहां यूनिफार्मिटी नहीं है तो नगरपालिका और राज्य सरकार के इस प्रकार टैक्स लगाने को न्यायालय ने उचित नहीं माना, वैध नहीं माना। मान्यवर, जहां तक यूनिफार्मिटी का सवाल है, उसमें यह प्रश्न भी आया कि एक दर हर नगरपालिका के अन्दर चुंगी को लिये जाने की होनी चाहिए। राजस्थान की जितनी नगरपालिकायें हैं उनकी अलग अलग स्थानीय स्थितियां हैं। क्योंकि लोकल कण्डीशन्स और आमदनी के आधार पर कोई नगरपालिका ऑक्ट्राय लगा सकती है, इसलिए यह मानना कि सम्पूर्ण राजस्थान में एक दर हो, यह व्यवहारिक मालूम नहीं होता है। इसका विरोध भी सामने आया है। हमने देखा है। इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि नगरपालिकाओं की लोकल कण्डीशन व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नगरपालिकाओं के लिए अलग अलग चुंगी की दर निर्धारित करे। वह संशोधन का मकसद है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है।

दूसरा, मान्यवर, जो हमने संशोधन रखा है वह यह है कि वर्तमान में हमारी नगरपालिका के चुनाव की दो साल की अवधि राज्य सरकार को बढ़ाने की शक्ति है लेकिन जैसी कि देश की स्थितियां हैं, हम आज का परिस्थिति में चुनाव नहीं करवा सकते। इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है कि जब तक एमर्जेन्सी समाप्त नहीं हो तब तक राज्य सरकार के द्वारा ऐसी नगरपालिकाओं, जहां प्रशासक कार्य कर रहे हैं, की अवधि बढ़ाने का इस सदन के द्वारा अधिकार मांगा गया है। यह सारा

(श्री रामनारायण चौधरी)
सा संशोधन है जिसमें कहीं कन्ट्रोवर्सी की बात पैदा नहीं होता बल्कि माननीय सदस्यों के लिए एक प्रशंसा की बात थी, वह उन्होंने महसूस नहीं की। फिर भी माननीय सदस्य जौहरी बाजार से आने वाले ने इस अमेंडमेंट का जो स्कोप है उसके बाहर की बातें कहीं हैं, जिनका मुझे यहां उत्तर देना चाहिए। माननीय सदस्य ने प्रश्नोत्तर काल में इस प्रश्न को उठाया था। मान्यवर, राजस्थान में नगरपालिकाओं के क्षेत्र में रहने वाले उन कमजोर वर्गों के लोगों, अथवा बीच की आमदनी के लोगों, अथवा दूसरे लोगों के लिए यह व्यवस्था की है कि उनको आवासीय भू-खण्ड की किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं, नगरपालिकायें इस प्रकार की योजनायें बनायें, यदि वर्तमान में उनके पास आवासीय भू-खण्ड हैं। अगर नहीं हैं तो चरागाह, सिवाय चक की भूमि को राज्य सरकार से लें। यह भी सम्भव नहीं है तो जहां कृषि भूमि है उस कृषि भूमि को अवाप्त करके लोगों को आवासीय भू-खण्ड देने की व्यवस्था करें। यह योजना ऐसी होना चाहिए जिससे उस योजना से न नगरपालिका को हानि हो, न लाभ हो, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर नगरपालिकायें अपने अपने क्षेत्र में योजनायें बनायें। इस आधार पर हमने यह आदेश दिया है कि इस प्रकार की योजनाओं में 25 पर्सेन्ट कमजोर वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोग हों जिनकी आमदनी 2,400 रुपये सालाना से कम हो। इस प्रकार के लोगों को नॉमिनल प्राइस पर आवासीय भू-खण्ड दिये जायं, और 25 पर्सेन्ट रिजर्व प्राइस पर मिडिल लो इन्कम ग्रुप के लोगों को अलॉटमेंट किये जायं। 50 पर्सेन्ट भू-खण्ड ऑक्शन के द्वारा, जो लोग ऑक्शन में खरीदने में सक्षम हैं, दिये जाय, उनके लिए खाली छोड़ गये हैं। माननीय सदस्य का आक्षेप है, इससे आर्थिक कार्यक्रम के सूत्र 11 का उल्लंघन होता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी सूत्र का उल्लंघन नहीं होता है बल्कि जो सूत्र दिये गये हैं उनको ताकत मिलती है और उनकी क्रियान्विति होती है। नगरपालिकाओं को अपनी योजनायें बनाते वक्त देखना होगा, जो भू-खण्ड होंगे उनको विकसित करना होगा और उस पर खर्च करना होगा। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की भूमि को एक नहीं आंक सकते। पानी, बिजली और सैनिटेशन को ध्यान में रख कर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उस पर खर्च आता है वह राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती, नगरपालिका के पास साधन नहीं हैं और दूसरे साधन से आये आमदनी उसको इस पर खर्च कर दे, इसके बजाय यह रास्ता निकाला, जो प्रोजेक्ट निकले, वह आमदनी का जरिया नगरपालिकाओं के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नगरपालिकाओं को सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसे बनाना चाहिए। इसलिए 25 पर्सेन्ट, 25 पर्सेन्ट और पचास पर्सेन्ट का रखा है। माननीय सदस्य का मानना है कि सोशलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड का सिद्धान्त है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सोशलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड के सिद्धान्त का इस योजना से विरोधाभास नहीं होता। इससे सोशलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड होने वाला है। यह आशंका हो सकती है कि

(श्री रामनारायण चौधरी)
पैसे वाले, सम्पन्न व्यक्ति ऑक्शन में खरीद लेंगे। उन खरीदने वालों को जानकारी है कि सोशलाइजेशन ऑफ लैंड होने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति सामने नहीं आयेंगे जिनके पास पहले से आवासीय भू-खण्ड हैं। उन्हें उस सम्पत्ति के जाने का भय हो रहा है तो कैसे ऑक्शन में खरीदने का प्रयास करेंगे ? इस ऑक्शन में वह होंगे जो ऑक्शन में खरीद सकते हैं। इस प्रकार तीन श्रेणी में विभक्त करके इस योजना को लागू करने का मकसद यह है कि यह योजना, प्रोजेक्ट, सैल्फ सफिशियेन्ट हो, नगरपालिका के कोष पर असर नहीं पड़े, न घाटे में हो, न मुनाफे में हो राज्य सरकार पर भार इस योजना से नहीं हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजनायें नगरपालिकाओं में लागू होंगी, तो मेरा मानना है कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास आवासीय भू-खण्ड, आवासीय व्यवस्था नहीं होगी। नगरपालिकाओं को आदेश दिया है कि प्रत्येक नगरपालिका अपने क्षेत्र का सर्वे करे कि उनके यहां पर कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास आवासीय भू-खण्ड, आवासीय व्यवस्था नहीं है। यह सर्वे पूरा हो जायेगा, उसके बाद हम देखेंगे, अब भी कहा है. वे नगरपालिकायें, जिनका सर्वे पूरा हो जाता है, वह सर्वे के मुताबिक जमीन का एक्वीजीशन करें और उस एक्वीजीशन के आधार पर जमीन, भूमि अवाप्त हो और उस पर इस प्रकार से योजना बनायें। जब तक एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार कस्बा, नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर बिना भू-खण्ड के, आवास के रहता है वह योजना बराबर चालू रहेगी तो मैं समझता हूं कि वीकर सैक्शन्स जिनको हम सुविधा देना चाहते हैं वह पूरी हो जाती है। उसके बाद में कोई मकसद शेष नहीं रह जाता, या इस योजना से कमजोर वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा, माननीय सदस्या का यह मानना है, मैं उनकी राय से इत्तिफाक नहीं करता हूं।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में कहा कि प्रशासकों और अधिशासी अधिकारियों का विशेष अधिकार होने चाहिए ताकि समय आने पर कार्यवाही जन हित में कर सकें। यह व्यवस्था हमने कर दी है। हमारे कानूनों में यह लिखा हुआ है कि नगरपालिका की जो शक्तियां हैं उनके डेलीगेशन का प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित किसी को डेलीगेट करने का अधिकार नगरपालिका को नहीं है। तो हमने रखा है कि notwithstanding any thing contained in this section राज्य सरकार ठीक समझे, तो अधिशासी अधिकारियों को भी कार्य का अंजाम देने के लिए नगरपालिका जनहित में अधिकार डेलीगेट कर सकते है। तो आपकी बात इसमें पहले से ही है। मेरा निवेदन है कि इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में किसी किस्म की आपत्ति उठाई जा सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रस्तावों को वापिस लें और इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृत होने दें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मोहम्मद गफ्फार-अली से) क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि.......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सम्मति तो है लेकिन कोरम सदन में है नहीं।

(गणपूरक-घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : क्या अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हुक्म की तामील करनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : खण्ड दो में मेरा संशोधन है :

"In Section 23—A proposed to be inserted by clause 2 in sub-section (1)—

(i) for the expression 'Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 1975 or will expire after such commencement' the expression 'Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 1975', shall be substituted.

(ii) In clause (a), the expression 'such board or of any' shall be omitted.

(iii) In clause (b) the expression 'board or' wherever occurring shall be omitted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकृत किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैंने जो संशोधन रखा है वह इस दृष्टिकोण से रखा है कि एमर्जेन्सी, आपका कहना है, जब तक कायम रहेगी तब तक यह एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे और उसके एक साल बाद भी चलता रहे। मैंने जैसा शुरू में निवेदन किया एमर्जेन्सी से चुनाव में कोई बाधा नहीं

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

होती। ऐसी कोई गुत्थी नहीं है कि जिसमें तय किया गया हो कि जब तक एमर्जेन्सी लागू रहेगी तब तक किसी किस्म के चुनाव नहीं होंगे। नगरपालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उनका आधार पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और न ही होता है। आम तौर से पार्टियां होती हैं तो वे इन्डिपेन्डेन्ट तरीके से उम्मीदवार खड़ा करती हैं, किसी राजनैतिक दल पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। ऐसे लोग, जो डमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं और जिन्होंने ऐसी गतिविधियां शुरू कर दी थीं जिनसे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई थी, पर पाबंदी लगाई। वैसे राजनैतिक दल सब आजाद हैं और सबको लिबर्टी है, किसी के चुनाव करा सकते हैं, जेल से भी लिख सकते हैं तो आप इसको एमर्जेन्सी से मत बांधिये। मैंने सुझाव रखा है कि एमर्जेन्सी एक साल ज्यादा चलती है तो जब इस बिल को एक्ट की शकल दें उससे एक साल के अन्दर चुनाव हो जाने चाहिएं। इसको टालने से लोगों में शंका पैदा होती है कि राज्य सरकार डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कराना नहीं चाहती है और बिना कारण जो जनता के नुमाइन्दे आकर आपको मदद दें वह मदद आपको आज उपलब्ध नहीं है। नगरपालिकाओं के अगर चुनाव हों तो 20 सूत्री कार्यक्रम में मदद करना भी उनका खास कर्त्तव्य होगा, मकसद होगा और हर प्रोग्राम में वे आपकी मदद करेंगे जो भी शहर से ताल्लुक रखता होगा। मैंने लिखा है :

'अन्तःस्थापित की जाने वाली धारा 23-ए की उप-धारा (i) के उप-खण्ड (a) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"Provided that if the emergency exceeds one year, the elections shall be held within one year of the coming into force of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 1975."

तो यह मेरी गुजारिश है कि यह संशोधन बिल अगर स्वीकृत करें और एक साल-बाद चुनाव हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, इमर्जेन्सी तब तक कायम नहीं रहेगी और आपने यह भी कहा है कि बाद में भी चलती रहे, यह बहुत बड़ा अर्सा हो जाएगा। इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होता है वह यह कि जिन नगरपालिकाओं ने अपने चुनाव करा दिए वे फंक्शन कर रही हैं और बहुत से बोर्ड्स भी फंक्शन कर रहे हैं लेकिन जो बाकी नगरपालिकायें हैं उनको जो राइट्स मिले हुए हैं उनसे महरूम किया जा रहा है। इसलिए इसको मिटाने की कोशिश करें। दूसरी बात, जनता को इन्वॉल्व करने के लिए नगरपालिकाओं के चुनाव होने चाहिएं। इसलिए मेरा सुझाव है कि साल भर के बाद भी अगर इमर्जेन्सी जारी रहती है तो फिर चुनाव करा देने चाहिए। साल भर का अर्सा बहुत होता है और इसमें बहुत नुकसान की चीज नहीं है। अगर आप समझें कि आगे भी संकट आने वाला है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं लेकिन आज ही समय का एलान करना चाहिए, लोगों को डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग या हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को रोकने की शंका पैदा होती उचित नहीं है। इसलिए मैंने यह बात संशोधन में कही है। दुबारा लिखा है।

(श्री मोहम्मद गफ्फारग्रली)

मैंने जो दूसरा संशोधन पेश किया है उसमें सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (a) "not earlier than' को 'not later than' से सब्स्टीट्यूट करने की बात कही। अगर मन्त्री महोदय मेरे इस अमेन्डमेंट को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस बिल के स्ट्रक्चर के अन्दर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि चुनाव तो कराना ही है फिर टाइम शिड्यूल जो मैंने दिया है उसको रखने में क्या हर्ज है ? इससे यह होगा कि जनता को यह बात भी मालूम हो जायगी कि उनके चुने हुए लोग, जैसा कि मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है, not later than one year अपना काम नगरपालिकाओं में शुरू कर देंगे। बस यही गुजारिश है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनके लिये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है कि सेक्शन 23-ए में सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (a) में

"replace the words 'not earlier than' by the words 'not later than'

जैसा कि माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसमें यह हो जाता है कि एक साल समाप्त होने के पहले चुनाव करा लिये जाय। मेरा इसमें निवेदन है कि अभी इमर्जेन्सी लगी हुई है, इस दरमियान में चुनाव कराना सम्भव नहीं है और पता नहीं इमर्जेन्सी कब समाप्त हो। उसके बाद में भी राज्य सरकार को चुनाव कराने की व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग सकता है। पहला इस बिल के अन्दर जो संशोधन है "Provided that if the emergeney exceeds one year, the elections shall be held within one year of the coming into force of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 1975"

इसके अनुसार माननीय सदस्य राज्य सरकार को पाबन्द करना चाहते हैं वह मैं मुनासिब नहीं समझता। वैसे राज्य सरकार इमर्जेन्सी के बाद में एक साल के बाद कभी, जब मुनासिब समझेगी, चुनाव करा देगी। आज जैसा मैंने निवेदन किया कि इमर्जेन्सी कितने समय तक चलेगी यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता।

वैसे तो चुनाव कराना निश्चित है। राज्य सरकार की मन्शा है लेकिन राज्य सरकार एक साल के समाप्त होने के पहले चुनाव कराये ही, इसके लिए पाबन्द नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चुनाव की भी प्रक्रिया होती है। उसमें समय लग सकता है। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि मैं आपका संशोधन मानने में असमर्थ हूं। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि जो संशोधन मैंने बिल में पेश किये हैं उनको मन्जूर किया जाय और बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या श्री मोहम्मद गफ्फारअली जी अपना संशोशन प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मन्त्री महोदय कहें मुझसे तो मैं वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो संशोधन श्री मोहम्मद गफ्फारअली ने रखा था उसे वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय, क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 विधेयक मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड तीन।

क्या सदन की अनुमति है कि खण्ड 3 लगायत 7 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 लगायत 7 विधेयक के अंग स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि विधेयक के अंग स्वीकार किये गये।

माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 मय संशोधन के पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 मय संशोधन के पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975 को मय संशोधन पारित किया गया।

मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मन्त्री जी!

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरे बजाय श्री केशरीमल जी बोलेंगे।

"[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन / एक सप्ताह / एक माह एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)]।"

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत !

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह : गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल जी, आप फर्मा दें।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो यह बिल पेश किया है इसमें गांवों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिले इस बारे में व्यवस्था करने की बात की है। यह बात तो किसी हद तक ठीक है। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार इस बिल का पास कर देगा लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो तब। आप निर्णय ले लें लेकिन उसके अनुसार लोगों को पैसे मिलते हैं कि नहीं-यह देखने की बात है। इसमें आपने इन्सपेक्टर्स को पावर दी हैं। मेरा निवेदन यह है कि इन्सपेक्टर्स को पावर दीं उसकी तो कोई बात नहीं लेकिन इसके साथ साथ मेरा सुझाव यह है कि ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी इस बारे में पावर्स दी जानी चाहिये। उनको भी आप अधिकार दीजिये और वह भी केस प्रस्तुत कर सकें यह मैं चाहता हूं। जैसे इन्सपेक्टर्स पेमेन्ट ऑफ मिनिमम वेजेज के लिये केस प्रस्तुत कर सकते हैं उसी तरह इन्हें भी अधिकार होना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि होता यह है लोग नाम तो कुछ कह देते हैं लेकिन कई कई जगहों पर न्यूनतम वेजेज दिये नहीं जाते हैं। आज हमारे ब्यावर की मैं बात कर सकता हूं, वहां लोगों को न्यूनतम वेजेज नहीं दिये जाते हैं। वहां पर मिल मालिक और खान के मालिक लोग डबल डबल रजिस्टर रखते हैं और फर्जी हिसाब-किताब बनाते हैं और इस प्रकार मजदूरों

(श्री केशरीमल)
को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार कोई ऐसी मशीनरी कायम करे जो कि यह देखे कि सही मायने में गरीब मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं। आज कई जगह पर औरतों के साथ भी काफी भारी मात्रा में अन्याय किया जाता है। उन लोगों ने क्वान्टम फिक्स कर रखा है और इस प्रकार औरतों के लिये मैं आपको खास तौर से निवेदन कर दूं कि दो दो दिन की एक हाजरी लगाते हैं। उनको बेचारों को डेढ़ रुपया ही पांच रुपये की जगह देते हैं और इसके लिये तीन दिन काम करा कर उसका एक दिन गिनते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल जाय इसकी व्यवस्था करें। इसके लिए आप प्रेक्टिकल रूप से इसको क्रियान्वित कराने की व्यवस्था करें। वैसे तो यह कानून सन् 1948 से बना हुआ है लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी खेतिहर मजदूरों को और छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों को पूरे पैसे न्यूनतम वेजेज के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। किसी को पांच के बजाय तीन या दो रुपये ही मिल रहे हैं जिससे वहां के लोगों में भारी असन्तोष है। ब्यावर में जो सामेन्ट फैक्ट्री और जो मिलें है, उनके मजदूरों और वहां पर जो खान में काम करते हैं उनसे अधिक घन्टों तक काम लिया जाता है पर उनको पूरे पैसे न्यूनतम वेतन के अनुसार नहीं दिये जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिलाये जायं और जो लोग न्यूनतम वेतन उन्हें नहीं दे रहे हैं उन मिल मालिकों और छोटे उद्योगपतियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये। आज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एमर्जेन्सी की वजह से देश में एक वातावरण बना है, मजदूर लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के लिये उनके मालिकों को बाध्य किया जाय। इसके लिये आप जो कानून ला रहे हैं वह तो ठीक है पर इन्सपेक्टर्स के साथ-साथ ट्रेड यूनियन्स के जो रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं उनको भी अगर आप अधिकार इस बिल के तहत दिला दें तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी !

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है इसमें मामूली संशोधन किये जा रहे हैं। इसमें पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट और मिनिमम वेजेज के बारे में है। इसमें कोई विशेष संशोधन नहीं है। इसमें कुछ पावर्स इस लॉ को एनफोर्स करने के लिये बी. डी. ओज. को दी हैं। इसमें इन्सपेक्टर्स और एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को यह पावर्स दी हैं कि वह बी. डी. ओज. के पास केसेज पेश कर सकें। सिर्फ इन्सपेक्टर्स और एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को इसमें काम में लिया जायेगा बस इतना ही है।

यह दूसरी बात है कि कार्यकर्त्ताओं को काम में लगाया जाय या नहीं। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक्ट को एन्फोर्स करना चाहेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। सबसे बड़ा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
तबका खेत मजदूरों का है जो बिखरा हुआ है। ट्रेड यूनियन में आया नहीं है। उनको भी 21 सूत्री कार्यक्रम में लाया जाय, वे एक हो जायं और मिनिमम वेजेज में उनको लाया जाय।

दूसरा अमेन्डमेन्ट इसलिये लाया गया है कि क्लेम जो भी अराइज हों न केवल डिपार्टमेन्टल लेबर अधिकारी या आँथोरिटीज हैं वे ही कर सकें बल्कि जो यूनियन्स हैं उनके द्वारा भी इसको एन्फोर्स किया जाय। मैं चाहूंगा कि जो भी ट्रेड यूनियन वर्कर्स हैं या जो भी इसमें काम करेंगे वे शोषण समाप्त करने में मदद करेंगे। उसमें यह अमेन्डमेन्ट सहयोगी सिद्ध होगा और श्रम विभाग पूरी पूरी मदद करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य संशोधन वापिस लेना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या उनको आज्ञा प्रदान की जाय वापिस लेने की?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 19 जनवरी, 76 के प्रातः 11 बजे तक के लिये, स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बज कर 52 मिनिट पर सोमवार दिनांक 18 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 133 की सूची)

RESEARCH SECTION

Sl. No.	Name of the posts	No. of post	Date of D. P. C. meeting
1.	Joint Director (Research)	1	July, 1967
		3	28-8-74
2.	Agriculture Chemist	1	15-12-62
		11	3-4-74
		4	28-8-74
3.	Agronomist	7	3-4-74
		2	28-8-74
4.	Plant Pathologist	1	15-12-62
		9	3-4-74
5.	Entomologist	2	3-4-74
6.	Economic Botanist	1	15-12-62
		9	3-4-74
7.	Assistant Agriculture Chemist	2	26/27-6-61
		5	27-5/23-6-72
		36	13-12-73
8.	Assistant Agronomist	3	23-5/23-6-72
		11	13-12-73
		24	28-8-74
9.	Assistant Plant Pathologist	8	15-12-62
		9	13-12-73
10.	Assistant Entomologist	4	15-12-62
		7	13-12-73
11.	Assistant Economic Botanist	7	27-5/23-6-72
		24	13-12-73
12.	Assistant Horticulturist	2	28-8-74

EXTENSION WING

Sl. No.	Name of the posts	No. of posts	Date of D. P. C. meeting
1.	Director of Agriculture	1	Nov., 1972
2.	Addtional Director	2	Oct., 1972
3.	Jt. Director	3	July, 1967
4.	Dy. Director	16	July, 1962
5.	Assistant Director and its equivalent posts	13	27-6-71
6.	Assistant Director and its equivalent posts	59	13-9-74
7.	Group 'C' posts	56	29-8-74 (for 1963)
8.	Group 'C' posts	109	29-8-74 (for 1963)
9.	Dy. Director (Statistics)	2	30-9-74
10.	Assistant Director (Statistics)	3	29-8-74
11.	Statistician	4	29-8-74
12.	Executive Engineers	11	30-9-74
13.	Assistant Engineers	1	15-12-62
14	Assistant Engineers	10	29-8-74

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 134 का प्रादेश

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(G R. A. V.)

No F.9(19) Karmik (A-V)/74 Jaipur dated 10th Feb., 1975

ORDER

In suppersession of the Department of Personnel (A-II) Order No F.7 (4) D.O.P.(A-II)/73, dated the 3rd Oct., 1973, the Government of Rajasthan have been pleased to direct that:—

(1) The prescribed reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for appointment by promotion to each class/category/group of junior as well as senior posts under the State/Subordinate/Ministerial and Class IV Services in the State shall be 16% and 12% respectively and shall herein-after apply to such posts in the respective Cadre of Service in which the element of direct recruitment, if any, does not exceed 50%, and which are filled up by promotion on the basis of:—

(i) Seniority-cum-merit,
(ii) Merit and Seniority-cum-merit,
(iii) through Competitive Examinations limited to Departmental candidates only.

(2) The procedure for the application of such reservation shall be as under-—

(i) The reservation in accordance with the prescribed percentage for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates shall be calculated on the total vacancies determined each year by the concerned Appointing Authority for such category of posts in the respective Service to which promotions are made on the basis mentioned in para 1 above,

In case 40 vacancies are required to be filled in by promotion in any category of posts in a Service or Department, than out of the 40 posts only 11 posts (6 for SC and 5 for ST) shall be required to be reserved for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. Accordingly, a roster to determine the number of vacancies to be reserved for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates separately for each category of posts in cadre or Service; except for such class/category/group of posts in any Service to which promotion are always made by selection on the basis of merit alone, under the relevant Service Rules, shall be maintained by each Appointing Authority, in which points 1,7,14, 21 28, and 35 and points 4, 12, 22, 30, and 39 should be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.

(ii) Wherever according to the points in the roster there are any vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separate lists shall be drawn up of the eligible Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates,as the case may be falling within the zone of normal consideration for promotion and arranged in order of their interse seniority in the main list.

(iii) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates should be adjusted by the Departmental Promotion Committee, or by the Appointing Authority where there exist no such Committee separately in regard to their promotion on the basis of Merit-cum-Seniority.

(iv) When the lists of the selected persons in the general category and those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been prepared by the Departmental Promotion Committee, these

be merged into a combined list in which the names of all the selected persons, general as well as those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are arranged in the Order of their *inter-se* seniority in the original seniority list of the category or grade from which the promotion is being made. The combined list of selected persons should thereafter be followed for making promotions on vacancies as and when they arise during the year in accordance with the roster in sub-paragraph (i) above. The list of selected persons thus prepared would normally be operative for a period of one year or till next meeting of Departmental Promotion Committee, whichever is earlier.

(v) In respect of the posts or class/category of posts in any Service for which the procedure for promotion on recommendations of a Departmental Promotion Committee has not been prescribed in the relevant Service Rules, the above precedure shall be observed by the concerned Appointing Authority.

(vi) If the number of eligible candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes found fit for promotion falls short of number of vacancies reserved for either of them during the year, the extent of such short fall should be reported to the Department of Personnel alongwith the proposals, if any, for the dereservation of vacancies in respect of which the shortfall has occurred. If on a scrutiny of the data furnished in this regard, any dereservation is agreed to by the Department of Personnel, the vacancies so dereserved may be filled up by another candidate included in the combined list of selected persons.

-Sd/-

(vii) In the event of non-availability of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes being found eligible or fit for promotion by the Departmental Promotion Committee or the Appointing Authority, as the case may be, the vacancies so reserved for them shall be filled in by appointing the next person in the combined list of selected persons and the equivalent number of additional vacancies shall be reserved for them to be filled in the subsequent year. If a sufficient number of suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes is also not available in the next year, then such of the vacancies which remain so unfilled shall be carried forward for the subsequent year, but such carry forward should not exceed three years in total and thereafter such reservation would lapse :

Provided that there shall be no such carry forward of vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre of Service to which promotions are to be made also by selection strictly on the basis of merit, under the relevant Service Rules.

(3) This reservation shall not apply to appointments made on "Ad-hoc" or "Urgent Temporary" basis.

(4) The above instructions shall take effect from the date of issue of this order except where a select list, if any, for promotion has already been prepared by the Departmental Promotion Committee and approved by the appropriate Authority before the date of issue of this order.

By Order,

Sd/-

(V.B.L. Mathur)

Special Secretary to Government.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 137 की सूची)

क. सं.	नाम अलॉटीज मय वल्दियत के व पता	दिनांक अलॉटमेंट	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देवीसहाय पुत्र बिरदीचन्द वर्मा फौजी, जिला जयपुर	18-6-71	बासपा	476	10)
2.	श्री दयाराम गूजर फौजी पुत्र ल्यानाराम गूजर	"	"	480	10)
3.	श्री गोरीराम पुत्र महादेव गूजर सा. वासपा	"	"	480	3)
4.	श्री राजू पुत्र महादेव गूजर	"	"	480	3)
5.	श्री रमाराम पुत्र महादेव गूजर	"	"	480	3)
6.	श्री छोटीलाल पुत्र गोविन्दराम पलास	"	"	480	3)
7.	श्री बाबूलाल पुत्र गोविन्दराम	"	"	480	3)
8.	श्री रामधन पुत्र गोविन्दराम	"	"	480	3)
9.	श्री रामेश्वर पुत्र गंगाराम	"	"	480	3)
10.	श्री गेन्दीलाल पुत्र गोविन्दराम	"	"	480	3)
11.	श्री मखन पुत्र गोविन्दराम	"	"	480	3)
12.	श्री जगदीशनारायण पुत्र रामनारायण महाजन	"	"	480	3)
13.	श्री कानाराम पुत्र मंगलराम कलाल	"	"	480	3)
14.	श्री महादेव पुत्र मंगलराम कलाल	"	"	476	3)॥।
15.	श्री बदरी पुत्र बींजाराम खटीक	"	"	475	3)
16.	श्री ग्यारसाराम पुत्र बिजेलाल खटीक	"	"	475	3)॥।
17.	श्री गुलाब पुत्र मोतीराम बलाई	"	"	475	3)

1	2	3	4	5	6
18.	श्री डूंगाराम पुत्र सुसन बलाई	18-6-71	बासपा	475	3)
19.	श्री भोरीलाल पुत्र कानाराम बलाई	"	,	476	3)
20.	श्री रामकिशोर पुत्र मूलचन्द बलाई	"	"	475	3)
21.	श्री सादूराम पुत्र कजोड़ बलाई	,.	"	475	3)
22.	श्री महादेव पुत्र गनेशराम बलाई	"	"	475	3)
23.	श्री मंगलराम पुत्र वेगाराम खटीक	"	"	475	3)
24.	श्री गोसराम पुत्र दयालाराम बलाई	"	"	475	3)
25.	श्री गोपीराम पुत्र ग्रोम बलाई	"	"	475	3)
26.	श्री भंवरीलाल पुत्र कानाराम बलाई	"	"	475	3)
27.	श्री मूलचन्द पुत्र रामदेव बलाई	"	"	476	3)
28.	श्री भेरूराम पुत्र रूपाराम गूजर	"	"	470	3)
29.	श्री प्रहलाद पुत्र भंवरीलाल नाई	"	"	476	3)
30.	श्री मोहन पुत्र भोगूराम नाई (जोगी)	"	"	476	3)
31.	श्री कालूराम पुत्र मोती बलाई	"	"	476	3)
32.	श्री तेजराम पुत्र भोमराम गूजर मूंडवा	"	"	476	3)
33.	श्री सूम्रालाल पुत्र रामदेव नाई निवासी बसना	"	"	476	3)
34.	श्री महावेद पुत्र रामदेव नाई	"	"	476	3)
35.	श्री चौ. परताप पुत्र धन्नाराम गूजर	"	"	476	3)
36.	श्री पांचू, कजोड़ पि. धन्नाराम गूजर	"	"	476	3)

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति खण्डेला के उप-प्रधान का चुनाव

140. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर के उप-प्रधान के चुनाव हेतु सरकार के आदेशानुसार 30-11-75 तारीख मुकर्रर की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त चुनाव के रोज यानि दिनांक 30-11-75 को मुख्य मन्त्री ने नीम-का-थाना जाते समय रास्ते में अजीतगढ़ में जिलाधीश सीकर को मतदान शुरू होने से केवल आधा घंटा पहले चुनाव स्थगित करने के आदेश दे दिए और आदेशानुसार जिलाधीश, सीकर ने चुनाव स्थगित करा दिया जिसकी सूचना चुनाव अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी, सीकर ने दिनांक 30-11-75 को ही निदेशक चुनाव विभाग, जयपुर को भेज दी थी ? यदि हां, तो इस प्रकार अचानक चुनाव स्थगित करने के क्या कारण थे ?

(3) क्या सरकार उक्त चुनाव को शीघ्र ही सम्पन्न कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पूर्वार्द्ध प्रश्न का जवाब, जी नहीं। उत्तरार्द्ध प्रश्न का उत्तर, जी हां। उक्त चुनाव कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया तथा स्थगन की सूचना चुनाव विभाग को दिनांक 2-12-75 को प्रेषित की गई।

(3) उप चुनाव यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र करा दिए जायेंगे।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट

141. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट को सरकार स्थिर रखने का विचार रखती है ?

(2) खाद्य पदार्थों में हाल ही में जो गिरावट आई है उसको दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार किसानों को सस्ती दर पर बिजली, खाद, डीजल, सीमेंट देने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार ने पिछले वर्ष खाद, डीजल, बिजली की दरों में जो वृद्धि की थी, उसको खाद्य कीमतों में हुई गिरावट को देखते हुए कम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डीजल तथा खाद की कीमतों में समय-समय पर जो वृद्धि हुई है उसके कारण

(खाद्य मंत्री)

अन्तर्राष्ट्रीय हैं। सीमेन्ट तथा बिजली की दरों में वृद्धि उत्पादन व्यय में होने वाले खर्च के कारण हुई है।

(3) उत्पादन खर्च बढ़ने पर ही खाद की कीमतों में दो बार कमी की जा चुकी है। खाद्यान्न की कीमतों में गत 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है उसके अनुपात में बिजली की दरों में जो वृद्धि की गई है वह कम ही है। डीजल की कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

जयपुर जिले में अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन

142. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है जयपुर में अधिकतर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इसके लिये प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में अधिकतर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें आर. एस. एस. वाले चला रहे हैं और अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को आर. एस. एस. की शिक्षा दी जाती है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) जयपुर शहर में कुल कितनी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें हैं तथा किस किस को गत 31 मार्च, 1975 को कितना कितना अनुदान मिला और कितने प्रतिशत? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अग्रवाल शिक्षा समिति, जयपुर ने गत दो वर्षों में कितने कर्मचारियों को हटाया और कितने नियुक्त किये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर शहर में अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या 110 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

डीडवाना तथा लाडनूं तहसील में कृषि उपज मण्डी का निर्माण

143. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार डीडवाना तथा लाडनूं तहसील के काश्तकारों के लिये कृषि उपज मण्डी का निर्माण करने जा रही है और शीघ्र ही इन दोनों तहसीलों की एक मिलीजुली संचालक कमेटी को नामजद करने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। डीडवाना में कृषि उपज मंडी समिति स्थापित करने के आशय की घोषणा

(कृषि मंत्री)

की जा चुकी है। उस पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर वहां मण्डी समिति स्थापित करने की घोषणा राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु भेज दी गई है।

जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य

144. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में चालू वित्तीय वर्ष में अलग-अलग कुल कितने अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति दी गई थी ?

(2) स्वीकृत कार्यों में कितनों पर कार्य चालू किया गया ? कितने कार्य चलने के पश्चात् अधूरे रह गये ? तथा कितने कार्य ऐसे थे जिन पर स्वीकृति के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ किया ही नहीं गया ?

(3) क्या यह सही है कि जिले की कई तहसीलों में जिला अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके ? यदि हां, तो वे कार्य कौन-कौन से हैं ? तथा वे अधिकारी कौन-कौन हैं जिनके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके ? तथा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में चालू वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 10 एवं सिंचाई विभाग के लिए 60 कार्यों अर्थात् कुल 70 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी।

(2) स्वीकृत कार्यों में से 57 कार्य चालू किये गये, 37 कार्य चलने के पश्चात् अधूरे रह गये। केवल 13 सिंचाई कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।

(3) 13 कार्य स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ नहीं किये जा सके। इनमें से 7 कार्यों को करवाया जाना फीजीवल नहीं था। शेष 6 फेमिन कार्य मजदूरी की दर कम होने के कारण मजदूरों के न मिलने से प्रारम्भ नहीं किये जा सके। कार्य प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, जिला खंड जयपुर का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

खरीफ की फसल को कातरा नामक कीट से हानि

145. श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोई गत फसल खरीफ में कातरा नाम का जानवर पैदा होकर फसल को खत्म कर रहा है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस जिले से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो सरकार ने आज तक उस पर क्या कार्यवाही की ? और नहीं, तो क्यों ?

(श्री लूणाराम)

(4) क्या चूरू जिले से भी जिलाधीश या जिला अधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1, जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जिला नागौर, सीकर व झुन्झुनू में कातरा कीड़े की महामारी घोषित कर कीटनाशक औषधियाँ 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित कर नियन्त्रण कार्य करवाया गया। कुछ क्षेत्रों में नियन्त्रण कार्य यान्त्रिक विधि से भी करवाया गया है। चूरू जिले में यान्त्रिक विधि से कार्य करवाया गया।

(4) जी हां।

कातरा की से ग्रसित जिलों की सूची

जिला

चूरू

सीकर

झुन्झुनू

नागौर

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए उद्योगों में आरक्षण

146. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं ? इनमें से कितनी कितनी इकाइयां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अधिपत्य में हैं ?

(2) क्या आर्थिक समृद्धि हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए उद्योगों में आरक्षण करना आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या मत है ? यदि नहीं, तो कैसे ? क्या उद्योगों में लगने से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में 30-9-75 को 18,626 लघु औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत थीं। 1973 में केन्द्र सरकार के आदेशानुसार औद्योगिक इकाइयों की गणना कराई थी। गणना के समय जाति के आधार पर इकाइयों को वर्गीकृत नहीं किया गया।

(2) वर्तमान नीति के अनुसार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया है। उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग लगाने वाले व्यक्ति की रुचि, क्षमता तथा योग्यता का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में आरक्षण सम्भव नहीं है। उद्योगों में लगने से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति अवश्य सुधरेगी।

टोंक का पोल्ट्री फार्म

147. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टोंक के पोल्ट्री फार्म को समाप्त किया जा रहा है ? यदि

(श्री अजीतसिंह)

हां, तो क्यों ? क्या इस फार्म में घाटा हो रहा था ? इस फार्म की कृपया ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। घाटे में होने से मितव्ययता की दृष्टि से बन्द किया गया है। इस फार्म की जून, 74 से अगस्त, 75 तक की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(ऑडिट रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षायें खोलने का प्रावधान

148. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राज्य में कितने स्थानों पर पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षायें खोलने का प्रावधान था ? यह प्रावधान कार्य रूप में क्यों नहीं आया ?

(3) क्या इस प्रावधान पर अगले बजट में विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस सत्र में 2 महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोलने का प्रावधान रखा था, बाद में बजट स्पीच में 15,00,000) रु. की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया लेकिन यह राशि अधिक सैकेण्ड्री स्कूल खोलने के लिए कार्य में ले ली गई। इस तरह इस सत्र में केवल 2 महाविद्यालयों में ही पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोली गई।

(2) अगले सत्र में नये विषय खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

देवस्थान की सम्पति

149. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य एवं राज्य के बाहर देवस्थान की कितनी सम्पत्ति है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्पति का क्या मूल्य है ? क्या राज्य सरकार इसकी देख-रेख करने के लिए कोई बोर्ड बनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

कोटपूतली पुलिस थाने में स्टाफ

150. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटपूतली थाने में कितना स्टाफ स्वीकृत है तथा स्वतन्त्रता के बाद स्टाफ में कितनी वृद्धि की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार कोटपूतली की बढ़ती हुई आबादी, कॉलेज, राष्ट्रीय मार्ग पुलिस की अन्य जिम्मेदारी बढ़ जाने के बाद भी वर्तमान स्टाफ पर्याप्त समझती

140

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
है ? यदि नहीं, तो अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सन् 1952 में इस कस्बे में केवल थाना ही था जिसकी नफरी केवल एक उप-निरीक्षक, एक हैड कॉन्सटेबिल एवं 11 कॉन्सटेबिल की थी जो अब बढ़कर 1 उप-निरीक्षक, 1 सहायक उप-निरीक्षक, 1 हैड कॉन्सटेबिल एवं 15 कॉन्सटेबिल हो गई है। इसके अतिरिक्त इस कस्बे में सर्किल ऑफिसर कार्यालय एवं एक पुलिस चौकी भी स्थापित हो चुकी है जिससे पुलिस स्टाफ की कुल नफरी निम्न प्रकार हो चुकी है:—

	उप-अधीक्षक	उप-निरी.	स. उ. नि.	हैड का.	कानि.
स. ऑफिस	1	—	—	1	6
थाना कोटपूतली	—	1	1	1	15
पुलिस चौकी	—	—	—	1	4
	1	1	1	3	25

(2) जी हां।

आर. पी. एस. सी. से सलेक्टेड कैमिस्ट्री के प्रवक्ताओं की नियुक्तियां

151. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो साल से शिक्षण कार्य कर रहे कैमिस्ट्री के काफी प्रवक्ताओं को सरप्लस बतला कर हटा दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से 6 प्रवक्ता आर. पी. एस. सी. से सलेक्टेड हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी कुछ अनसलेक्टेड प्रवक्ताओं को टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट दिया गया है ? यदि हां, तो जो आर. पी. एस. सी. से सलेक्टेड थे के साथ ही 2 साल जो प्रवक्ता के तौर पर शिक्षण कार्य कर चुके हैं उनको स्थान क्यों नहीं दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही नहीं है कि बजाय सरप्लस के कई कॉलेजों में प्रवक्ताओं के स्थान रिक्त पड़े हैं और कई जगह वर्क लोड को देखते हुए कम प्रवक्ता हैं ?

(5) ऐसी सूरत में उपरोक्त आर. पी. एस. सी. सलेक्टेड प्रवक्ताओं को क्या सेवा में अति शीघ्र लेना अत्यावश्यक नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

Page No 141

(141.)

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं। केवल एक महिला को दो माह के लिए अस्थाई रूप से प्रसूति अवकाश से हुए रिक्त पद पर लगाया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

जवाजा पंचायत समिति में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

152. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 72 और 74 में जवाजा पंचायत समिति, जिला अजमेर में अकाल राहत कार्य चलाये गये थे ? यदि हां, तो कितने कितने आदमी वर्ष में कार्य पर लगाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में राहत कार्य पर कार्य करने वाले श्रमिकों का मजदूरी का पैसा बकाया है ? यदि हां, तो कितना कितना ? यह मजदूरी का पैसा अब तक क्यों नहीं चुकाया गया ? अलग अलग काम लेने वाली एजेंसियों में कितना कितना पैसा बकाया है तथा कब तक चुका दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्वत् 2029 में 48,200 और 2031 में 13,175 आदमियों को अकाल राहत कार्यों पर लगाया गया था।

(2) जी हां। कुछ मजदूरों का पैसा बकाया है। सूची संलग्न है। भुगतान शीघ्र करा दिया जावेगा।

सूची

पंचायत समिति, जवाजा के श्रमिकों की बकाया मजदूरी का विवरण पत्र

क्र. सं.	नाम अभिकरण	धनराशि	भुगतान न होने का कारण
		वर्ष 1972	
1.	वन विभाग	3) रु.	श्रमिकों के बाहर चले जाने से।
2.	भू-संरक्षण	323) रु.	मजदूरों के उपलब्ध न होने के कारण।
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला एवं नगर खण्ड, अजमेर	132?) रु. 66 पैसे	मजदूर उपलब्ध न होने के कारण।
		वर्ष 1974	
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला एवं नगर खण्ड, अजमेर	4,477) रु. 16 पैसे	मजदूरों के उपलब्ध न होने के कारण।
2.	सिंचाई विभाग, अजमेर	2590) रु. 42 पैसे	मजदूरों के उपलब्ध न होने कारण।

अलवर जिले में तृतीय श्रेणी एस. टी. सी. पास अध्यापकों की नियुक्तियां

153. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में तृतीय श्रेणी एस. टी. सी. पास ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें 1974-75 में लगभग 4½ महीने राज्य सेवा में रखा गया था लेकिन चालू सत्र 1975-76 में राज्य सेवा में नहीं रखा गया है ? ऐसे अध्यापकों की कितनी संख्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा गत जून माह में ये आदेश प्रसारित किये गये थे कि 1974-75 में जिन अध्यापकों ने कम से कम चार महीने की राज्य सेवा कर ली है उन्हें इस सत्र में रिक्त स्थानों पर पहले नियुक्त किया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस सत्र में अलवर जिले में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की सीधी भर्ती की गई है और पहले राज्य सेवा में कार्य कर चुके अध्यापकों को प्राथमिकता नहीं दी गई है ? ऐसी सीधी भर्ती कितने अध्यापकों की की गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार इन अध्यापकों को अब रिक्त स्थानों पर नई नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, ऐसे आशार्थियों को ही दुबारा नियुक्ति के आदेश दिए गए थे जो पूर्ण योग्यता रखते हों अर्थात 2 वर्ष के ट्रेन्ड हों।

(3) जी हां। किन्तु जो अध्यापक पूर्ण योग्यता रखते थे अर्थात 2 वर्ष के ट्रेन्ड थे उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी गई है। सीधी भर्ती 225 अध्यापकों की की गई है।

(4) यदि वे पूर्ण योग्यता रखते हैं तो मैरिट के अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं।

राजस्थान व भाखडा क्षेत्र में अवैध जमीन अलॉटमेन्ट के बारे में गठित उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट

154. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान व भाखड़ा क्षेत्र में अवैध जमीन अलॉटमेंट व बेनामा हस्तान्तरण (Transfer) आदि के बारे में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को कब पेश की ? उसकी सिफारिशों को अमल में लाने के लिये राज्य सरकार ने क्या फैसला किया ?

उत्तर

यह रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 29-7-75 को प्रस्तुत की गई। अभी रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पाली नगर की रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों का निरीक्षण

155. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 23-12-75 को पाली नगर की रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया और तत्पश्चात् मीटिंग की गई ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से निरीक्षण किन-किन फैक्ट्रियों का किया गया और निरीक्षण के वक्त कौन कौन से जन प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी साथ थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) निराक्षण के तुरन्त बाद की गई मीटिंग में किन किन जन प्रतिनिधियों को और किन किन सरकारी अधिकारियों को आमन्त्रित किया गया था और कौन कौन उपस्थित थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिये गये ? निर्णयों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, उद्योगों का निरीक्षण किया गया था और तत्पश्चात् मीटिंग की गयी थी । पाली शहर में स्थित फैक्ट्रीज द्वारा निकलने वाले दूषित एवं एसिड मिश्रित जल से जन स्वास्थ्य पर होने वाली हानि एवं कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति निर्मित फैक्ट्रियों की समस्याओं एवं लघु उद्योग क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निरीक्षण किया गया था । सुमेरपुर रोड, मडिया रोड, कालूराम जी की बगीची, सिंधी कॉलोनी, पाली उद्योग क्षेत्र एवं मैसर्स बसन्त ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोसेस का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय उपस्थित जन प्रतिनिधि एवं सरकारी अधिकारियों की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) निरीक्षण के पश्चात् की गई मीटिंग में आमन्त्रित व्यक्तियों की सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) बैठक में उपस्थित व्यक्तियों एवं सरकारी अधिकारियों की सूची (ग) सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

उक्त मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिए गए ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तिजारा में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का आदेश

156. श्री रतीराम यादव (तिजारा) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोलने के लिये गत वर्ष अगस्त, 1974 में राज्य सरकार ने आदेश दिया था और बाद में स्थगित कर दिया ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि गत बजट सेशन में मेरे प्रश्न के उत्तर में न्याय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हमारे पास कैडर ट्रेनिंग में है और उसके ट्रेनिंग

Page No 144

(१४४)

(श्री रतीराम यादव)
पूरा करते ही हम तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोल देंगे ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने 16 अगस्त, 1975 से तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोल देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कोर्ट क्यों नहीं खोला गया और स्थगन आदेश किस तारीख को प्रसारित किया गया ? स्थगन आदेश की प्रतिलिपि मय कारण सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोलने के बारे में मंत्रीजी द्वारा सदन में दिये गये उत्तर एवं आश्वासन को पूरा न करना लोकतन्त्र में अच्छी परम्परा कायम करेगा ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार अब तिजारा में कब तक मुंसिफ कोर्ट स्थापित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तिजारा मुंसिफ कोर्ट खोलने के लिये अप्रेल, 1974 में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। अगस्त, 74 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा के पद पर श्री सूवालाल सिखा का नियोजन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त दण्डनायक का तिजारा के स्थान पर थानागाजी स्थानान्तरण कर दिया। इस प्रकार तिजारा मुंसिफ कोर्ट न्यायालय पूर्ववत खाली रहा है।

(2) जी हां। मैंने यह कहा था कि राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भारी कमी होने के कारण अभी तक कुछ न्यायालयों में अधिकारियों को नहीं लगाया जा सका। अधिकारियों की नई भर्ती के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में जैसे-जैसे अधिकारियों की नियुक्ति होती जावेगी यह समस्या भी हल हो जावेगी।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तिजारा के न्यायिक अधिकारी को थानागाजी स्थानान्तरित कर दिया, गया इस कारण तिजारा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं लगाया जा सका। स्थानीय जनता व बार एसोसिएशन की मांग तथा स्थान की सुविधा देखते हुए तिजारा के स्थान पर किशनगढ़बास में अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। तिजारा तथा किशनगढ़बास के दरमियान 15 मील का फासला है। तिजारा का एस. डी. ओ. कोर्ट भी इस समय किशनगढ़बास में है। मौजूदा मुंसिफ मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास के जुरिस्डिक्शन में 3 तहसीलें तिजारा, किशनगढ़बास, और मंडावर आती हैं। किशनगढ़बास बीच में है। मौजूदा किशनगढ़बास मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के 3,100 मुकदमे हैं। लिहाजा लोकतंत्र और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि किशनगढ़बास में तिजारा के स्थान पर अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय रखा जाय। उच्च न्यायालय की राय प्राप्त होने पर इस बाबत निर्णय किया जाना है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

गोकुलपुरा (जयपुर) में सीताराम मंदिर की भूमि की आय

157. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मौजा गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सीताराम के मंदिर की 92 बीघा माफी की जमीन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की सन् 42 से सन् 57 तक की आय तहसील जयपुर ने वसूल की जो अब तक तहसील में जमा है ?

(3) क्या उक्त आय की रकम श्री कल्याणबक्स पुत्र श्री भैरूसहाय ब्राह्मण निवासी जयपुर को देय है ? यदि हां, तो अब तक रकम क्यों नहीं दी गई ?

(स्थगित किया गया)

सब-डिवीजन सांचोर में असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट की स्थापना

158. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भीनमाल सब-डिवीजन सांचोर में अभी तक असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत नहीं खोली गई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इतनी बड़ी तहसील में राजस्व मामले निपटाने की दृष्टि से सांचोर में एक ए. सी. कोर्ट की स्थापना जनहित में जरूरी है ? अगर हां, तो ऐसी अदालत की स्थापना कब तक करवा दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है, कि पहले एक बार विधान सभा में ऐसी अदालत शीघ्र खोलने का सरकार ने आश्वासन भी दिया था ? अगर हां, तो कब ? अब तक उस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं की गई है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर में पहिले भी ऐसी अदालत थी और उसके लिये मकानादि पूर्ण व्यवस्था तहसील में मौजूद है ? अगर हां, तो अब ए. सी. अदालत की स्थापना कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी इस बाबत राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(3) जी नहीं।

(4) सांचोर में पहिले ऐसी अदालत थी। अब पर्याप्त भवन आदि उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

जोधपुर में ट्रैक्टर व स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने की योजना

159. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पब्लिक सैक्टर में कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां स्थापित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री व स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने की योजना किस-किस वर्ष में बनी थी ?

(146)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

(3) जोधपुर में आज तक ट्रैक्टर फैक्ट्री न लगाने का क्या कारण है ? तथा यह फैक्ट्री कब तक लग सकेगी ?

(4) आगामी वर्ष में राज्य में कौन-कौन से पब्लिक सैक्टर के उद्योग कहां-कहां लगेंगे ?

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री स्थापित करने की योजना 1969 में बनी थी। स्कूटर फैक्ट्री की कोई योजना नहीं बनी।

(3) किसी भी ट्रैक्टर निर्माता से कोलोबोरेशन का अन्तिम निर्णय सफल नहीं हो सका। अब सम्भावना नहीं है।

(4) सम्भावित उद्योगों की सूची 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची 'क'

1. गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर।
2. हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर।
3. राजकीय ऊनी मिल्स लि., बीकानेर।
4. राजस्थान स्टेट टेनरीज लि., टोंक।
5. राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना।
6. राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना।
7. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।
8. कृषि उपकरण फैक्ट्री, भोटवाड़ा, जयपुर।
9. राजस्थान वर्सटेड स्पिनिंग मिल्स तथा राजस्थान वूल कोम्बर्स, चूरू।
10. राजस्थान वर्सटेड स्पिनिंग मिल्स, लाडनूं।
11. मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज, टोंक।
12. फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर।
13. डिजाइन डवलपमेंट एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर।
14. श्री केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि., बून्दी।
15. राजस्थान को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)।
16. श्री गंगानगर को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि., श्रीगंगानगर।
17. स्कूटर फैक्ट्री, अलवर।

सूची 'ख'

1. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना के सोडियम सल्फेट संयंत्र की क्षमता को 55.5 टन से 95.5 टन प्रतिदिन बढ़ाना।
2. उपरोक्त वर्क्स की सॉल्ट भाखरी।
3. कम्पोस्ट प्लान्ट, जयपुर।
4. टी॰ वी॰ सेट्स बनाने का उद्योग, जयपुर।
5. ग्रेनाइट कटिंग व पॉलिशिंग का उद्योग, जालोर।

Page No 148

(148)

प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन

160. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कॉलेजों, संकेण्डरी स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थाओं को एड के रूप में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कुल कितनी धनराशि दी गई ? संस्था का नाम तथा धनराशि दर्शाते हुए जिला व तहसील-वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में प्राइवेट शिक्षण संस्था जो सरकारी एड ले रही हैं, उनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसी सभी शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन रखने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक एवं माध्यमिक निदेशालय में अनुदान प्राप्त संस्थाओं को इस वर्ष दी जाने वाली राशि के लिए अनुदान प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनका अन्तिमीकरण किया जा रहा है। दिये जाने वाली धनराशि के आंकड़े मार्च, 76 के बाद ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कॉलेज निदेशालय द्वारा अनुदान में दी जाने वाली राशि का अन्तिमीकरण किया जा चुका है। संस्थाओं के नाम वह उनको दी जाने वाली राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

सूची

क्रम सं.	जिले का नाम		महाविद्यालय का नाम	(1975-76) दि. 1-4-75 से 31-3-76 तक स्वीकृत राशि
1	2		3	4
1.	अजमेर	1.	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	8,40,000) रु.
		2.	सावित्री गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	5,16,000) रु.
2.	बीकानेर	3.	बी. जे. एस. आर. जैन कॉलेज, बीकानेर	1,44,000) रु.
		4.	श्री जैन पास्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बीकानेर	2,04,000) रु.
3	चूरू	5.	सोनादेवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज, सुजानगढ़	60,000) रु.
4.	जयपुर	6.	अग्रवाल कॉलेज, जयपुर	4,68,000) रु.
		7.	श्री एस. एस. जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर	2,76,000) रु.

1	2	3	4
		8. एस. एस. जी. पारीक कॉलेज, जयपुर	1,08,000) रु.
		9. कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	5,40,000) रु.
		10. एल. बी. एस. कॉलेज, जयपुर	3,12,000) रु.
		11. राजस्थान इन्स्टीट्यूट हिस्ट्रीकल, अशोक नगर, जयपुर	6,000) रु.
5.	झुन्झुनू	12. सेठ मोतीलाल कॉलेज, झुन्झुनु	2,16,000) रु.
		13. सेठ जी. बी. पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़	3,84,000) रु.
		14. शारदा सदन कॉलेज, मुकन्दगढ़	1,68,000) रु.
		15. चिड़ावा कॉलेज, चिड़ावा	2,04,000) रु.
6.	जोधपुर	16. लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइन्स, जोधपुर	2,52,000) रु.
7.	पाली	17. एस. पी. यू. कॉलेज, फालना	1,92,000) रु.
8.	श्री गंगानगर	18. एस. जी. एन. खालसा कॉलेज, गंगानगर	3,36,000) रु.
		19. जी. एल. बिहाना एस. डी. कॉलेज, गंगानगर	1,08,000) रु.
		20. नेहरू मेमोरियल कॉलेज, हनुमानगढ़	1,08,000) रु.
9.	सीकर	21. सेठ जी. आर. चमड़िया कॉलेज, फतेहपुर	2,04,000) रु.
		22. भगवानदास बोदी कॉलेज, लछमनगढ़	1,68,000) रु.
10.	टोंक	23. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	7,34,400) रु.
11.	उदयपुर	24. बी. एन. कॉलेज, उदयपुर	5,04,000) रु.
		25. उदयपुर स्कूल ऑफ सोशियल वर्क उदयपुर	1,92,000) रु.
		26. एम. वी. श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर	2,04,000) रु.
		27. विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	4,50,000) रु.

Sanction by Government

बिसलपुर वृहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति (पाली) में गबन

161. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिसलपुर वृहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति, जिला पाली के मंत्री श्री बिशनसिंह ने समिति के स्वीकृत ऋण की लाखों रुपयों की धनराशि हड़प कर बड़ा भारी गबन किया ? यदि हां, तो लिखित में जिलाधीश, पाली को शिकायत देने पर पुलिस ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब कुछ अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्यों ने लिखित में शिकायत पुलिस एवं जिलाधीश, पाली को पेश की तो बिशनसिंह एवं उनके साथियों ने शराब आदि पी कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ मार-पीट की व कई सदस्य भय से गांव छोड़ कर चले गये किन्तु पुलिस ने इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गुण्डा नियंत्रण एक्ट के अन्तर्गत उप-जिलाधीश, पाली की कोर्ट में जमानत लेने व शान्ति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने के बाद में अनुसूचित जाति व जन जाति के पांच व्यक्तियों के साथ मारपीट की ? यदि हां, तो पुलिस क्या कदम उठाने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 9-11-75 को गांव के पांच-छः व्यक्तियों ने एस. डी. एम. बाली की कोर्ट में पेश होकर एक दरख्वास्त पेश की थी कि ग्राम में अनुसूचित व अन्य जातियों के साथ मार-पीट श्री बिशनसिंह की पार्टी कर रही है और अशान्ति फैली हुई है तथा वे गुण्डा-गर्दी कर रहे हैं ? इस पर एस. डी. एम. बाली ने धारा 151 के तहत कार्यवाही करने का पुलिस थाना सुमेरपुर को आदेश दिया था ? यदि हां तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बिसलपुर वृहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति, जिला पाली के मंत्री श्री बिशनसिंह के तथाकथित गबन सम्बन्धी जांच जिलाधीश, पाली के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा की जा रही है। पुलिस को कोई शिकायत इस बाबत प्राप्त नहीं हुई।

(2) दिनांक 31-10-75 को श्री भोमाराम द्वारा श्री बिशनसिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति व सभ्य नागरिकों को मारने व परेशान करने सम्बन्धी रिपोर्ट पुलिस में प्राप्त होने पर फौरन मौके पर जांच की गई तथा मुल्जिम बिशनसिंह को दफा 41 सी. आर. पी. सी. के तहत दिनांक 12-11-75 को गिरफ्तार किया जाकर उसके खिलाफ दिनांक 12-11-75 को दफा 110 सी. आर. पी. सी. के तहत एस. डी. एम. कोतवाली में पेश किया गया और जो जेर तजवीज अदालत है। जांच से यह सिद्ध नहीं हुआ कि लोगों ने गांव छोड़ दिया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। पुलिस द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

151

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची)

आयोजना मद व्यय वर्ष 75-76 (नवम्बर, 75 तक)

नाम जिला	व्यय (लाख रुपयों में)
अजमेर	0.22
अलवर	0.14
बांसवाड़ा	2.32
बाड़मेर	0.27
भरतपुर	0.08
भीलवाड़ा	—
बीकानेर	4.38
बूंदी	0.93
चित्तौड़गढ़	0.79
डूंगरपुर	2.69
चूरू	0.10
गंगानगर	15.76
जयपुर	3.49
जैसलमेर	—
जालौर	0.28
झालावाड़	0.05
झुन्झुनूं	—
जोधपुर	0.32
कोटा	22.54
नागौर	0.10
पाली	0.16
सवाई माधोपुर	1.95
सीकर	—
सिरोही	0.52
टौंक	0.37
उदयपुर	5.29
अन्य व्यय	0.75
योग :	63.50
अकाल राहत व्यय (समस्त राजस्थान)	39.59
महायोग :	103.09

152

टिप्पणी:—

आयोजना मद में वन विकास कार्यक्रम के लिए निम्नानुसार राशि वर्ष 1975-76 के लिए आवंटित की गई है:—

1.	राज्य आयोजना दानिक	35-60 लाख रुपये
2.	राज्य आयोजना भू-संरक्षण	12-50 लाख रुपये
3.	डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम	62-63 लाख रुपये
4.	राजस्थान नहर परियोजना (विश्व बैंक)	46-70 लाख रुपये
5.	मण्डल कमाण्ड एरिया	2-50 लाख रुपये
6.	केन्द्रीय अर्थ प्रभाविज योजना	52-00 लाख रुपये
7.	वाष्प परियोजना	6-00 लाख रुपये
8.	अण्डमान	3-65 लाख रुपये
9.	अकाल राहत	44-64 लाख रुपये
	योग:	276-22 लाख रुपये

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची)

क्रम संख्या	भू-खण्ड नम्बर	भूखण्ड जिसको आवंटित किया गया है उसका नाम व पता	उद्योग की प्रकृति
1.	ई–3	मै. ज्योति मैटल इण्डस्ट्री किशोर खण्डेलवाल किशोर, निवाई	इन्जानियरिंग
2.	ई–4	मै. अशोका ऑयल इण्डस्ट्रीज द्वारा रामप्रसाद विजय, टोंक	ऑयल मिल
3.	एफ–18	मै. विमल ब्रदर्स, घटूला खान की कछरी, टोंक	इन्जीनियरिंग
4.	एफ–20	मै. जयकिशन लोहा उद्योग, अमीर गंज बाजार, टोंक	"
5.	एफ–19	मै. भारत मैटल इण्डस्ट्रीज, आजाद मार्केट, टोंक	"
6.	एफ–25, 24	मै. नवीन आईरन वर्क, प्रो. गोयल पुत्र श्री बाबूलाल द्वारा मुन्नू मैटल इण्डस्ट्रीज,जयपुर	"
7.	ई–5	मै. किसान कृषियन्ता, प्रो. लक्ष्मीनारायण, प्रो. सजना मील, मीरा नगर, टोंक	आइरन इण्डस्ट्रीज
8.	एफ–13	मै. पिंक कैनिंग कम्पनी, (इण्डिया) जनता कॉलोनी, सवाईपाव-की-बगीची, जयपुर	फ्रूट एण्ड वैजीटेबिल
9.	एफ–23	मै. जैम कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, नियर राजेन्द्रा श्री स्टोर, बड़ा कुआ, टोंक	कैमीकल्स
10.	एफ–22	मै. टोंक कृषि उद्योग, जवाहर बाजार, अमीर गंज, टोंक	इन्जीनियरिंग
11.	ई–2	मै. अग्रीको ट्रेडर्स, प्रो. सुभाष दासोद, बाबुल चन्द मल जी का रास्ता, पुराना टोंक	एग्रीकल्चर
12.	ई–1	मै. कृषि मैटल इण्डस्ट्रीज, मोती बाग, टोंक	इन्जीनियरिंग
13.	एफ–21	मै. नूर मोहम्मद सरदार मोहम्मद, मण्डी-वास गेट, टोंक	टैक्सटाइल्स
14.	एफ–6 (ए)	मै. उत्तम ऑयल एण्ड दाल मिल द्वारा शान्तीलाल जैन, ग्राम—घूघल, टोंक	ऑयल एण्ड दाल मिल

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची)

PROGRESS OF THE INTENSIVE CATTLE DEVELOPMENT PROJECT

SINCE INSPECTION

S. No.	Items	Units	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Breeding & Treatment :**								
	(a) A. I. Done	No.	2,111	2,207	2,770	2,842	2,347	1,938	
	(b) Natural service	No.	2,133	4,480	5 092	4,752	5,284	4,873	
	(c) Innoculation	No.	23,194	45,127	47,344	24,161	31,548	51,896	
	(d) Castration	No.	1,402	5,538	10,251	3,239	8,782	3,293	
	(e) Treatment	No.	—	46,217	46,821	63,205	56,058	25,710	
2.	**Fodder Development :**								
	(a) Demonstration of Plots	No.	17 (continue)	17 (continue)	17 (continue)	17 (continue)	17 (continue)	17 (continue)	
	(b) Seed distributed	Kg.	400	—	1,200	1,200	—	—	
	(c) Chaff-cutters distributed	No.	—	—	—	60	—	—	

3. **Dairy :**							
(a) Co-operative Societies	No.	36	81	81	80	80	151
(b) Co-operative Union	No.	—	—	—	1	1	—
(c) Loan advanced	Rs. in Lacs.	1.00	—	—	—	—	—
4. **Feed Mixing Plant :**	No.		—	—	—	—	—
(a) Production	Qtls.	3,487.46	4,208.82	1,147.10	—	—	—
5. **Civil Works :**		—	—	—	—	—	—
(a) Tube Wells	No.	—	—	—	—	—	—
6. Cattle Shows	No.	—	2	3	4	2	—
7. Calf rallies	No.	3	20	29	35	14	14
8. Milk Supplied to D. M. S.	In Lacs Lts.	6.87	20.07	48.00	35.27	12.7	2.17
9. Urmul	„	—	—	—	—	—	13.60
10. Film Shows	No.	3	47	54	45	29	10

(156)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची)

जोधपुर नगर के राजकीय सैकेण्डरी व हायर सैकेण्डरी स्कूलों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कब से चल रही है
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, विद्याशाला, जोधपुर	1966
2.	राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1875
3.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महिलाबाग, जोधपुर	1950
4.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मागांधी, जोधपुर	1938
5.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुरा, जोधपुर	1959
6.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजमहल, जोधपुर	1957
7.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालौरी गेट, जोधपुर	1960
8.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर	1957
9.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, आसन, जोधपुर	1952
10.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, फतेहपोल, जोधपुर	1968
11.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, महामंदिर, जोधपुर	1966
12.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, पूंजला, जोधपुर	1975

जोधपुर नगर में राजकीय अनुदान प्राप्त सैकेण्डरी व हायर सैकेण्डरी स्कूलों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	कब से चल रही है
1	2	3
1.	सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1958
2.	उम्मेद उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1945
3.	प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1919
4.	चोपासनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1916
5.	सुमेर पुष्टिकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1961
6.	सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1945
7.	मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1947
8.	महेश उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1956

1	2	3
9.	हनुमन्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1965
10.	ईशाकिया माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1968
11.	सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1969
12.	लालबहादुर शास्त्री माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1974
13.	सेन्ट मैट्रिक विद्या भवन, जोधपुर (उ. मा.)	1963
14.	जयनारायण व्यास बालिका माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1968
15.	उम्मेद बालिका माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1969
16.	दयानन्द बालिका माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1970
17.	आर्य कन्या माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1972
18.	महालक्ष्मी बालिका माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1970

—: 0 :—

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी, 1976)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
15	ऊपर से 6	गिरिप्रसादी	गिरजाप्रसाद
18	" 11	ने	—
30	" 5	आल्टरनेटिव	आल्टरनेट
68	अन्तिम से 4	मत्थामल	मथमल
78	" 12	उसका	उनको
81	" 17	देवाड़	देवाल
85	ऊपर से 5	मा	की
89	" 8	तो	कि
90	" 18	सामाने	सामान
91	" 5	छमा	छुआ
105	अन्तिम से 18	अन्धी	किश्त
197	अन्तिम से 20	स्टेटमेन्ट्स	स्टेटमेन्ट
198	शीर्ष	रिली	रिलीफ
205	अन्तिम से 8	करने	—
212	ऊपर से 12	दिमाग	दिमाग में
224	ऊपर से 9	टैक्स	प्लाट्स
278	नीचे से 4	प्रभाविज,	प्रभावित

———